PERFECT 7

FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

November : 2021/Issue-1

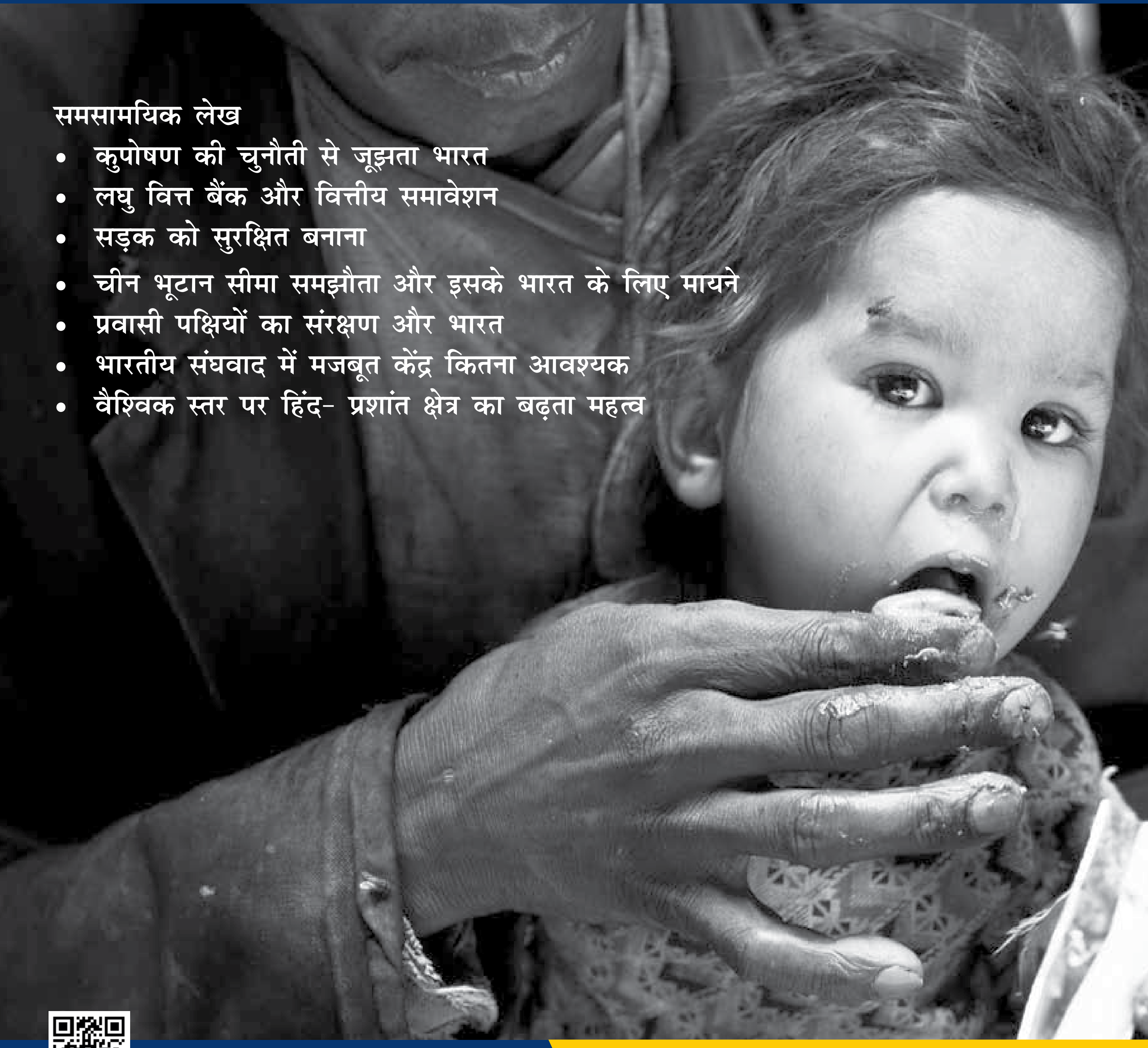

समसामयिक लेख

- कुपोषण की चुनौती से जूझता भारत
- लघु वित्त बैंक और वित्तीय समावेशन
- सड़क को सुरक्षित बनाना
- चीन भूटान सीमा समझौता और इसके भारत के लिए मायने
- प्रवासी पक्षियों का संरक्षण और भारत
- भारतीय संघवाद में मजबूत केंद्र कितना आवश्यक
- वैश्विक स्तर पर हिंद- प्रशांत क्षेत्र का बढ़ता महत्व

dhyeyaias.com

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

INDIA TODAY Aspire ranks DHYEYA IAS 3rd among all coaching institutes of any sphere in India

ALL INDIA UPSC MAIN TEST SERIES 2021-22

OFFLINE & ONLINE

TOTAL TEST 9

Sectional GS 4

Full Length GS 4

Essay 1

STARTED ON 31st OCTOBER 2021 & ONGOING

ENROLL NOW
www.dhyeyaias.com

DHYEYA EDGE

- ☑ Time bound (14 Days) evaluation by experts close to real evaluators of UPSC.
- ☑ Personalised interactive discussion by subject experts on one-on-one basis through online mode.
- ☑ Bilingual Model answers of each questions would be provided after the test .
- ☑ To develop the understanding of current UPSC pattern and coverage of entire syllabus.
- ☑ To develop Answer-Writing Skill among candidates.

Fee Structure :

Complete Package :
Offline - Rs. 7,000/- (+ 18% GST)
Online - Rs. 6,000/- (+ 18% GST)

DHYEYA ADVANTAGE

- 20% for those qualified for UPSC/UPPSC interview at least once.
- 10% for those qualified UPSC Prelims.
- 10% for Dhyeya Students.

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Director's Message

Mr. Vinay Kumar Singh

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

Yours very truly,

Vinay Kumar Singh
CEO and Founder

Mr Q H Khan

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहां छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Yours very truly,

Q H Khan
Managing Director

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

OFFLINE
&
ONLINE

COMPREHENSIVE ALL INDIA IAS PRELIMS TEST SERIES 2022

TOTAL TESTS - 27

Starting From
28th NOVEMBER

FEE :
Offline : Rs. 14,000/-
Online : Rs. 8,000/-

DHYEYA ADVANTAGE

- 20% for non Dhyeya students who have cleared UPSC Prelims at least once.
- 20% for Dhyeya Students.
- 40% for Dhyeya Students who have cleared UPSC Prelims at least once.

Call: **9205274741/42**
www.dhyeyaias.com

PREFACE

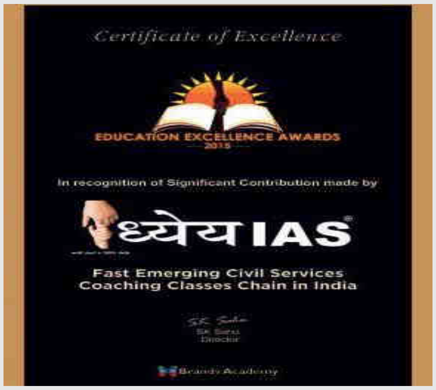

समसामयिक मुद्दे अथवा करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट 7 मैगजीन को विद्यार्थी जगत के समक्ष माह में दो बार रखा जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के तथ्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाय। परफेक्ट 7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कंटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, पेपर 4 के लिए एथिक्स की केस स्टडीज को, 7 मॉडल प्रश्नोत्तर, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्वों के जीवन और भूमिकाओं, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर एक माह के 14 सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें सर्वाधिक जोर पर्यावरण पारिस्थितिकी, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर है। मध्यकालीन भारत से पूछे जाने वाले शब्दावली और अन्य आयामों एक छोटा खंड भी परफेक्ट 7 मैगजीन का पार्ट होगा. विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ाने के लिए ब्रेन बूस्टर्स और 7 ग्राफिक्स के जरिये किसी विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैश्विक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहेगी। परफेक्ट 7 मैगजीन में हम ग्लोबल इंस्टीट्यूशन्स ट्रैकर नामक एक नया खंड शुरू कर रहे हैं जिसमें सभी परीक्षोपयोगी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ी खबरों को ट्रैक किया जाएगा। जैसे यूएनडीपी, यूनेस्को, यूनिसेफ, एफएओ, आईएलओ, आईयूसीएन, आईपीसीसी, यूएनएफसीसीसी इत्यादि क्योंकि इस खंड से सिविल सेवा परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न वैश्विक पहलों, अभियानों पर पूछे ही जाते हैं.

इस मैगजीन को केवल तथ्यों या केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नही बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का विजन यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। हमें उम्मीद हैं कि परफेक्ट 7 अपने नए रूप में आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा और इसके साथ ही आप सभी के सुझावों का स्वागत रहेगा

विनय कुमार सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7 TEAM

संपादक	• विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	• क्यू. एच. खान
सहसंपादक	• गौतम तिवारी
संपादकीय सहयोग	• आशुतोष मिश्रा • सौरभ चक्रवर्ती • मनीष सिंह • गौरव • शिवांगी वर्मा
मुख्य लेखक	• विवेक ओझा
मुख्य समीक्षक	• ए.के श्रीवास्तव • विनीत अनुराग • बाघेन्द्र सिंह
आवरण सज्जा एवं विकास	• पुनीष जैन • प्रगति केसरवानी
टंकण	• सचिन • देवेन्द्र
कार्यालय सहायक	• राजू • चन्दन • अरुण

DHYEYA EDUCATIONAL SERVICES PVT. LTD.
AN ISO 9001:2008 COMPANY

Face to Face Centres

MUKHERJEE NAGAR	: 9205274741, 9205274742
RAJENDRA NAGAR	: 9205274743
LAXMI NAGAR	: 9205212500, 9205962002
ALLAHABAD	: 0532-2260189, 8853467068
LUCKNOW (ALIGANJ)	: 0522-4025825, 9506256789
LUCKNOW (GOMTINAGAR)	: 7234000501, 7234000502
GREATER NOIDA	: 9205336037, 9205336038
KANPUR	: 7887003962, 7897003962
BHUBANESWAR	: 8599071555
SRINAGAR (J&K)	: 9205962002

PERFECT 7
समसामयिकी

विषय सूची

समसामयिक लेख ———— 1- 15

- **कुपोषण की चुनौती से जूझता भारत**
- **लघु वित्त बैंक और वित्तीय समावेशन**
- **सड़क को सुरक्षित बनाना**
- **चीन भूटान सीमा समझौता और इसके भारत के लिए मायने**
- **प्रवासी पक्षियों का संरक्षण और भारत**
- **भारतीय संघवाद में मजबूत केंद्र कितना आवश्यक**
- **वैश्विक स्तर पर हिंद- प्रशांत क्षेत्र का बढ़ता महत्व**

संक्षिप्त मुद्दे राष्ट्रीय ———— 16- 17
संक्षिप्त मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय ———— 18- 19
संक्षिप्त मुद्द पर्यावरण ———— 20- 21
संक्षिप्त मुद्द विज्ञान एवं तकनीक ———— 22- 24
राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें ———— 25- 30
ब्रेन बूस्टर ———— 31- 37
राजव्यवस्था शब्दावली ———— 38- 39
जयंती विशेष: ओल्ड लेडी गाँधी' के नाम से चर्चित मातंगिनी हाजरा ———— 40
राजव्यवस्था तथा समसामायिक आधारित बहुविकल्पी प्रश्न ———— 41-46
GS Paper IV **के लिए हल केस स्टडी** ———— 47-48

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

‘कुपोषण की चुनौती से जूझता भारत’

- चर्चा में क्यों?
- पृष्ठभूमि:
- वैश्विक भुखमरी सूचकांक -2021
- वैश्विक भुखमरी सूचकांक रैंकिंग चार मापदंडों पर आधारित है
- रैंकिंग में भारत से संबंधित मुद्दे
- भारत की स्थिति
- भारत में कुपोषण के कारण
- भारत सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास
- सतत विकास लक्ष्य और भुखमरी
- आगे की राह

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) में भारत की रैंकिंग 116 देशों में 101वीं रही है.

पृष्ठभूमि:

अमेरिकी राष्ट्रपति जान.एफ.कनेडी ने कहा था ‘भूख के खिलाफ जंग ही मानवता की आजादी की असली जंग है.’ इसका अर्थ है कि भुखमरी मानव के प्राकृतिक और मौलिक अधिकारों का हनन करती है. विश्व में पर्याप्त खाद्य सामग्री होने के बावजूद विश्व का औसतन नौ में से एक व्यक्ति भूखा है. इन भूखे लोगों में से दो तिहाई एशिया में रहते हैं. यद्यपि विकासशील और अल्पविकसित देशों में अल्पपोषित लोगों की संख्या में कमी आई है. यह 1990-92 में 23.3% से घटकर 2014 -16 में 12.9% रह गई है. किन्तु आज भी लगभग 80 करोड़ लोग अल्पपोषित हैं.

वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2021-

आयरलैंड की ‘कंसर्न वर्ल्डवाइड’ और जर्मनी की वेल्थुंगरहिल्फ’ नामक संगठन द्वारा ‘वैश्विक भुखमरी सूचकांक- 2021’ संयुक्त रूप से जारी किया गया है. 2006 से प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में (16वां वार्षिक संस्करण) यह सूचकांक जारी किया जाता है. इस सूचकांक को जारी करने का उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापना और ट्रैक करना है.

‘वैश्विक भुखमरी सूचकांक रैंकिंग चार मापदंडों पर आधारित है-

- अल्पपोषण,
- चाइल्ड वेस्टिंग,
- चाइल्ड स्टंटिग
- बाल मृत्यु दर

सूचकांक 100-बिंदु पैमाने पर भूख का निर्धारण करता है जहाँ 0 (शून्य भूख) सबसे अच्छा और 100 को सबसे खराब माना जाता है.

o **क्या है अल्पपोषण–** अपर्याप्त कैलोरी गृहण क्षमता के कारण कुपोषण की समस्या को अल्पपोषण कहते है.

o **क्या है चाइल्ड वेस्टिंग-** पांच साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन उनकी उंचाई के अनुपात से कम है चाइल्ड वेस्टिंग कहलाता है. यह तीव्र कुपोषण को दर्शाता है.

o **क्या है चाइल्ड स्टंटिग–** पांच साल से कम उम्र का बच्चा जिसकी उम्र की तुलना में कम लम्बाई है, को चाइल्ड स्टंटिग कहते हैं.

o **बाल मृत्युदर–** पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर.

रैंकिंग में भारत से संबंधित मुद्दे

इस सूचकांक के लिए अल्पपोषण डाटा विश्व खाद्य संगठन (एफ.ए.ओ) द्वारा प्रदान किया जाता है. एफ.ए.ओ ने कोविड 19 के चलते भौतिक रूप से उपस्थित होकर सर्वे आयोजित नहीं किया, बल्कि टेलीफोन द्वारा एकत्रित की गई जानकारियों के आधार पर डाटा एकत्रित किया.

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एफ.ए.ओ की सर्वे पद्धति को अवैज्ञानिक बताते हुए इस सूचकांक पर प्रश्नचिंह लगाये हैं.

भारत की स्थिति-

2021 में भारत की रैंकिंग 116 देशों में 101वीं रही जबकि 2020 में भारत 93, 2019 में 102 और 2018 में 103 थी.

भारत के अन्य पड़ोसी देशों में पाकिस्तान- 92, नेपाल और बांग्लादेश- 76 तथा श्रीलंका 65वें स्थान पर है. यानि भारत अपने पड़ोसियों से

पिछड़ी स्थिति में है.

बताते चले कि भारत ब्रिक्स देशों में भी सबसे पीछे है. भारत में 6 से 23 महीने के मात्र 9.6% बच्चों को न्यूनतम पौष्टिक आहार मिलता है.

वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की खराब रैंकिंग के कारण यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित **"वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट"** के अनुसार– हर दूसरा भारतीय बच्चा कुपोषण से ग्रस्त है. भारत में कुपोषण के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 8.82 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है. जो विश्व में सर्वाधिक है. यूनिसेफ की इस रिपोर्ट में लगभग 35% बच्चे बौने, 17% बच्चों का वजन उनकी लम्बाई की तुलना में कम था.

विश्व खाद्य संगठन के अनुसार भारत में 194.4 मिलियन लोग अल्पपोषित है.

भारत में कुपोषण के कारण-

वर्ष 2000 के बाद अपेक्षाकृत तेजी से आर्थिक विकास हासिल करने के बावजूद भारत भूख को कम करने में सफल नहीं हो सका है. पारंपरिक अनाज, फल और अन्य सब्जी के उत्पादन में कमी के कारण इनकी खपत में कमी आई है.

खाद्य उपभोग की विविधता में कमी और पारंपरिक अनाज (ज्वार-बाजरा-रागी) का थाली से दूर होना, कुपोषण के पीछे की मुख्य वजह है. बढती आर्थिक असमानता और जलवायु परिवर्तन और कोविड 19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियां भी कुपोषण को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है.

वांशिगटन विश्वविद्यालय द्वारा जारी बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2019 के मुताबिक भारत में मृत्यु और विकलांगता के कारणों में कुपोषण सर्वप्रमुख है.

भारत सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास-

A) पोषण अभियान – मार्च 2018 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राजस्थान के झुंझुनू से पोषण अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गयी.

उद्देश्य–

1. गर्भवती महिलाओं और बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए बच्चों के कम पोषण और जन्म के समय कम वजन को सालाना. 2 प्रतिशत और एनीमिया को 3 प्रतिशत तक कम करना.

B) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना – इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और स्तनप. ान कराने वाली महिलाओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म हेतु 6000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ताकि महिलाओं और शिशुओं को पौष्टिक आहार प्राप्त हो सके.

C) फूड फोर्टिफिकेशन- प्रमुख विटामिनों तथा खनिजों जैसे- आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए और डी को चावल, दूध एवं नमक आदि मुख्य खाद्य पदार्थों में शामिल करना है ताकि उनकी पोषण सामग्री में सुधार हो सके.

D)राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 में संसद द्वारा "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' पारित किया गया. इसके अंतर्गत 75% ग्रामीण और 50% नगरीय जनसंख्या को सस्ती दरो पर अनाज प्रदान किया जाता है.

E) ईट राइट इण्डिया मूमेंट – भारतीय खाद्य सु. रक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) द्वारा नागरिकों को उचित खाद्य पदार्थो को भोजन में शामिल करने के लिए प्रेरित किये जाने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई.

F) आंगनबाड़ी, मिड डे मील जैसी योजनाओं के माध्यम से पोषणयुक्त भोजन प्रदान किया जा रहा है.

सतत विकास लक्ष्य और भुखमरी-

'जीरो हंगर' का लक्ष्य कई अन्य लक्ष्यों जैसे- गरीबी उन्मूलन (एस.डी.जी-1),भुखमरी (एस.डी. जी-2),बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण (एस.डी. जी-3) तथा स्वच्छ पेयजल (एस.डी.जी-6) के साथ मिलकर काम करता है.

आगे की राह-

1. नन्दी फाउन्डेशन ने अपने सर्वे में भारत में कुपोषण से निपटने संबंधी नीतियों में खामी को उजागर करते हुए कहा था-' भारत की कुपोषण नीति गर्भवती महिलाओं को लक्षित करती है.' जबकि गर्भवती महिला के कुपोषण को खत्म करने के लिए मुश्किल से 6 माह का समय मिलता है जो अपर्याप्त है. इसलिए भारत सरकार को 'कुपोषित किशोरियों को भी लक्षित करना चाहिए'. इससे कुपोषण से निपटने के लिए '2 से 4 साल तक का वक्त मिलेगा, जो पर्याप्त होगा.
2. समेकित बाल विकास सेवाओं, जन-वितरण प्रणाली का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये.
3. कुपोषण की पहचान कर उन परिवारों को पोषण सुरक्षा मुहैया कराने की आवश्यकता है.
4. पोषण पुनर्वास केन्द्रों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में उपयुक्त उपकरण एवं पर्याप्त संख्या में बेड का प्रबंध करना.
5. मोटे अनाज, दालों, हरी सब्जियों को फूड हैबिट में शामिल करने की दिशा में जनजागरूकता फैलाना.
6. शिक्षा की दशा सुधार कर गरीबी कम करने और बाल विवाह पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए. क्योंकि कम उम्र में माँ बनने से माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. माँ के कुपोषित होने से बच्चे पर कुपोषण का खतरा बढ़ जाता है.

NOTES

ध्येयIAS

लघु वित्त बैंक और वित्तीय समावेशन

- पृष्ठभूमि
- लघु वित्त बैंक (एसएफबी) गठन के उद्देश्य
- लघु वित्त बैंक (एसएफबी)
- एसएफबी की सफलता
- यूनिवर्सल बैंकिंग की आवश्यकता
- लाभः
- वित्तीय समावेशन के लिये सरकारी प्रयास
- वित्तीय समावेशन के लाभ
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

पृष्ठभूमिः

नचिकेता मोर के नेतृत्व में वर्ष 2013 में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये समिति का गठन किया गया. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये भुगतान बैंक (पेमेंट बैंक) एवं लघु वित्त बैंक की अवधारणा प्रस्तुत की. बताते चले कि देश की जनता को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया को वित्तीय समावेशन कहते है.

लघु वित्त बैंक (एसएफबी) गठन के उद्देश्य-

1. बैंकिंग प्रणाली के दायरे के अंतर्गत गैर बैंकिंग संस्थाओं को लाना.
2. छोटे व सीमांत किसानों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बैंकिंग सेवायें उपलब्ध कराना.
3. देश में बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना.

लघु वित्त बैंक (एसएफबी) :

इसका उद्देश्य छोटी व्यावसायिक इकाईयों, छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करना है.

लघु वित्तीय बैंक कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है. लघु वित्त बैंक किसी अन्य अनुसूचित बैंक के विपरीत भारतीय रिवर्ज बैंक से धनराशि उधार नहीं ले सकती हैं.

भारत में 10 लघु वित्त संस्थायें कार्यरत हैं. ‘कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक’ प्रथम बैंक था जिसने 24 अप्रैल 2016 को 47 शाखाओं के साथ अपना कार्य प्रारम्भ किया.

10 में से 8 लघु वित्त बैंक पूर्व में माइक्रोफाइनांस एनबीएफसी रहे है जबकि अन्य दो भी एनबीएफसी की भूमिका में 10 साल से अधिक कार्यरत रहे हैं.

एसएफबी की सफलताः

1. भारत में 80 प्रतिशत वयस्कों के पास बैंक खाता या संस्थागत वित्त संस्थाओं तक पहुंचा है. वित्तीय समावेशन की दिशा में एसएफबी की महत्त्वपूर्ण भूमिका है.
2. एसएफबी उच्च ब्याज दर (8 प्रतिशत) प्रदान करने के कारण जमाकर्त्ताओं को आकर्षित करने में सफल रही है लॉकडाउन के दौरान एयूएसएफबी ने कुल जमा में 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की. जबकि इस दौरान एसबीआई 5.9 प्रतिशत, एचडीएफसी बैंक 6.15 प्रतिशत इंट्रेस्ट रेट प्रदान कर रहे है.
3. इन्वेस्टमेंट इन्फार्मेशन एण्ड क्रेडिट एंजेसी (**ICRA**) की रिपोर्ट के अनुसार- विविधीकरण के माध्यम से लघु वित्त बैंक व्यावसायिक जोखिमों को कम करने के अलावा प्रबंधन, जमा और इक्विटी पर बेहतर रिटर्न देकर परिसंपत्तियों में वृद्धि दर्ज कर रहे है.
4. एसएफबी का एनपीए घटकर दिसंबर 2018 में 5-8 प्रतिशत रह गया है जो इन बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता संकेतकों में सुधार के संकेत हैं.
5. कोविड महामारी के बाद उपजी आर्थिक चुनौतियों में, एमएसएमई क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने में एसएफबी की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है.

यूनिवर्सल बैंकिंग की आवश्यकताः

यूनिवर्सल बैंकिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बैंक खुदरा, वाणिज्यिक और निवेश सेवाओं के अनुरूप व्यापक वित्तीय सेवायें प्रदान करते हैं. स्विटज. रलैण्ड समेत यूरोपीय देशों में यूनिवर्सल बैंकिंग काफी लोकप्रिय है.

लाभः

1. कम लागत, उच्च उत्पादन और बेहतर उत्पादों के रूप में अधिक आर्थिक क्षमता प्रदान करते हैं.
2. ये संस्थायें एकल ब्राण्ड के अंतर्गत अपनी वृहद शाखा नेटवर्क का लाभ उठाकर कई प्रकार की (सेवाओं को विविधीकरण) सेवायें प्रदान करती है.

वित्तीय समावेशन के लिये सरकारी प्रयासः

1. स्वतंत्रता पश्चात 19 जुलाई 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। इसके पहले निजी बैंकों में सीमित संख्या में उच्च वर्ग के लोग खाताधारक थे.
2. 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना प्रारम्भ की गई.
3. 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई.
4. 1998 में आर0वी0 गुप्ता समिति की सिफारिश पर किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई जिसके माध्यम से किसानों को कृषि के उद्देश्य से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके.
5. जनधन योजना के तहत शून्य जमाराशि पर समाज के कमजोर वर्गों का बैंक खाता खुलवाया गया है. 31 करोड़ से अधिक लोग इस योजना के लाभार्थी है.
6. डिजिटल पेमेण्ट को बढ़ावा देना डिजिटल इकोनॉमी के साथ ही वित्तीय समावेशन में सहायक है.

वित्तीय समावेशन के लाभः

विश्व बैंक की वित्तीय समावेशन डेटाबेस (ग्लो. बल फाइंडेक्स रिपोर्ट 2017) के अनुसार 2014 में अनुमानित 53 प्रतिशत भारतीय वयस्कों के अपेक्षा वर्तमान में 80 प्रतिशत वयस्कों के पास एक बैंक खाता है. वित्तीय समावेशन के निम्नलिखित लाभ है-

1. पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करने में सहायक जो अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को बढ़ाकर आर्थिक क्रियाकलापों में संवर्द्धन करता है.
2. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (**DBT**) को सफल बनाने में वित्तीय समावेशन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है. जिसने भ्रष्टाचार एवं सब्सिडी लीकेज को नियंत्रित किया है.
3. कमजोर वर्ग महिलाओं/अनुसूचित जाति/जनजा. ति के लोगों की बैंक/वित्तीय संस्थाओं तक पहुंच से उन्हें संस्थागत ऋण, बैंकिंग बीमा की सुविधाओं तक पहुँच बढ़ी.

चुनौतियाँ :

1. अभी भी सभी भारतीयों की बैंक तक पहुंच नहीं है. भारत**,** चीन के बाद गैर बैंकिंग आबादी के मामले में दूसरे नम्बर पर है. अभी भी लगभग 19 करोड़ लोगों के पास बैंक खाता नहीं है.
2. डिजिटल डिवाइड और वित्तीय समावेशन में लैंगिक अंतराल (जेण्डर गैप) ने वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को बाधित किया है.
3. डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल साक्षरता की कमी से वित्तीय जोखिमों में वृद्धि हुई है.

आगे की राह :

1. वित्तीय समावेशन हेतु डिजिटलीकरण की दिशा में बढ़ने के साथ ही देश में साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है.
2. एसएफबी को पर्याप्त पूंजी प्रदान की जाये जिससे एसएफबी अपने सामाजिक विकास के दायित्व पर अधिक फोकस कर पाये, न कि पूंजी निवेश कर परिसंपत्ति बनाने में.

सड़क को सुरक्षित बनाना

- **चर्चा में क्यों?**
- **पृष्ठभूमि**
- **भारत की स्थिति**
- **रोड एक्सीडेंट के कारण**
- **तमिलनाडु का सड़क सुरक्षा का मॉडल**
- **मोटर वाहन संशोधन अधिनियम**
- **अधिनियम की मुख्य विशेषताएं**
- **ब्रासीलिया घोषणापत्र**
- **सड़क सुरक्षा के लिए सुझाव**

चर्चा में क्यों?

हाल ही के दिनों में देश भर में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में तीव्र वृद्धि दर्ज की गयी है. कुछ दिन पूर्व आंध्रप्रदेश के कुन्नूर जिले में एक वैन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 14 यात्रियों की मौत हो गई थी. जबकि फरवरी में मध्यप्रदेश में 51 यात्रियों को ले जा रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 51 यात्रियों की मौत हो गई थी.

पृष्ठभूमि-

वर्ष 2019 में वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान "विश्व स्वास्थ्य संगठन' द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार – वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष 1.35 मिलियन से अधिक लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में होती है एवं 50 मिलियन से अधिक लोग गम्भीर रूप से घायल (अपंग भी) हो जाते हैं. रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश मौतें 5 से 29 वर्ष के व्यक्तियों की दर्ज की जाती हैं.

विश्व सड़क आँकड़े 2018 के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत संयुक्त राज्य अमेरि. का और जापान के बाद तीसरे स्थान पर है,जबकि दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में कुल 199 देशों में भारत पहले स्थान पर है.

सड़क सुरक्षा पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2010-2020 को सड़क सुरक्षा के लिये कार्रवाई का दशक घोषित किया है.

भारत की स्थिति - भारत में प्रतिवर्ष 1.5 लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में होती है, जो विश्व भर में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों का 11% है. यानि भारत में प्रतिदिन 415 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो जाती है.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अध्ययन के अनुसार वर्ष 2019 में देश भर में सड़क दुर्घटना में 1,51,113 लोगों की मृत्यु हुई थी. जबकि 4,51,361 लोग गम्भीर रूप से जख्मी हुए थे. राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग जो देश की कुल लम्बाई का महज 5% हैं, वहां देश की कुल 61% सड़क दुर्घटनाएँ घटित होती हैं. जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई मात्र 2% है और 35606 मौतें राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई हैं.

रोड एक्सीडेंट के कारण-

भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में -शहरीकरण की तीव्र दर, सुरक्षा के पर्याप्त. उपायों का अभाव, नियमों को लागू करने में विलंब, नशीली दवाओं एवं शराब का सेवन कर वाहन चलाना, सड़कों पर अंधे मोड़, सड़कों पर बढ़ता अतिक्रमण, ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता का अभाव, नियमों के उल्लंघन की प्रवृति (तेज गति से वाहन चलाते समय हेल्मेट और सीट-बेल्ट न पहनना) आदि शामिल हैं.

तमिलनाडु का सड़क सुरक्षा का मॉडल-

तमिलनाडु ने सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक मॉडल को प्रस्तुत किया. इस मॉडल के अंतर्गत सड़क को 2 किलोमीटर के ग्रिड में बांटकर सड़क दुर्घटनाओं के हॉटस्पॉट को चिन्हित

किया गया. तत्पश्चात सड़क दुर्घटना बाहुल्य (प्रोन)क्षेत्रों में एम्बुलेंस की तैनाती की गई ताकि घायलों को यथाशीघ्र उपचार मुहैया करवाया जा सके.

इस मॉडल का सकारात्मक परिणाम देखने को मिले और सड़क दुर्घटनाओं की संख्याओं में 38% जबकि मौतों की संख्या में 54% तक की कमी दर्ज की गई.

मोटर वाहन संशोधन अधिनियम–

1988 में बने 'मोटर वाहन संशोधन अधिनियम में 2019 में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से संशोधन कर प्रावधानों को कठोर बना दिया गया.

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं–

1. गोल्डन आवर पर विशेष बल –

a- केंद्र सरकार 'गोल्डन आवर' के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का कैशलेस उपचार प्रदान करने की एक योजना भी विकसित करेगी.

क्या है गोल्डन ऑवर

'गोल्डन आवर' घातक चोट के बाद की एक घंटे की समयावधि होती है जब तत्काल मेडिकल देखभाल द्वारा मृत्यु से बचाव की संभावना सबसे अधिक होती है.

b- दुर्घटना के समय पीड़ित व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा प्रदान करने में सहायता करने वाले व्यक्ति (समैरिटन) को सहूलियत प्रदान करते हुए अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि यदि सहायता करते हुए पीड़ित की मृत्यु हो जाए तब भी गुड समैरिटन किसी प्रकार की कार्रवाई के लिये उत्तरदायी नहीं होगा.

अभी तक कानूनी कार्यवाही से बचने के कारण लोग सड़क दुर्घटना में घायलों को उपचार के लिए सहायता देने से कतराते थे. जिसके कारण दुर्घटना में घायलों में मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है.

2. केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से सभी भारतीय सड़क प्रयोगकर्त्ताओं को बीमा कवर प्रदान करने के लिये मोटर वाहन दुर्घटना कोष की स्थापना करेगा.

3. **अपराध और दंड–** अधिनियम में विभिन्न अपराधों के लिये दंड को बढ़ाया गया है. जैसे–

a- शराब या ड्रग्स के नशे में वाहन चलाने पर अधिकतम दंड 2,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है.

b- बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, गाड़ी का बीमा न होने पर चालान के नियमों को कठोर बनाते हुए आर्थिक दण्ड में 10 गुना तक की वृद्धि कर दी गई है.

c- अगर वाहन विनिर्माता मोटर वाहनों के निर्माण या रखरखाव के मानदंडों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक का दंड या एक वर्ष तक का कारावास या दोनों सजा दी जा सकती है.

d- अगर कॉन्ट्रैक्टर सड़क के डिजाइन के मानदंडों का अनुपालन नहीं करता है तो उसे एक लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

e- साथ ही केंद्र सरकार अधिनियम में उल्लिखित जुर्माने को हर साल 10 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है.

राज्यों द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम को लागू न करने के कारण अधिकांश राज्यों (बीजेपी शासित राज्य गुजरात जैसे राज्य भी शामिल) ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 को लागू करने में निष्क्रियता की नीति अपनाई.

जिसके पीछे निम्न कारक उत्तरदायी थे –

1. मोटर वाहन समवर्ती सूची का विषय है. जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रावधान के अनुसार, राज्य सरकारों पर इसे लागू करने का कोई दबाव नहीं है किंतु अगर वे इसे लागू करते हैं तो केंद्र सरकार सहयोग करेगी.

2. विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के कारण अपनी शक्तियों के कम होने संबंधी चिंता है. अन्य पहलू के अंतर्गत राजनीतिक विरोध की रणनीति भी नजर आती है.

3. कठोर आर्थिक दण्ड के कारण जनता में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम को लेकर नाराजगी देखने को मिली. विशेषज्ञों द्वारा इसे भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले कदम के रूप में देखा गया, जो पुलिस को अवैध धन उगाई का एक व्यवस्थित तंत्र प्रदान कर देगा.

4. कुछ राज्यों ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम को संशोधित रूप में लागू किया जैसे- गुजरात ने जन भावनाओं के मद्देनजर जुर्माने के प्रावधान में भारी कटौती कर दी है, पश्चिम बंगाल ने भी भरी आर्थिक दण्ड को लागू करने से इंकार कर दिया है. कर्नाटक और केरल प्रावधानों को नम्य बनाने की संभावना का अध्ययन कर रहे हैं जबकि अन्य राज्य भी ऐसे ही रक्षात्मक उपाय अपना रहे हैं.

ब्रासीलिया घोषणापत्र

वर्ष 2015 में, भारत ने सड़क सुरक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र ब्रासीलिया घोषणापत्र को अपनाया. इसके तहत भारत ने वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं और इनसे होने वाली मौतों को आधा करने की प्रतिबद्धता जताई थी. भारत ने अपनी नीति में संशोधन करते हुए इस लक्ष्य को 2025 तक विस्तारित कर दिया है.

सड़क सुरक्षा के लिए सुझाव-

1. न्यूनतम गति सीमा को कम करना- 6 अगस्त 2018 को केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर एक्सप्रेस वे और हाइवे पर न्यूनतम गति सीमा को बढ़ाकर 120 किलोमीटर/ घंटा और 100 किलोमीटर/ घंटा कर दिया था. जिस पर मद्रास उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी. कोर्ट ने अपने निर्णय के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि 2017 में दर्ज की गई कुल सड़क दुर्घटनाओं में 67% , 2018 में 55.73% और 2019 में 64.4% भागीदारी तीव्र गति से वाहन चलाने के कारण हुई दुर्घटनाओं की थी.

2. दृश्यता को बढ़ाने पर जोर दिया जाए - दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा गठित 'एक्सीडेंट रिसर्च सेल'ने पाया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क दुर्घटना में हुई मौत का कारण ड्राइवर द्वारा झाड़ियों की वजह से दृश्यता (विजिबिल्टी) कम हो गई थी. अत: सड़कों पर अवैध अतिक्रमण, होर्डिंग, झाड़ियों, वृक्षों को हटाकर, अंधे मोड़ों को खत्म कर दृश्यता में वृद्धि द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है.

3. ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए.

4. नागरिकों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता पैदा की जाए.

5. सड़क अवसंरचना (सड़क की मरम्मत, रखरखाव, 10 किलोमीटर पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता) में सुधार किया जाए. सड़क सुरक्षा संबंधी नवाचार को बढ़ावा दिया जाये. वाहनों में गति की अधिकतम सीमा को नियंत्रित किया जाये.

6. दुर्घटना प्रोन क्षेत्रों की पहचान कर वहां मेडिकल सेवाएँ प्रदान की जाए जैसा तमिलनाडु ने सफलतापूर्वक कर दिखाया है.

चीन भूटान सीमा समझौता और इसके भारत के लिए मायने :

- चर्चा में क्यों?
- भारत की चिंता क्या है
- क्यों महत्वपूर्ण है डोकलाम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर
- क्या है भारत कि तैयारियां
- भारत और भूटान बीच चीन कि भूमिका
- भारत और भूटान के मजबूत संबंध

चर्चा में क्यों ?

भूटान और चीन के बीच हाल ही में कई वर्षों से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक 'थ्री-स्टेप रोडमैप' के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं. चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद को खत्म करने के लिए 1984 से अब तक 20 से अधिक दौर की वार्ता हो चुकी है. हाल के समय में भूटान के लिए चीन से सीमा विवाद को सुलझाने के लिए वार्ता बढ़ाने की जरूरत बढ़ गई थी जिसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं. पिछले साल जब भूटान के एक वन्यजीव अभयारण्य को ग्लोबल फाइनेंशियल फैसिलिटी के द्वारा वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया था तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल की 58वीं बैठक में चीन ने भूटान के सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य की जमीन को विवादित बताया. साथ ही इस पर अपने अधिकार का दावा करते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए होने वाली फंडिंग का भी विरोध किया. भूटान ने चीन की इस हरकत का उस समय कड़ा विरोध किया था. भूटान ने कहा तब कहा था कि हम साफ कर देना चाहते हैं कि यह जमीन हमारे देश का अटूट हिस्सा है. वास्तविकता यह है कि इस वन्य जीव अभ्यारण्य की भूमि को लेकर चीन और भूटान के बीच कोई विवाद नही रहा है लेकिन दोनों देशों के बीच अभी भी सीमाएं निर्धारित नही होने की बात का फायदा चीन उठाने की कोशिश कर रहा था.

भारत की चिंता क्या है?

चीन का ऐसा दावा भारत के लिए भी चिंता का विषय बना था क्योंकि सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे भूटान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 650 वर्ग किमी में फैला राष्ट्रीय उद्यान है और यह अरुणाचल के सेला पास से करीब 17 किमी की दूरी पर है. इसके अलावा पिछले साल सूचना इस बात की भी आई थी कि चीन ने भूटान में अपने गाँव तक स्थापित कर लिए हैं. इन बातों से स्पष्ट है कि भूटान के ऊपर चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर वार्ता का भी दबाव था और उसी के परिणामस्वरूप भूटान जो अब तक सामरिक, कूटनीतिक, आर्थिक फ्रंट पर चीन से दूरी बनाता रहा है , वह सीमा विवाद के समाधान के लिए वार्ता करने पर सहमत हुआ है. दरअसल भूटान चीन के साथ 400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करता है. जिन दो इलाकों को लेकर चीन और भूटान के बीच ज्यादा विवाद है, उनमें से एक भारत-चीन-भूटान ट्राइ. जंक्शन के पास 269 वर्ग किलोमीटर का इलाका और दूसरा भूटान के उत्तर में 495 वर्ग किलोमीटर का जकारलुंग और पासमलुंग घाटियों का इलाका है. पश्चिमी भूटान में 269 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लेकर भूटान और चीन के बीच जिन क्षेत्रों को लेकर सीमा विवाद रहा है उनमें शामिल हैं :डोकलाम , सिंचुलुंग , ड्रामाना और शाखातो. इन को लेकर चीन ने 1996 में भूटान के सामने विवाद निस्तारण का प्रस्ताव रखते हुए एक पैकेज डील का प्रस्ताव रखा था जिसके तहत चीन ने यह ऑफर किया था कि वह उत्तरी भूटान में पासामलुंग और जकारलुंग घाटियों पर अपने दावे त्याग कर देगा अगर भूटान डोकलाम क्षेत्र को चीन को सौंप देता है.

क्यों महत्वपूर्ण है डोकलाम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर-

अब यदि सीमा विवाद सुलझाने के क्रम में फिर से भूटान चीन के इस प्रस्ताव पर विचार करता है और डोकलाम को चीन को सौंपने पर पर विचार करता है तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि डोकलाम पठार भारत के राज्य सिक्किम ,भूटान

की हा घाटी और तिब्बत के चुंबी घाटी के त्रिकोण ीय बिंदु पर स्थित है. चीन भूटान से पैकेज डील के तहत डोकलाम का जो इलाका मांग रहा है, वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है.

डोकलाम से सिलीगुड़ी गलियारे की दूरी महज 80 किलोमीटर है. सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन्स नैक भी कहा जाता है, वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए भारत का मुख्य रास्ता है और अगर चीनी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब आते हैं तो यह भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा क्योंकि यह पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी के लिए खतरा बन सकता है. इसके अलावा भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा व्यापार के लिहाज से भी चिकेन्स नेक की महत्वपूर्ण भूमिका है. चिकन नेक उस इलाके को कहते हैं जोकि सामरिक दृष्टि से किसी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन संरचना के आधार पर कमजोर होता है. सिलीगुड़ी ऐसा ही क्षेत्र है. डोकलाम से सिलीगुड़ी की दूरी महज 80 किलोमीटर है. 200 किलोमीटर लंबा व 60 किलोमीटर चौड़ा यह कॉरिडोर देश की सुरक्षा के लिए काफी अहम है.

क्या है भारत कि तैयारियां-

चीन से हालिया तनाव होने के बाद केंद्र सरकार ने भारत के चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अपना निर्माण कार्य तेज कर दिया है. जलपाईगुड़ी के पास तीस्ता नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है. तीस्ता नदी पर नए पुल के बनाने की योजना के साथ ही बंगराकोट से गंगटोक (सिक्किम) तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ने भी रफ्तार पकड़ी ली है. सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि जलपाईगुड़ी के समीप तीस्ता नदी पर दूसरे पुल (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27) का निर्माण अंतिम चरण में है.

तीन साल पहले भूटान के डोकलाम सड़क निर्माण को लेकर चीन व भारत में विवाद बढ़ गया था. डोकलाम में यदि चीन सड़क बनने में कामयाब होता है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) तक उसकी पहुंच आसान हो जाएगी. इस कॉरिडोर के बंद होने से भारत का संपर्क पूर्वोत्तर राज्यों से पूरी तरह से कट जाएगा. सामरिक दृष्टि से यह इलाका भारत के लिये बेहद अहम है, इसलिए सरकार डोकलाम में सड़क निर्माण के सख्त खिलाफ है.

भारत और भूटान के बीच चीन की भूमिका-

दरअसल भारत और भूटान के बीच जिस तरीके से मजबूत द्विपक्षीय संबंध दिखाई दिए हैं उस में खलल डालने की कोशिश चीन करता रहा है. भूटान चीन की विस्तारवादी नीतियों का समर्थन नहीं करता. वह वन बेल्ट वन रोड इनीशिएटिव का कभी समर्थन नहीं करता. भूटान ने चीन के साथ कूटनीतिक राजनयिक संबंध नहीं बनाए हैं और चीन का कोई स्थाई दूतावास या कॉन्स्युलेट ऑफिस भूटान में नहीं है. अब स्थिति में चीन चाहता है कि भूटान उससे आर्थिक सहायता ले ऋण ले, अपने यहा अवसंरचना विकास में साझेदार बनाये जिससे भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सके. मुद्दा यह है कि भूटान ने भारत को अपने सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर और डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में हमेशा से वरीयता दी है और यह बात चीन को बुरी लगती है. भूटान में भारत के हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को विश्वास की नजर से देखा जाता है जबकि चीन के किसी भी प्रस्ताव को सौदेबाजी या संदेह की नजर से देखा जाता है.

भारत और भूटान के मजबूत संबंध-

आठ लाख की आबादी वाले देश भूटान की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है. वह काफी हद तक भारत को होने वाले निर्यात पर ही निर्भर है. वर्ष 2000 से 2017 के बीच भूटान को भारत से बतौर सहायता लगभग 4.7 बिलियन डालर मिले, जो भारत की कुल विदेशी सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा था. वर्ष 1961 में भारत के सीमा सड़क संगठन द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट दंतक किसी विदेशी धरती पर राष्ट्र निर्माण के लिए शुरू किया गया सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है. भारतीय सहायता से ही भूटान के तीसरे नरेश जिग्मे दोरजी वांगचुक ने भूटान योजना आयोग की नींव रखी थी और तब से भारत भूटान में चलने वाली योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता देता रहा है, ताकि संसाध नों की कमी के कारण भूटान का विकास न रुके. अब तक भारत सरकार ने भूटान में कुल 1416 मेगावाट की तीन पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण में सहयोग किया है और ये परियोजनाएं चालू अवस्था में हैं तथा भारत को विद्युत निर्यात कर रही हैं. भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है. वर्ष 2018 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 9228 करोड़ रुपए का था. इसमें भारत से भूटान को होने वाला निर्यात 6011 करोड़ रुपए तथा भूटान से भारत को होने वाला निर्यात 3217 करोड़ रुपए दर्ज किया गया.

भारत और भूटान के बीच वर्तमान द्विपक्षीय वार्षिक व्यापार 1144 मिलियन डॉलर (2019-20 वित्त वर्ष) है जो कि भूटान के कुल व्यापार के 85 प्रतिशत से भी अधिक है.

NOTES

ध्येयIAS

प्रवासी पक्षियों का संरक्षण और भारत

- चर्चा में क्यों?
- प्रवासी पक्षियों के लिए भारत की संवेदनशीलता के प्रयास
- क्यों करते हैं पक्षी प्रवास
- प्रवासी पक्षियों के संरक्षण पर भारत का रुख
- पर्यटन को बढ़ावा देते है प्रवासी पक्षी
- क्या है उड़ान मार्ग
- कौन कौन से प्रवासी पक्षी आते हैं भारत

चर्चा में क्यों ?

9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस (वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे) मनाया गया था. इस बार संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की मुख्य थीम का काफी संवेदनशीलता के साथ तय किया. इस साल की. थीम है : सिंग, फ्लाई, सोर लाइक ए बर्ड है. यह दिवस प्रवासी पक्षियों के हालात को जानने उनसे सहानुभुति रखते हुए उनके संरक्षण की दिशा में किये जा रहे कार्यों को आगे बढ़ाने का दिन है. इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने इस साल प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए जो कैम्पेन चुना है उसमें सबसे अधिक फोकस बर्ड सांग और बर्ड फ्लाइट पर किया गया है.

प्रवासी पक्षियों के लिए भारत की संवेदनशीलता के प्रयास-

भारत जैवविविधता के संरक्षण के लिए हाल के वर्षों में काफी सजग हुआ है. भारत के मूल प्राकृतिक आवास वाले जीव जंतु हों या प्रवासी जीव जंतु और पक्षी इनके संरक्षण की दिशा में कार्य करने की रणनीति भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बनाई है.

भारत के प्रमुख पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठनों ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इन संगठनों ने स्वतंत्र अनुसंधानों, अध्ययनों, रिपोर्टों के जरिये जीव जंतुओं के सामने आए बड़े संकटों के प्रति सरकार और समाज को आगाह किया है. इसी कड़ीं में भारत हाल के समय में प्रवासी पक्षियों के सामने आए संकट और उनके समाधान के लिए भी संवेदनशील हुआ है.

क्यों करते हैं पक्षी प्रवास -

प्रवास किसी को पसंद नही होता, सबको पसंद होता है मूल आवास या मूल निवास स्थान. लेकिन मूल आवास पर चाहे व्यक्ति हो या पशु पक्षी उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती तो उसे प्रवास करना ही पड़ता है. पशु पक्षियों को प्रवासी बनने में जो कारक सबसे अहम भूमिका निभाते हैं वो हैं कठोर जलवायु या पर्यावरण की दशाएं जिनसे अनुकूलन कर पाना पशु पक्षियों के लिए मुश्किल हो जाता है और वो प्रवास कर जाते हैं. खाने पीने की कमी , बच्चे पैदा करने के लिए आदर्श आवासों की तलाश में भी पशु पक्षियों को प्रवास करना पड़ता है। प्रवास के दौरान पक्षियों और पशुओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें हजारों मील उड़ते हुए सागरों, महासागरों, नदियों, झीलों, झरनों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, जंगलों, हवा के तेज थपेड़ों को पार करते हुए अपने गंतव्य तक पहुँचना होता है.

प्रवासी पक्षियों के संरक्षण पर भारत का रुख-

प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के महत्व पर विचार करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फरवरी, 2020 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित प्रवासी प्रजातियों पर 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन (सीएमएस सीओपी 13) के उद्घाटन समारोह के दौरान कहा था कि भारत सभी मध्य एशियाई फ्लाईवे रेंज देशों के सक्रिय सहयोग के साथ प्रवासी पक्षियों के संरक्षण को एक नए प्रतिमान तक ले जाने का इच्छुक है, और उसे मध्य एशियाई उड़ान मार्ग पर प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए अन्य देशों के लिए कार्य योजना की तैयारियों को सुगम करते हुए प्रसन्नता होगी. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि 'भारत में जैव विविधता के चार आकर्षण है-पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत-म्यांमार क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो विश्व से आने वाले प्रवासी पक्षियों की 500 प्रजातियों का वास है. इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु थी 'प्रवासी प्रजा. तियां दुनिया को जोड़ती हैं और हम उनका अपने यहां स्वागत करते हैं. मध्य एशियाई उड़ान मार्ग (सीएएफ) में प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण कार्यों को मजबूती देने के संकल्प के साथ इसके रेंज देशों की दो दिवसीय ऑनलाइन बैठक कुछ ही रोज पहले (6 अक्टूबर को) शुरू हुई थी.

पर्यटन को बढ़ावा देते है प्रवासी पक्षी-

जब 22 हजार किलोमीटर की सबसे लंबी यात्रा करने वाला प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन नागालैंड के वोखा नागा पांगती गावों में पहुँचता है तो वहां पर्यटन का एक अलग ही आलम होता है. आधे घंटे के अंदर इन गांवों में मिलियंस की संख्या में अमूर फाल्कन साइबेरिया और उत्तरी चीन मंगोलिया से होते हुए पूर्वोत्तर भारत और आगे दक्षिण अफ्रीका तक ठंडियों के मौसम में पहुँचते हैं. वहीं साइबेरियन क्रेन बर्फ के सफेद रंग के पक्षी हैं और सर्दियों के दौरान भारत आते हैं. ये क्रेन सर्वभक्षी हैं और रूस और साइबेरिया के आर्कटिक टुंड्रा में प्रजनन करते हैं. साइबेरियन क्रेन या स्नो क्रेन भारत के भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में विस्थापित प्रवासी पक्षियों की गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में जाने जाते हैं.

दुनिया की 11,000 पक्षी प्रजातियों में पांच में से तकरीबन 1 प्रजाति माइग्रेट करती है, जिनमें से कुछ तो बहुत अधिक दूरी तय करती हैं. इन प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए देशों और राष्ट्रीय सीमाओं के बीच पूरे उड़ान मार्ग के सा. थ-साथ सहयोग और समन्वय की आवश्यकता होती है. भारत में आने वाले कुछ प्रमुख प्रवासी पक्षियों में बार-हेडेड गूज, स्टेपी ईगल, यूरेशियन कर्लेव, व्हाइट वैगेट, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेब, कॉमन ग्रीनशंक और यूरेशियन कूट शामिल हैं.

क्या है उड़ान मार्ग -

मध्य एशियाई उड़ान मार्ग (सीएएफ) आर्कटिक और हिंद महासागरों के बीच यूरेशिया के एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है. इस उड़ान मार्ग में पक्षियों के कई महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग शामिल हैं. भारत समेत, मध्य एशियाई उड़ान मार्ग के अंतर्गत 30 देश आते हैं. जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार, भारत में प्रवासी पक्षियों के तीन फ्लाईवे (पक्षियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले उड़ान मार्ग) हैं: पहला , मध्य एशियाई फ्लाईवे दूसरा , पूर्वी एशियाई फ्लाईवे और तीसरा , पूर्वी एशियाई-ऑस्ट्रेलियाई फ्लाईवे. भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया में प्रवासी पक्षियों के नेटवर्क का अहम हिस्सा माना जाता है. मध्य एशिया का यह क्षेत्र आर्कटिक से लेकर हिन्द महासागर तक के इलाके में फैला हुआ है. इस क्षेत्र में 182 प्रवासी समुद्री पक्षियों के करीब 297 आवासीय क्षेत्र हैं. इन प्रजातियों में दुनिया की 29 संकटापन्न प्रजातियां भी शामिल हैं.

कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज (जिसे बान कन्वेंशन भी कहते हैं) के मुताबिक , भारत के प्रवासी जीवों से जुड़े नवीनतम आँकड़ों को देखें तो इसमें पक्षियों की हिस्सेदारी 83 प्रतिशत है. उल्लेखनीय है कि माइग्रेटरी स्पीसीज से जुड़े कोप -13 (गांधीनगर) के आंकड़े कहते हैं कि प्रवासी पक्षी प्रजातियों की संख्या अब भारत में 380 तक पहुँच गई है.

कौन कौन से प्रवासी पक्षी आते हैं भारत-

पक्षी वर्ग में मूसिकैपिडे से संबंधित प्रवासी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है. प्रवासी पक्षियों की सर्वाधिक संख्या वाला दूसरा समूह राप्टर्स या एक्सीपीट्रिडे वर्ग के उल्लू, गिद्ध और चील जैसे शिकारी पक्षियों का है. बड़ी संख्या में प्रवास करने वाले पक्षियों का एक अन्य समूह वेडर या जलपक्षियों का है. भारत में इन प्रवासी पक्षी प्रजातियों की संख्या 41 है, इसके बाद ऐनाटीडे वर्ग से संबंधित बत्तखों का स्थान आता है जिनकी संख्या 38 है.

उल्लेखनीय है कि भारत 1983 से ही सीएमएस कन्वेशन पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में से रहा है. भारत सरकार प्रवासी समुद्री पक्षियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है. संरक्षण योजना के तहत तहत इनमें डुगोंग, व्हेल शार्क और समुद्री कुछुए की दो प्रजातियों की भी पहचान की गयी है.

भारत कई किस्म के प्रवासी वन्य जीवों जैसे बर्फीले प्रदेश वाले चीते, आमुर फाल्कन, बार हेडेड गीज, काले गर्दन वाला सारस, समुद्री कछुआ, डुगोंग्स और हम्पबैक व्हेल आदि का प्राकृतिक आवास है और साइबेरियाई सारस के लिए 1998 में, समुद्री कछुओं के लिए 2007 में, डुगोंग्स के लिए 2008 में और रेप्टर्स के संरक्षण के लिए 2016 में सीएमएस के साथ कानूनी रूप से अबाध्यकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर चुका है.

प्रवासी पक्षी विश्व पर्यावरण की अमूल्य संपदा हैं, वो इस बात का संदेश देते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों और दुर्गम से दुर्गम रास्तों के बीच उम्मीदों का डेरा कैसे डाला जाता है. जरूरत इस बात की है कि प्रवासी पक्षियों के उड़ान के वैश्विक मार्गों को अवरोधों से मुक्त रखा जाए. विभिन्न देशों के पर्यावरण मंत्रालय इसमें आपसी सहमतियां बनाएं. प्रवासी पक्षियों को पर्यटन के उत्पाद की दृष्टि से ऊपर उठकर देखना होगा.

NOTES

ध्येयIAS

भारतीय संघवाद में मजबूत केंद्र कितना आवश्यक

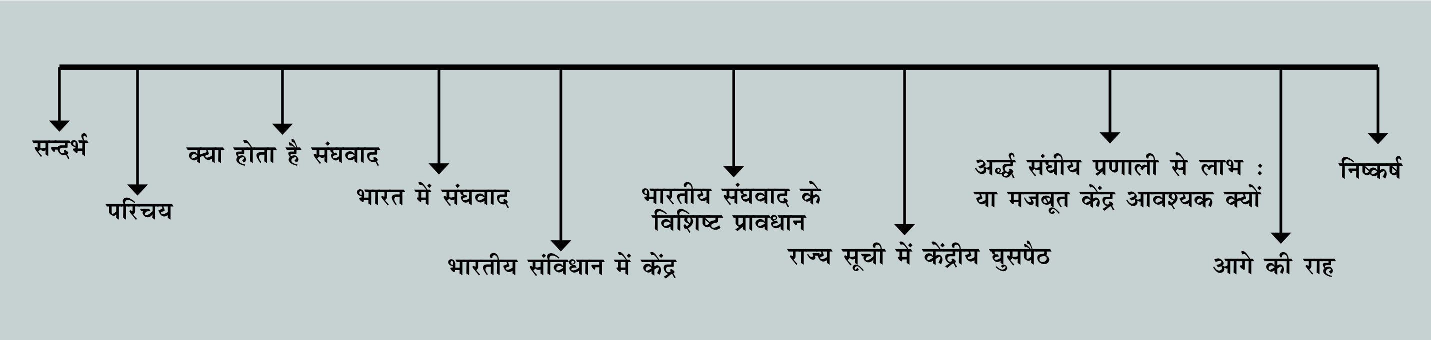

सन्दर्भ :-

हाल ही में आंध्रप्रदेश के मुख्य विपक्षी दल तेलगूदेशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्र बाबू नायडू ने आंध्रप्रदेश सरकार पर राज्य प्रायोजित आतंकवाद का आरोप लगाया है तथा केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए आपातकाल लगाने की मांग की है. इससे एक बार फिर भारतीय संघवाद में मजबूत केंद्र की आवश्यकता प्रतीत हुई है.

परिचय :-

हाल ही में आँध्रप्रदेश की मुख्य विपक्षी दल तेलगू देश म पार्टी के अध्यक्ष चंद्र बाबू नायडू ने आंध्रप्रदेश के सरकार पर राज्य प्रायोजित आतं. कवाद का आरोप लगते हुए तेलगू देश म पार्टी के ऑफिस पर हुए हमलो की सी.बी.आई जांच की मांग की है. इस दौरान चंद्र बाबू नायडू ने आंध्रप्रदेश सरकार पर विपक्षी दल,किसान, चुनाव आयोग तथा न्यायालय जैसी संवैधानिक संस्थाओ के हितो पर अतिक्रमण का आरोप लगाया है. इसके साथ ही इन्होने राज्य में कानून व्यवस्था की बहाली के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए आपातकाल लगाने की मांग की है. इससे भारतीय संघवाद में मजबूत केंद्र की अवधारणा बलवती होती है.

पिछले कुछ समय से राज्यों में आपातकाल (भूतपूर्व जम्मू-काश्मीर राज्य), कई राज्यों में राज्यपाल के कर्तव्यों (महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल इत्यादि), संघ राज्य क्षेत्रो (दिल्ली तथा पांडिचेरी) में उप राज्यपाल के गतिविधियों, नागरिकता कानूनों तथा जीएसटी के क्षतिपूर्ति समेत कई मुद्दों पर केंद्र तथा राज्य में टकराव की स्थिति देखने को भी मिली है.

क्या होता है संघवाद ?

संघवाद (**Federalism)** लैटिन शब्द '**Foedus***' है जिसका अर्थ है एक प्रकार का समझौता. संघवाद मुख्य रूप से सत्ता की साझेदारी से संबधित है.संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम-से-कम दो स्तर मौजूद हों. संघवाद की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्धृत हुई है. वर्तमान विश्व में मूल रूप में दो प्रकार की संघवादीय प्रणाली चर्चा में है -

1- **होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन:-** इस प्रकार की पद्धति में संघ द्वारा इकाइयों का निर्माण किया जाता है. यहाँ शक्ति मुख्य रूप से केंद्र की तरफ झुकी होती है. उदाहरण के लिए भारत, स्पेन, बेल्जियम इत्यादि.

2- **कमिंग टुगेदर फेडरेशन:-** संघवाद की इस पद्धति में स्वतंत्र इकाइयां परस्पर मिलकर संघ का निर्माण करते हैं. यहाँ शक्ति मुख्य रूप से इकाइयों की तरफ होती है तथा इकाइयां अधिक स्वायत्त होती हैं.

भारत में संघवाद :-

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1

1 (1) भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ (यूनियन) होगा.

(2) राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं.

अत: यह स्पष्ट है कि भारत में राज्यों का निर्माण केंद्र द्वारा किया गया है.

भारत में त्रिस्तरीय संघवाद है. यहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है. यद्यपि व्यवहार में मात्र द्विस्तरीय संघवाद को स्वीकारा जाता है क्योंकि स्थानीय सरकारों की राज्य सरकारों पर वित्तीय तथा प्रशासनिक निर्भरता अधिक है.

भारतीय संविधान में केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है जिसके कारण इसे अर्द्धसंघ भी कहा जाता है.

NOTES

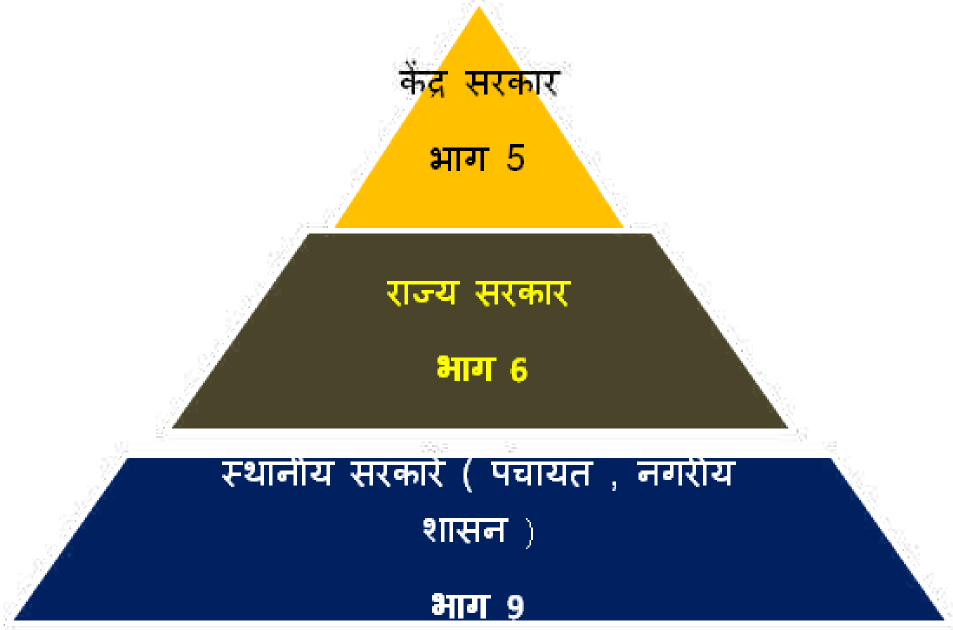

भारतीय संविधान में केंद्र - राज्यसम्बन्ध :-

संविधान में विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय संबंधों के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया है.

- **विधायी सम्बन्ध** - संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 मेंकेन्द्र-राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है.
- **प्रशासनिक सम्बन्ध** - संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 तक में केन्द्र-राज्य प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है.
- **वित्तीय सम्बन्ध** - संविधान के अनुच्छेद 268 से 293 तक में केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है.

भारतीय संघवाद के विशिष्ट प्रावधान :-

प्रधानत: भारत के संविधान में संघात्मक संविधान की सभी आवश्यक विशेषताएँ विद्यमान हैं. किंतु भारतीय संघात्मक संविधान में कुछ विशिष्ट प्राविधान है जिनका समावेश अन्य संविधानों के कार्य संचालन से उत्पन्न कठिनाइयों तथा भारत के विकास के परिपेक्ष्य को दृष्टिगत करके किया गया है. इन विशेष प्रावधानों के कारण के.सी. व्हेयर ने भारतीय संघवाद को क्वासीफेडरल या अर्ध संघीय संविधान की उपमादी है.

एकल संविधान:

सामान्य रूप से संघीय सरकारों में दोहरे संविधान की व्यवस्था होती है परन्तु भारतीय संघवाद ने केवल एक ही संविधान को अंगीकार किया है. भारत में राज्यों को पृथक रूप से संविधान की अनुमति नहीं है. यद्यपि अपवाद स्वरूप 2019 तक (अनुच्छेद 370 के विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत) भूत पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य का पृथक संविधान था.

निर्माण की प्रक्रिया :-

भारतीय संविधान "फेडरेशन ऑफ स्टेट" नहो कर "यूनियन ऑफ स्टेट" है. (अनुच्छेद 1)अर्थात भारतीय संघ द्वारा राज्यों का निर्माण किया गया है न कि राज्यों द्वारा संघ का निर्माण हुआ है. भारत में राज्यों का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर है.

मजबूत केंद्र की अवधारणा :-

केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तियाँ दी गई हैं और उसे अधिक मजबूत बनाया गया है. उदाहरण के लिए अनुच्छेद 2 और 3 में राज्यों के अस्तित्व को कें‍द्रीय शक्ति के अंतर्गत किया गया है, आपातकालीन प्रावधान के दौरान संविधान ने केंद्र को अधिक शक्ति दी है.

एकल नागरिकता:

भारत में संघ और राज्यों के लिये अलग-अलग नागरिकता नहीं प्रदान की गई है तथा अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता के सम्बन्ध में समस्त शक्तियां केंद्र में निहित हैं (संविधान के भाग II के तहत एकल नागरिकता का प्रावधान). जबकि. अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है वहां का नागरिक अमेरिका के साथ साथ अपने सम्बद्ध राज्यों का भी निवासी होता है.

संस्थाएं :-

भारत में अखिल भारतीय सेवाएं, चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग जैसी लोकतान्त्रिक संस्थाओ पर केंद्र का नियंत्रण रहता है.

अर्ध संघीय प्रणाली की समस्याएं:

जो संघवाद में परिवर्तन को अपरिहार्य बनाती हैं

आपातकालीन शक्तियों का प्राय: प्रयोग :-

- देश में बहुदलीय संसदीय प्रणाली की व्यवस्था तथा राजनैतिक महत्वाकांक्षा के कारण कई बार भारतीय केंद्र सरकारों द्वारा प्राय: संविधान के अनुच्छेद-356 का दुरुपयोग कर राज्य विधान सभाओ को भंग किया जाता है.यह न सिर्फ राज्य के जना देश का अपमान है बल्कि बार-बार होने वाले चुनाव से राज कोष पर वित्तीय बोझ भी बढ़ता है.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 :-

- यह राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध करता है इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है. राष्ट्रपति की यह शक्ति कैबिनेट के सलाह पर आधारित है.
- इस अनुच्छेद का पहली बार 31 जुलाई 1957 में प्रयोग किया गया था, जब लोकतांत्रिक चुनाव द्वारा चुनी गई केरल की कम्युनिस्ट सरकार बर्खास्त की गई थी.

निम्न परिस्थितियों में अनुछेद 356 का प्रयोग किया जाता है

- जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो जाए.
- राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन न करें (अनुच्छेद 365)
- किसी कारण से राज्य में चुनाव न हो पाए.
- राज्य सरकार की कानून व्यवस्था स्थापित करने में असमर्थ हो.

राज्यपाल की संदिग्ध भूमिका :-

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-154 के अनुसार राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं.

• राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख तथा राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में दोहरी भूमिका में रहता है जिसके कारण स्थिति अत्यंत दुरूह हो जाती है.

• कुछ समय पूर्व में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी (तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद की उमीदवार) सहित दो अन्य विधायकों को शपथ ग्रहण कराने के लिए वहां के राजभवन (राज्यपाल का निवास) तथा सत्ताधारी दल में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. प्राय: ऐसा कई मामलो में देखा जा चुका है.

• ऐसे में राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री में तनाव राज्य के विकास को बाधा पहुंचाता है.

राज्य सूची में केंद्रीय घुसपैठ :-

• संविधान लागू होने के उपरांत से निरंतर केंद्र सूची तथा समवर्ती सूची के विषय बढ़ रहे हैं तथा राज्य सूची के विषय कम हो रहे हैं। शिक्षा जैसे विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डालने से तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में तीव्र वृद्धि द्वारा भी केंद्र सरकार ने राज्य सूची तथा राज्य की शक्तियों में घुसपैठ के रूप में देखा जा रहा है.

• हाल ही में केंद्रीय संसद द्वारा कृषि में सुधार के लिए 3 अधिनियम को अधिनियमित किया गया है जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है.

असंतुलित वित्तीय शक्तियां :-

• आयकर, निगम कर जैसे महत्वपूर्ण कर केंद्र के पास हैं. करो के वितरण उपलब्ध संवैधानिक निकाय (वित्त आयोग) का निर्माण केंद्र सरकार (राष्ट्रपति) द्वारा किया जाता है.

• इसके साथ ही राज्यों को दिए जाने वाले अन्य अनुदानों (भूतपूर्व योजना आयोग द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों सहित) में भी केंद्र सरकार का भेदभाव पूर्ण रवैया दिखता है. ऐसे में यह मुद्दा भी विवाद को जन्म देता है.

हालिया विवाद :-

• नागरिकता संसोधन अधिनियम के मुद्दे पर केंद्र तथा कुछ राज्य यथा केरल, पंजाब ने संसद के विरुद्ध अपनी विधानसभाओ से प्रस्ताव पारित किये.

• कोरोना के कारण हुए उपभोग में क्षति के कारण राज्यों को जीएसटी में क्षति हुई. परन्तु केंद्र सरकार यह क्षतिपूर्ति नहीं देना चाहती थी.

• कोरोना के दौरान राज्यों को और अधिक संसाधनों की आवश्यकता हुई. तथा केंद्र ने उत्तरदायित्व राज्यों की तरफ विस्थापित किया.

उपरोक्त परिस्थितियों के उपरान्त भी भारत में ऐसे कई मुद्दे हैं जो मजबूत केंद्र की प्रासंगिकता सिद्ध करते हैं.

अर्द्ध संघीय प्रणाली से लाभ या मजबूत केंद्र आवश्यक क्यों :-

संविधान सभा का तर्क :-

संविधान सभा में जब संघवाद के स्वरूप पर विचार चल रहा था तब संविधान सभा द्वारा तर्क दिया गया कि "चूंकि भारत एक शिशु गणतंत्र की अवस्था में है, अत: देश के तीव्र एवं सर्वमुखी विकास एवं उन्नति के लिए समय समय पर कठिन ,तीव्र निर्णयों की आवश्यकता पड़ सकती है जिसके लिए मजबूत केंद्र आवश्यक है".

राष्ट्रीय एकता की स्थापना :-

• क्षेत्रवाद के तत्व अभी भी भारत में हैं उदा. हरण के लिए 2017 में गोरखालैंड की मांग, तेलंगाना-आंध्रप्रदेश विवाद, मध्यप्रदेश द्वारा स्थनीय छात्रों को सरकारी नौकरी, हरियाणा द्वारा निजी क्षेत्र में 75% से अधिक आरक्षण दिया जाना.

• भारत का उत्तर -पूर्वी क्षेत्र अलगाववाद से ग्रस्त है. ये घटनाएं राष्ट्रीय एकता को अवरोधित करती हैं. यह सर्वविदित है कि मजबूत केंद्र के अभाव जम्मू-कश्मीर का भावनात्मक एकीकरण संभव न हो पाता.

• इसके साथ ही साथ साम्प्रदायिकता, असमानता, वर्ग संघर्ष जैसी समस्याएं भी हैं जिनके निदान हेतु केंद्र की मजबूती आवश्यक है.

राजनैतिक आदर्शो की स्थापना हेतु :-

• संविधान में वर्णित सामाजिक , आर्थिक , राजनैतिक न्याय , बंधुत्व तथा अधिकार आधारित व्यवस्था हेतु विभिन्न विधियों का सम्पूर्ण राष्ट्र में समान रूप से लागू होना आवश्यक है.

• यदि मजबूत केंद्र की अवधारणा न होती तो प्रिवी पर्स को समाप्त कर , राजशाही उपाधियों का अंत कर समानता स्थापित नहीं की जा सकती थी.

सहयोग से सुशासन : -

• एक अर्द्ध-संघीय संरचना ही केंद्र को 'पल्स पोलियो कार्यक्रम' जैसे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों को सम्पूर्ण राष्ट्र में एक साथ प्रायोजित करने का अवसर देती है.

• कोविड-19 के दौरान विभिन्न राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन का आवंटन एक केंद्रीय प्राधिकार के कारण ही संभव हो सका. मजबूत केंद्र के कारण ही सहकारी संघवाद की अवधारणा आ सकी है.

एकल अर्थव्यवस्था :-

एकल अर्थव्यवस्था की अवधारणा मात्र अर्द्धसंघीय प्रणाली से ही संभव हो पाई है, अन्यथा भारत को भी ब्रेक्सिट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता. भारत में जीएसटी की रूप रेखा एकल अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करती है.

राज्य सरकार पर नियंत्रण :-

यदि वास्तव में राज्य सरकार निरंकुश हो जाए तथा लोकतान्त्रिक नियमो की अवहेलना करने लगे इस स्थिति में मजबूत केंद्र ही राज्य में कानून व्यवस्था की बहाली कर सकता है. जैसे 1992 में उत्तर प्रदेश की सरकार को निलंबित करने का आधार राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र से विचलन था जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा भी माना गया था.

भारतीय संघवाद के परिपेक्ष्य में न्यायपालिका :-

• कर्नाटक बनाम भारत संघ तथा पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ के मामलो में उच्चतम न्यायालय ने संविधान को अर्धसंघीय प्रवृत्ति का माना है.

• केशवानंद भारती तथा एस. आर. बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय ने संघवाद को बेसिक स्ट्रक्चर का भाग माना है.

आगे की राह :

भारत में समवर्ती सूची के विषयो के लिए जीएसटी काउंसिल जैसी अवधारणा को स्वीकारना चाहिए. नीति आयोग जैसे संघीय चरित्र वाले संस्थाओ की संख्या बढ़ानी चाहिए.

• राज्यपाल के पद को सुरक्षा प्रदान करनी होगी जिससे वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके.

• राज्यों की राजकोषीय क्षमता के क्रमिक विस्तार को विधिक गारंटी प्रदान की जानी चाहिए.

निष्कर्ष :-

वास्तव में केंद्र तथा राज्य की अवधरणाओं का मुख्य उद्देश्य नागरिक-केंद्रित शासन है. अत: केंद्र तथा राज्य दोनों को व्यावहारिक परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे नागरिक केंद्रित शासन तथा अधिकार आधारित शासन का लक्ष्य पूर्ण हो सके.

वैश्विक स्तर पर हिंद- प्रशांत क्षेत्र का बढ़ता महत्व

- संदर्भ
- परिचय
- हिन्द-प्रशांत क्षेत्र तथा उसका महत्व
- हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक शक्तियों की गतिविधिया
- हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका
- हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में यूरोपीय संघ
- वैश्विक शक्तियों की गतिविधियों का हिन्द-प्रशांत क्षेत्र पर प्रभाव
- क्षेत्र का विकास
- जैवविविधता पर प्रभाव
- भारत तथा हिन्द -प्रशांतक्षेत्र
- निष्कर्ष

संदर्भ :-

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में हिंद प्रशांत क्षेत्र का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। एक तरफ जहां संयुक्त राज्य अमेरिका निरंतर 'क्वाड तथा ओकस' जैसे संगठनों के माध्यम से इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ारहा है वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन द्वारा क्षेत्र के लिए एक विस्तृत राजनैतिक परामर्श पत्र जारी किया गया है जो इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व का सूचक है.

परिचय :-

पिछले कुछ समय से अंतराष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय शक्तियों में वृद्धि, विश्व नेतृत्वकर्ता के रूप में अमेरिका की विश्वसनीयता में कमी, चीन के आर्थिक अभ्युदय तथा आक्रामक विचारधारा तथा वैश्विक मानचित्रो में परिवर्तन के कारणों सेनई साझेदारियों तथा नए गठबंधनों में तीव्र वृद्धि हुई है. वैश्विक विकास के आयाम यूरो-अटलांटिक क्षेत्र से से एशिया-प्रशांत क्षेत्र की तरफ खिसक गया है. अंतराष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसार ईक्कीसवीं सदी में हिन्द-प्रशांत क्षेत्र (अफ्रीका के पूर्वी भाग से लेकर प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग तक) वैश्विक शक्ति का केंद्र होंगे. अत: वैश्विक स्तर पर समस्त शक्तियां हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनैतिक,राजनैतिक तथा आर्थिक बढ़त रखना चाहती हैं.

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र तथा उसका महत्व:-

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के अंतर्गत हिन्द महासागर से प्रशांत महासागर के क्षेत्र सम्मिलित हैं. वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्थान ले चुका है जिसके निम्न कारण हैं-

- इंडो-पैसिफिक बिजनेस समिट के आकड़ो के अनुसार यह क्षेत्र वैश्विक जनसँख्या के 64% तथा वैश्विक जीडीपी के 62 % का प्रतिनिधित्व करता है.

- वर्तमान वैश्विक व्यापार का 50% से अधिक इस समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता है. तथा इस क्षेत्र के बंदरगाह विश्व के व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक हैं.

- हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के देशो यथा भारत, दक्षिण कोरिया ,जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, बांग्लादेश में आर्थिक निवेशकी अपार संभावनाएं हैं वहीं इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन जैसी आर्थिक शक्तियां भी हैं.

- हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग तथा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मलक्का जलसंधि भी सम्मिलित है जहाँ से यूरोप, चीन, अरब देश सहित अफ्रीकी देशो का भी व्यापार होता है.

- यह क्षेत्र ऊर्जा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में ऊर्जा के महत्वपूर्ण उपभोक्ता तथा उत्पादक राज्य अवस्थित हैं.

- समग्र क्षेत्र समुद्र द्वारा एक दुसरे से जुड़ा हुआ है जिससे इस क्षेत्र में लॉजिस्टिक व्यवस्था भी उन्नत है.

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक शक्तियों की गतिविधियां :-

हिन्द प्रशांत क्षेत्र में चीन :-

- पिछले कई वर्षो से चीन दक्षिणी चीन सागर में अतिक्रमण, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका तथा बांग्लादेश जैसे देशों में बंदरगाह विकास के कार्यक्रमों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त बनाने का प्रयास कर रहा है.
- इस दिशा में चीन द्वारा नव-आर्थिक उपनि. वेशवाद की अवधारणा को स्वीकारा गया जिसमे चीन ने अनुसंगी देशो यथा श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि को बड़े मात्रा में ऋण दिया गया, ये देश चीन के ऋण जाल में फस गए.

- इस मार्ग के साथ चीन द्वारा आक्रामक नीति का भी सहारा लिया गया. इस आक्रामक नीति से चीन ने दक्षिणी चीन सागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया. अत: इस क्षेत्र में चीन का वियतनाम सहित आसियान देशो से विवाद में वृद्धि हुई.

- चीन ने प्रस्तावित महत्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिव योजना के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के द्वारा भी हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में बढ़त हासिल की.

- इस क्षेत्र में चीन द्वारा निरंतर दूसरे देशो की सम्प्रभुता, समुद्री कानून तथा जैव विविधता के नियमो का खंडन किया गया है.

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका -

विगत कई वर्षो से हिन्द-प्रशांत क्षेत्र अमेरिकी नीतियों का प्रमुख अंग रहा है. अमेरिका इस क्षेत्र को 'मुक्त एवं स्वतंत्र' बनाए रखने हेतु "फ्री एन्ड ओपन इंडो-पैसिफिक " का समर्थक रहा है. इस उद्देश्य की पूर्ती हेतु अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र में सक्रिय गतिविधियां की गई हैं. चीन की आक्रामक सामरिक बढ़त को संतुलित करने के लिए अमेरिका द्वारा भारत ,जापान ,ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड नामक संगठन की आधारशिला रखी गई. अभी हाल ही में अमेरिका ने ऑस्ट्रलिया तथा ब्रिटेन के साथ मिलकर ओकुस नामक संगठन की स्थापना की है जिसकी गतिविधियां हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में केंद्रित होंगी.

ऑकस(AUKUS)ऑस्ट्रेलिया,यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है, जिसकी घोषणा 15 सितंबर 2021 को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए की गई थी.

ऑकस (AUKUS) मुख्य प्रावधान

- ऑकस एक सैन्य संधि है, जिसके अंतर्गत अमेरिका तथा ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी बनाने की प्रौद्योगिकी देंगे. ऑस्ट्रेलिया परमाणु ईंधन से चलने वाली आठ पनडुब्बियाँ बनाएगा.

- इसके अतिरिक्त अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स से चलने वाले शस्त्रों के निर्माण की तकनीक, अंडर वाटर सर्वीलांस,क्वांटम तकनीक और साइबर टेक्नोलॉजी भी देगा.
- अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एंजेन्सियां एक दूसरे के साथ सूचनाओं को साझा करेंगी.

इस प्रकार अमेरिका निरंतर इस क्षेत्र में अपनी बढ़त को स्थापित करने के लिए अन्य देशो के साथ सहयोग में वृद्धि कर रहा है.

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में यूरोपीय संघ :-

दीर्घकाल तक यूरोपीय संघ हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में अपने आर्थिक हितो की पूर्ति तथा सामरिक मामलो के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता रहा. परन्तु हाल हीमेंयूरोपियन संघ द्वारा इस क्षेत्र में अपनी सामरिक बढ़त को स्थापित करने का प्रयास किया गया है. यूरोपीय संघ के अध्यक्ष द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यूरोपीय संघ को अपनी वैश्विक भूमिका को बढ़ाने केलिए नवीन साझेदारों के साथ सम्बन्ध बनाने होंगे.

इस कथन में वे हिन्द-प्रशांत क्षेत्र की तरफ नवीन सम्बन्धो को इंगित कर रहे थे. इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए यूरोपीय संघ ने इस क्षेत्र के लिए एक विस्तृत रणनीतिक प्रपत्र जारी किया है. जिसमे निम्न तथ्यों को इंगित किया गया है -
- यूरोपीय संघ इस क्षेत्र के सदस्यों से सहयोग बढ़ा कर सतत विकास की अवधारणा को विक. सित करना चाहता है.

- जहाँ एक तरफ यूरोपीय संघ चीन की आक्रामक नीति को रोकना चाहता है वहीँ जलवायु के मुद्दे पर चीन के साथ सहयोग की अपेक्षा भी रखता है.

- यूरोपीय संघ इस क्षेत्र में अपने समान विचारधारा (लोकतंत्र ,समुद्री क्षेत्र , डाटा सुरक्षा , वैश्विक सहयोग , जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहयोग) वाले देशो के साथ सम्बन्धो को मजबूत करना चाहता है.

- यूरोपीय संघ चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए क्वाड देशो (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रे. लिया, भारत) से सहयोग की अपेक्षा रखता है.

- यूरोपीय संघ का उद्देश्य इस क्षेत्र में पिछली साझेदारी को मजबूत करना और नई साझेदारियां बनाना है.

- चीन द्वारा प्रस्तावित बीआरआई के विकल्प के रूप में यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे का निर्माण प्रस्तावित करता है.

- यूरोपीय संघ जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ नई डिजिटल पार्टनरशिप हेतु प्रयासरत है यहाँ उसका मानना है कि इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती हुई तकनीक की इंटर-ऑपरेबिलिटी को लेकर वह इन देशों का सहयोगी बन सकता है.

- ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौता लागू करना चाहता है. इस हेतु यूरोपीय संघ भारत को एक मजबूत सहयोगी के रूप में देखता है.

- यूरोपीय संघ और आसियान के रिश्तों में भी मजबूती आई है. हाल ही में आसियान ने यूरोपीय संघ को डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिया है.

इस क्षेत्र में सामरिक बढ़त प्राप्त करने में यूरोपीय संघ के सम्मुख चुनौतियाँ-
- यूरोपीय संघ सुरक्षा हेतु नाटो पर निर्भर है अत: यह संभवकि यूरोपीय संघ की नीति अमेरि. का के अनुसंगी हो.

- हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के कई देशो काऐतिहासिक कारणों (उपनिवेशवाद) के फलस्वरूप यूरोपीय देशो से विश्वास का संकट है.

- चीन के प्रति रणनीति को लेकर यूरोपीय संघ के देशो में मतैक्य का अभाव है. फ्रांस सहित 10 सदस्यों ने चीन के अतिक्रमण को चुनौती माना है वहीँ 13 सदस्य देशों ने हिंद-प्रशांत अवधारणा को सिर्फ आर्थिक हितों से जोड़कर देखा है. यह विरोधाभास एक स्पष्ट नीति के लिए एक बड़ा संकट है.

परन्तु वर्षो तक निष्क्रिय रहने के उपरान्त यूरोपीय संघ का क्षेत्र में सक्रिय होना , हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के बढ़ते महत्व को प्रदर्शित करता है.

इन देशो के साथ साथ जापान , इंडोनेसिया सहित आसियान, भारत, दक्षिण कोरिया जैसे देशो के अपने हित हैं जो इस क्षेत्र के रणनैतिक महत्व को बढ़ा देते हैं.

वैश्विक शक्तियों की गतिविधियों का हिन्द-प्रशांत क्षेत्र पर प्रभाव :-

मल्टीपोलर की तरफ :-

इस क्षेत्र में अमेरिका ,चीन, के उपरान्त यूरोपीय संघ, जापान ,आसियान , भारत के सक्रिय होने के उपरांत क्षेत्र मल्टीपोलर की तरफ बढ़ चुका

है. यह मल्टीपोलर क्षेत्र शक्ति संतुलन को स्थापित करने में सहायक होगी. कई शक्तियों के आने से क्षेत्र में शांति की स्थापना भी संभव हो सकती है.

क्षेत्र का विकास :-

इस क्षेत्र वैश्विक शक्तियों के गतिविधि में वृद्धि होने से यहाँ आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी. द्वीपीय देशो तथा ओसेनियाइ देशो (जो जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य हैं) को अमेरिका तथा यूरोपीय संघ से हरित वित्त, अवसंरचनात्मक विकास, तकनीकी लाभ प्राप्त होंगे.

जैवविविधता पर प्रभाव :-

यूरोपीय संघ जलवायु परिवर्तन के सन्दर्भ में सकारात्मक नीति को स्वीकारता है.अत: वह इस क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ाने तथा वैश्विक तापन को कम करने का प्रयास करेगा. परन्तु इस क्षेत्र में परमाणु पनडुब्बियों का प्रयोग, तकनीकी के बढ़ने से ई-वेस्ट में वृद्धि इत्यादि जैव विविध ता हेतु संकट हो सकती है. उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट वैरियर रीफ पर संकट.

भारत तथा हिन्द -प्रशांतक्षेत्र

- भारत हिन्द महासागर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण सामरिक अवस्थिति तथा मजबूत सैन्य क्षमता के कारण एक महत्वपूर्ण भूमिका में है. अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन सहित आसियान तथा अन्य देश भारत के महत्व को स्वीकारते हैं. ट्रम्प प्रशासन द्वारा स्पष्ट रूप से भारत को महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में स्वीकारा गया था. आसियान देश चीन के आक्रामक रवैये के विरुद्ध भारत को नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखते हैं जो भारत को नेतृत्वकर्ता की भूमिका में लाता है.

- भारतीय नौसेना मलक्का जलसंधि को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है. इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए भारत द्वारा अंडमान द्वीप समूह पर सेना की एकीकृत कमांड स्थापित की गई है.

- भारत क्वाड का एक महत्वपूर्ण सदस्य है. इसके साथ ही भारत का इस क्षेत्र के बड़े देशो (यथा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जापान) के साथ साथ छोटे देशो (आसियान देशों, मलेशिया इत्यादि) के साथ बेहतर सम्बन्ध भी हैं.
- अमेरिका तथा यूरोपीय संघ भारत को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं जिससे भारत को तकनीक, शस्त्र , वित्त ,अवसंरचना तकनीक इत्यादि सरलता से प्राप्त हो जायेगी.

- यूरोपीय संघ के आने से भारत को अमेरिका के नीतिगत विचलन (पालिसी शिफ्ट) की दशा में एक विकल्प प्राप्त होगा (ओकुस में भारत के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया को सम्मिलित करना अमेरिका कानीतिगत विचलन माना जा रहा है)

- यह भी संभव है कि इन गतिविधियों के उपरान्त चीन दक्षिणी चीन सागर में और सक्रिय हो जिससे वह भारत के साथ सीमा विवाद पर शांति की पहल प्रारम्भ करे.

- इसके साथ भारत को हिन्द महासागर में किसी अन्य देश के बढ़ते प्रभाव को रोकना भी होगा क्योंकि दीर्घकाल में यह भारत के हितो के साथ विरोधाभास की स्थिति को उत्पन्न करेगा.

निष्कर्ष

वर्तमान में लगभग विश्व की सभी महत्वपूर्ण शक्तियां हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय हैं. इससे क्षेत्र का विकास होने की सम्भावना है. इन शक्तियों की गतिविधियोंसे इस क्षेत्र के सभी देश प्रभावित होंगे जिनमे कई अत्यंत छोटे छोटे देश भी हैं. अत: यह आवश्यक है कि वैश्विक शक्तियां अपने उत्तरदा. यित्व को समझें तथा इस क्षेत्र को शक्ति प्रदर्शन के क्षेत्र में परिणत न करें.

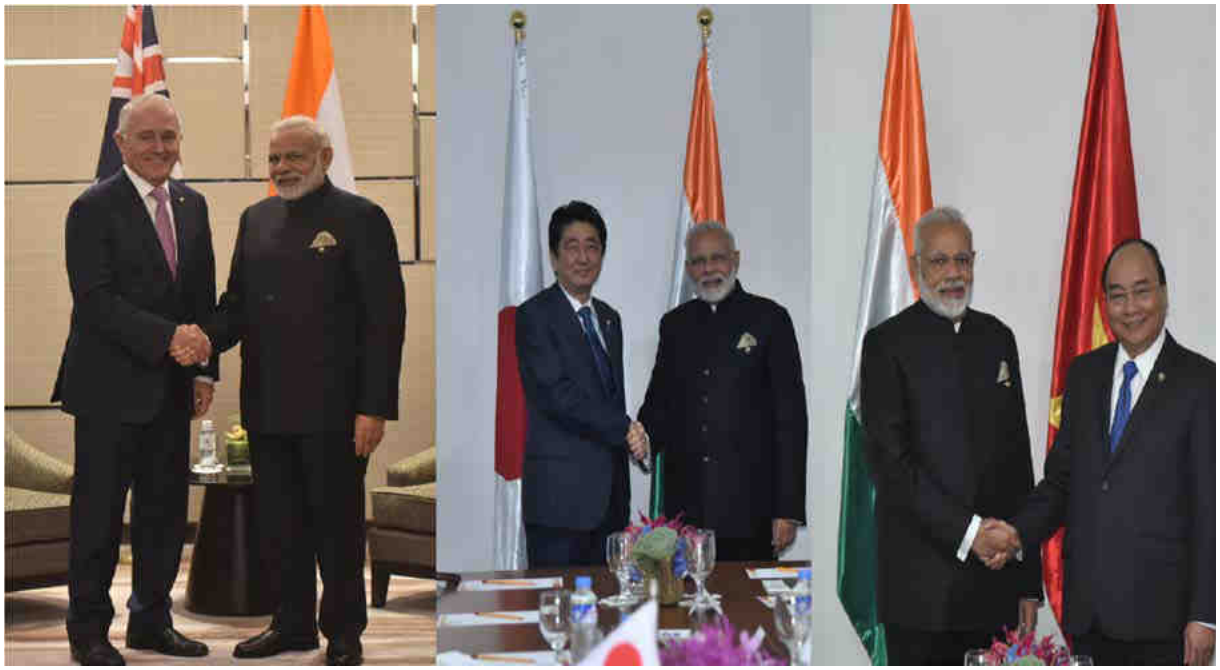

पॉक्सो एक्ट

चर्चा में क्यों?

बॉम्बे हाइकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक पॉक्सो मामले के अभियुक्त को यह कहकर बरी कर दिया कि 'बिना स्किन से स्किन' टच किये, किसी नाबालिग के अंगों को छुआ जाये तो उसे यौन हमला नहीं माना जा सकता.''

पृष्ठभूमिः

यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण करने संबंधी अधिनियम 2012 (पॉक्सो) को कानूनी प्रावधानों के माध्यम से बच्चों के साथ होने वाले यौन व्यवहार और यौन शोषण को प्रभावी ढंग से रोकने हेतु लाया गया था.

प्रमुख प्रावधानः

1. यह अधिनियम नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु के) व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित कर उनके विरूद्ध अवैध यौन गतिविधियों में शामिल होने से निषिद्ध करता है.

2. यह लैंगिक रूप से तटस्थ कानून है. इसके अंतर्गत लड़कियों के साथ ही लड़कों को भी (18 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्तियों को) अवैध यौन गतिविधियों के विरूद्ध संरक्षण दिया गया है.

3. ऐसे अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिये यह विशेष न्यायालयों की स्थापना का भी प्रावधान करता है.

भारत संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन का एक पक्षकार है जिसके तहत भारत पर सभी बच्चों को सभी प्रकार के यौन शोषणों से बचाने का कानूनी दायित्व भी है.

बाल यौन शोषण का दायरा केवल बलात्कार या गंभीर यौन आघात तक सीमित नहीं है बल्कि बच्चों को इरादतन यौनिक कृत्य (पोर्नोग्राफी) दिखाना, गलत तरीके से छूना, जबरन यौन कृत्य के लिये मजबूर करना और चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाना आदि बाल यौन शोषण के अंतर्गत आते हैं.

भारत में बाल यौन दुव्यर्वहार की स्थितिः

(a) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आँकड़ों के अनुसार भारत में 2011 में बाल यौन शोषण के लगभग 33000 मामले सामने आये हैं.

(b) यूनिसेफ के द्वारा 2005-13 के बीच किशोरियों पर किये गये अध्ययन के आँकड़ों के अनुसार भारत में 10-14 वर्ष की 10 प्रतिशत लड़कियों को यौन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, जबकि 15 से 19 वर्ष की 30 प्रतिशत लड़कियों को इस दौरान यौन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा.

यद्यपि पॉक्सो (संशोधन के बाद) कानून के अंतर्गत मृत्युदण्ड जैसा सख्त दण्डात्मक प्रावधान है किंतु आवश्यक विशेष न्यायालयों (फास्ट ट्रैक अदालतों) की संख्या में कमी,

पुलिस-प्रशासन-समाज में परंपरागत सोच (विषय की संवेदनशीलता को न समझना) और सुस्त न्याय प्रक्रिया के चलते न्याय मिलने में विलम्ब होता है.

कानून के क्रियान्वयन को दुरस्त किये जाने की आवश्यकता है. इसके लिये न्यायालय प्रक्रिया में आधुनिक प्रौद्योगिकी (डिजिटलीकरण, एआई) के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.

NOTES

ध्येयIAS

यूएपीए

चर्चा में क्यों?

गुवाहटी उच्च न्यायालय द्वारा यूएपीए की धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार 15 लोगों को जमानत दे दी गई. इन लोगों पर अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने का आरोप था.

पृष्ठभूमि -

1967 में देश में गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए यूएपीए कानून लाया गया. किसी व्यक्ति या संघ द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने के उद्देश्य से की गई किसी भी कार्रवाई के मामले को यूएपीए के अंतर्गत शामिल किया जाता है. भारत में बाह्य सुरक्षा (जैसे- सीमापार आतंकवाद, पूर्वोत्तर में विप्लव) और आंतरिक सुरक्षा (नक्सलवाद, संग. ठित अपराध जैसी) चुनौतियाँ विद्यमान हैं. ऐसे में अपराधियों के मन में कानून के प्रति भय पैदा करने के लिए यूएपीए जैसे कठोर कानून की आवश्यकता महसूस की गई.

यूएपीए में 2004, 2008 और 2012 में संशोधन के बाद कानून के दायरे को व्यापक बनाते हुए इसमें देश की सुरक्षा के लिये खतरा पैदा करने वाले कार्य, उसकी आर्थिक सुरक्षा (वित्तीय और मौद्रिक सुरक्षा, भोजन, आजीविका, ऊर्जा पारिस्थितिक तथा पर्यावरण सुरक्षा) जैसे विषयों को शामिल किया गया है.

यह कानून संविधान के अनुच्छेद-19 द्वारा प्रदत्त वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्रों के बिना एकत्र होने के अधिकार और संघ बनाने के अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित करता है.

यूएपीए की विशेषताएं -

इस कानून के प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार किसी गतिविधि को यदि गैर-कानूनी मानती है तो आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से इसकी घोषणा कर उसे अधिनियम के तहत अपराध बना सकती है. इसमें अधिकतम सजा के तौर पर मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान हैं.

जांच एजेंसियां गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध 180 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर सकती हैं. यह कानून भारतीयों के साथ ही साथ विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है. अपराध भारत में हुआ हो या भारत के बाहर, यूएपीए की धाराओं में कार्यवाही की जा सकती हैं.

यूएपीए से संबंधित मुद्दे -

यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार के हनन का विषय है. क्योंकि यूएपीए के अंतर्गत कठोर सजा का प्रावधान है. सरकार अपने विरुद्ध असहमति को दबाने के लिए इस कानून का दुरूपयोग कर सकती है.

यूएपीए के मामलों में सुनवाई में देरी होती है. लग. भग 95% मामले अभी तक लम्बित हैं. अपराध को साबित कर पाने की दर काफी कम हैं.

यह संघीय प्रावधानों का उल्लंघन करता है.

करबोंग जनजाति और उसकी भाषा की विलुप्ति का बढ़ता खतरा

उत्तर पूर्वी भारत में त्रिपुरा में हलम जनजाति कि उप जनजाति, कारबोंग के विलुप्त होने के अंतिम चरण में होने की रिपोर्ट हाल ही में आई है. पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट में हाल ही में बताया गया है कि इस जनजाति के केवल 250 लोग हैं, जो पश्चिम त्रिपुरा और धलाई जिलों में रहते हैं. उप-जनजाति के विशेषज्ञ हरिहर देबनाथ का कहना है कि, 'माणिक्य शासकों ने कारबोंग लोगों को शिक्षित करने और उनके लिए शिक्षकों की व्यवस्था करने की कोशिश की थी, लेकिन यह सफल साबित नहीं हुआ. 60 से 70 परिवारों के मुश्किल से 250 लोग करबोंग जनजाति के बचे हैं. निर्धनता, असाक्षरता, अंतर्जातीय विवाह, उचित शिक्षा की कमी के कारण इनकी आबादी तेजी से घट रही है. अन्य सभी जनजातियों से अलग भाषा होने के बावजूद करबोंग को एक उप-जनजाति माना जाता है, इसलिए भारत की जनगणना उन्हें अलग से नहीं गिना जाता है. 1940 की गजट अधिसूचना के अनुसार, त्रिपुरा में 19 आदिवासी समूह हैं, जिनमें करबोंग समुदाय को हलम में शामिल किया गया है.

लुप्तप्राय 'करबोंग' अपनी भाषा के माध्यम से अन्य स्वदेशी आदिवासी समूहों से खुद को अलग करते हैं, जो त्रिपुरा के अधिकांश आदिवासी समूहों की भाषा कोकबोरोक से अलग है और ये सभी हिंदू धर्म को मानते हैं.

करबोंग जनजाति समुदाय हाल ही में तब सुर्खियों में आया जब 18 अक्टूबर को त्रिपुरा के उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को करबोंग जनजातीय समुदाय की वर्तमान स्थिति का आकलन करने और 9 नवंबर को या उससे पहले एक हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाने के लिए कहा है.

करबोंग लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के भी लुप्त होने का खतरा है. यूनेस्को द्वारा भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा को 'संभावित संकटापन्न' माना जाता है.

करबोंग जनजाति की पारंपरिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें में जंगलों से पत्ते, कंद इकट्ठा करना शामिल है. इसके अलावा जंगली जानवरों और पक्षियों का शिकार करना, मछलियाँ पकड़ना भी इनके मुख्य कार्य हैं. ये सभी व्यवसाय करबोंग जनजाति के भोजन एकत्र करने की आदत को दर्शाते हैं. यह जनजाति झूम कृषि भी करती है.

नार्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन

चर्चा में क्यों?

रूस और जर्मनी के बीच बाल्टिक सागर से होकर गुजरने वाली एनएस 2 गैस पाइपलाइन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है.

पृष्ठभूमि -

जर्मनी रूस के मध्य 2015 में एनएस 2 गैस पाइपलाइन परियोजना पर पर सहमति बनी थी.

विशेष तथ्य – 1200 किलोमीटर लम्बी, 11 बिलियन डॉलर के निवेश से बनकर तैयार हुई गैस पाइपलाइन 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस प्रति वर्ष की आपूर्ति करने की क्षमता रखती है

परियोजना का महत्व–

1. रूस के लिए आर्थिक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिमी यूरोप अमेरिका के प्रभुत्व वाला क्षेत्र रहा है. ऐसे में इस क्षेत्र में रूस अपने प्रभाव में विस्तार करने के अवसर के रूप में इस परियोजना को देख रहा है.
2. जर्मनी समेत अन्य यूरोपीय देश ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर पायेंगे.

एनएस 2 गैसपाइप लाइन का विरोध–

अमेरिका शुरू से ही इस गैस पाइपलाइन परियोजना का विरोध कर रहा है. अमेरिका का मानना है इस परियोजना से पश्चिमी यूरोपीय देशों की रूस पर ऊर्जा निर्भरता बढ़ जायेगी. अधिकांश पश्चिमी यूरोपीय देश नाटो में अमेरिका के सहयोगी हैं. इसलिए अमेरिका अपने सहयोगियों को रूस से घनिष्ठ संबंध बनाये जाने का विरोध करता रहता है.

पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन भी इस गैस पाइपलाइन परियोजना का विरोध कर रहा है क्योंकि यूक्रेन की गैस पाइपलाइन को पास कर रूस पश्चिमी यूरोप तक के ऊर्जा बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है. जिससे यूक्रेन को प्रतिवर्ष 3 बिलियन डालर का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

बाल्टिक सागर के सीमावर्ती देश–

- स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातिया, लिथुआना, पोलैण्ड, जर्मनी और डेनमार्क.

तापी गैस पाइपलाइन को भी जाने–

तापी गैस परियोजना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के मध्य प्रस्तावित है. इस परियोजना द्वारा प्रतिवर्ष 3.2 अरब घन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस की आपूर्ति चारों देशों में की जा सकती है. इस परियोजना का एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है.

यह गैस पाइपलाइन गलकीनाइश (तुर्कमेनिस्तान) तेल क्षेत्र से प्रारंभ होकर हेरात व कंधार (अफगानिस्तान) तथा क्वेटा व मुल्तान (पाकिस्तान) से होते हुए भारत के पंजाब प्रान्त तक जायेगी. इस पाइप लाइन की कुल लम्बाई 1700 किलोमीटर है.

महत्व – भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकेगी. भारत के बिजली सयंत्रों को गैस आपूर्ति सुनिश्चित होगी.

चुनौती –

1. भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध इस परियोजना के क्रियान्वयन को बाधित कर सकती है
2. आतंकवादी गतिविधियाँ योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधक हैं.
3. अफगानिस्तान में तालिबानी शासन को भारत समेत कई देशों ने मान्यता नहीं दी है. अफगानिस्तान में उत्पन्न अस्थिरता तापी परियोजना को भी प्रभावित कर सकती है

NOTES

यूएनईपी की उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021

द हीट इज ऑन' शीर्षक से 26 अक्टूबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि संशोधित संकल्प, पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं. रिपोर्ट बताया गया है कि इस सदी में वैश्विक तापमान में कम से कम 2.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देशों द्वारा संशोधित राष्ट्रीय जलवायु कारवाई योजनाओं से, पिछले संकल्पों की अपेक्षा वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों में केवल 7.5 प्रतिशत की ही कमी होगी.

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी इस रिपोर्ट में चिंता व्यक्त की गयी है कि आने वाले दशक में जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न देशों द्वारा किये जा रहे प्रयास भी कम साबित होंगे. रिपोर्ट में आशा व्यक्त की गयी है कि दर्जनों देशों ने वर्ष 2050 तक "शून्य" का. र्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की घोषणा की है और यदि इसे गंभीरता से लागू किया जाए तो परिणाम सकारात्मक हो सकते है.

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि यदि सभी देशों ने अपने नए जलवायु लक्ष्यों को हासिल भी कर लिया तब भी दुनिया का तापमान वर्ष 2100 तक करीब 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में लू, सूखा और बाढ़ जैसे खतरों में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है. संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर नेतृत्व के अभाव के कारण जलवायु परिवर्तन के वैश्विक प्रयास प्रभावित हो रहे हैं.

रिपोर्ट में अनुमाम लगाया गया है कि नैट-शून्य लक्ष्यों को यदि पूर्ण रूप से लागू किया जाए तो वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2.2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सकता है.

यूएनईपी की उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021 में यह भी चिंता व्यक्त की गयी है कि 2030 तक नेट-शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प लेने वाले देशों से उनके राष्ट्रीय संकल्प मेल नहीं खाते है.

16 वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से 27 अक्टूबर, 2021 को 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया. ब्रूनेई ने एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान अध्यक्ष के रूप में 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की. शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, अमेरिका, भारत और आसियान देशों के नेताओं ने भाग लिया.

शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, पीएम मोदी ने एशिया शिखर सम्मेलन को हिन्द-प्रशांत में प्रमुख नेताओं के नेतृत्व वाले मंच के रूप में परिभाषित किया. साथ ही प्रधानमंत्री ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के महत्व की पुष्टि की तथा यह भी कहा कि यह मंच महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रों को एक साथ लाता है. प्रधानमंत्री ने टीकों और चिकित्सा आपूर्ति के माध्यम से कोविड -19 महामारी से लड़ने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया. उन्होंने महामारी के बाद दोबारा अपने पांव पर खड़े होने में सहायक "आत्मनिर्भर भारत" अभियान के बारे में बताया.

उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में उत्पादकता बढ़ाने और उसे साझा करने में लचीलेपन को सुनिश्चित किया जाना चाहिये. उन्होंने अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और जलवायु को प्रभावित न करने वाली जीवनशैली को स्थापित करने पर जोर दिया. सम्मेलन में हिन्द-प्रशांत, दक्षिण चीन सागर, यू.एन.सी.एल.ओ.एस, आतंकवाद और कोरियाई प्रायद्वीप और म्यांमार की स्थिति सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई. प्रधानमंत्री ने हिन्द-प्रशांत में "आसियान सेंट्रेलिटी" पर दोबारा बल दिया और आसियान आउटलुक ऑन इंडो-पैसेफिक (हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में आसियान की भूमिका-ए.ओ.आई.पी) और इंडो-पैसेफिक ओशंस इनीशियेटिव (हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत की पहल-आई.पी.ओ.आई) में भारत की सक्रियता को रेखांकित किया.

मानसिक स्वास्थ्य, पर्यटन के माध्यम से आर्थिक सुधार और सतत पुनर्प्राप्ति पर तीन वक्तव्य, जिन्हें भारत द्वारा सह-प्रायोजित किया गया है, को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा अपनाया गया है.

पर्यावरण

दीपोर बील

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने गुवाहाटी के दक्षिण-पश्चिमी किनारे पर स्थित दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है.

दीपोर बीलः

- दीपोर बील ताजे पाने की झील है जहाँ अतिक्रमण के कारण इसके क्षेत्र में लगातार कमी हो रही है.
- दीपोर बील असम की एक रामसर साइट है जो महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है.

पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रः

- संरक्षित क्षेत्र के चारो ओर 10 किलोमीटर तक का अधिसूचित क्षेत्र पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में जाना जाता है.

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किये जाते है.
- पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास की गतिविधियों को विनियमित करना तथा संभावित जोखिम को कम करना है.
- पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र में 'शॉक एब्जार्बर' का कार्य करता है.
- दीपोर बील में साइबेरियन क्रेन, स्पॉट बिल पेलिकन धेनुक पक्षी, एशियाई हाथी, जंगली बिल्ली, साम्भर आदि प्रजातियाँ पाई जाती है.

फ्लॉवर स्कोर्पियनफिश

हाल ही में एक यूनीक मछली प्रजाति फ्लॉवर स्कॉर्पियन फिश जो अभी तक केवल प्रशांत महासागर क्षेत्र में ही पाई जाती थी, अब भारत के पश्चिम बंगाल के दीघा तट और ओडिशा के पारादीप में पाई गई है. इससे इस बात की संभावना बढ़ गई है कि यह मछली हिन्द महासागर क्षेत्र में भी है. इससे बंगाल की खाड़ी की समृद्ध जैव विविधता का भी पता चलता है. फ्लॉवर स्कोर्पियनफिश का वैज्ञानिक नाम होपलोसेबस्ट्स अरमाटस है और यह रे फिन्ड फिश के ऑर्डर से संबंधित है. जिसे स्कोर्पेनीफॉर्मेके नाम से भी जाना जाता है.

होपलोसेबस्ट्स अरमाटस को पहली बार साल 1929 में जापान के प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में खोजा गया था. अभी तक इसे हिन्द महासागर में नही पाया गया था. अब भारतीय वैज्ञानिकों ने 13 अक्टूबर को ओडिशा के जगतसिंहपुर में पारादीप क्षेत्र के जल में फ्लॉवर स्कोर्पियनफिश के 22 स्पेसिमेन इकट्ठे किये हैं. जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने इस खोज को अंजाम दिया है. वैज्ञानिकों ने अब यह निष्कर्ष दिया है कि इस मछली का भौगोलिक विस्तार उत्तर पश्चिम प्रशांत से हिन्द महासागर तक है.

फ्लॉवर स्कोर्पियनफिश की लंबाई 75 से 127 mm के बीच है जबकि इसके शरीर की चौड़ाई 14 से 22 मिलीमीटर है. इसका सिर इसके शरीर से भी बड़ा है. यह जापान के पूर्वी चीन सागर से जुड़े जल क्षेत्र में अधिक संख्या में पाई जाती रही है.

सभी स्कोर्पियन फिश कार्निवोर होती हैं और छोटी मछलियों और श्रीम्फ को खाती हैं. रॉकफिश, स्टोनफिश, लायनफिश टर्की फिश, फायर फिश आदि स्कोर्पियनफिश के ही उदाहरण हैं. फ्लॉवर स्कोर्पियन फिश से भिन्न साधारण स्कोर्पियनफिश पश्चिमी अटलांटिक महासागर, फ्लोरिडा बरमूडा गल्फ ऑफ मेक्सिको, कैरेबियन सी में भी पाए जाते हैं.

NOTES

ध्येयIAS

मुदुमलाई बाघ अभ्यारण्य

चर्चा में क्यों?

मुदुमलाई बाघ अभ्यारण्य से भागे हुए खूंखार बाघ को २२ दिनों बाद रेस्क्यू टीम द्वारा पकड़ लिया गया है.

पृष्ठभूमि

मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य के नीलगिरि जिले में तीन राज्यों (कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु) की संयुक्त सीमा पर स्थित है. यह वर्ष 1986 में घोषित भारत के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व (भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व) का हिस्सा है. बाघों की घटती संख्या के कारण इसे 2007 में बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था.

मुदुमलाई बाघ आरक्षित क्षेत्र की पश्चिमी सीमा केरल के वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तरी सीमा कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व और दक्षिण पूर्व में निलिगिरी उत्तर प्रभाग और दक्षिण पश्चिमी सीमा गुडालुर वन प्रभाग से मिलती है. जो बाघ और एशियाई हाथी जैसी प्रमुख प्रजातियों के लिए एक बड़े संरक्षण क्षेत्र का निर्माण करती है.

मोयार नदी मुदुमलाई बाघ आरक्षित क्षेत्र से होकर बहती है जो मुदुमलाई और बांदीपुर अभ्यारण्य के बीच प्राकृतिक विभाजन रेखा का निर्माण करती है.

प्रमुख प्रजातियाँ – जैव विविधता धनी क्षेत्र है जहाँ वनस्पतियों और जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियाँ पायी जाती है.

जीव-जन्तु- इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं में बाघ, हाथी, पैंथर, बार्किंग डियर, माला. बार विशालकाय गिलहरी, इंडियन गौर और हाईना आदि प्रमुख हैं.

वनस्पति - मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में लंबी घास पाई जाती है, जिसे आमतौर पर 'एलीफेंट ग्रास' कहा जाता है. यहाँ बाँस, सागौन, रोजवुड जैसी मूल्यवान वृक्षों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं.

तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान –

1. मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान
2. गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, चेन्नई
3. मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान
4. इंदिरा गांधी (अन्नामलाई) राष्ट्रीय उद्यान
5. मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, नीलगिरि

बंगाल फ्लोरिकन पक्षी का संरक्षण

इंटरनेशनल यूनियन फॉर दि कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में निवेदन किया है कि असम स्थित कोकिलाबारी सीड फार्म जोकि बंगाल फ्लो. रिकन पक्षियों के लिए स्वर्ग स्थल जैसा है उसको संरक्षण दिया जाय.

आईयूसीएन ने कहा है कि कोकिलाबारी सीड फार्म को असम सरकार द्वारा एक कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया जाना चाहिए. यह सीड फार्म मानस नेशनल पार्क के पास ही पड़ता है और यहां राज्य सरकार ने एक विश्वविद्यालय गठित करने के साथ विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है जिसके चलते आईयूसीएन के मुताबिक बंगाल फ्लोरिकन पक्षी खतरे में पड़ जाएंगे.

मात्र 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले कोकिलाबारी सीड फार्म 25 बंगाल फ्लोरिकन और 850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले मानस नेशनल पार्क में 33 बंगाल फ्लोरिकन हैं. कुल 58 बंगाल फ्लोरिकन के साथ मानस-कोकिलाबारी पृथ्वी पर बंगाल फ्लोरिकन पक्षी के 3 सबसे बड़े हॉटस्पॉट के रूप में हैं. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के डी एरिंग अभ्यारण्य में 100 और नेपाल के कोशी टप्पू में 100 ऐसे पक्षी हैं.

हाल ही में कई बंगाल फ्लोरिकन पक्षी अरुणाचल प्रदेश के डेइंग एरिंग वन्य जीव अभ्यारण्य में देखे गए हैं. यह इसलिए महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि आईयूसीएन ने अपने रेड डेटा लिस्ट में बंगाल फ्लोरिकन को अति संकटापन्न के रूप में सूचीबद्ध किया है. बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मुताबिक इस अभ्यारण्य में करीब 100 बंगाल फ्लोरिकन हैं.

बंगाल फ्लोरिकन को वन्यजीव संरक्षण अधि नियम , 1972 के तहत शेड्यूल वन स्पीशीज घोषित किया गया है यह अपने "मेटिंग डांस" के लिए विश्व प्रसिद्ध है. यह एक ग्रासलैंड स्पीशीज है जो भारत में मुख्यतया उत्तर प्रदेश के दुधवा , किशनपुर और पीलीभीत रिजर्व में , असम के मानस , ओरंग और काजीरंगा रिजर्व में और अरुणाचल प्रदेश के डेइंग एरिंग वन्य जीव अभ्यारण्य में और पश्चिम बंगाल के जलदपारा नेशनल पार्क में पाया जाता है. भारतीय उपमहा द्वीप में ये केवल भारत और नेपाल और दक्षिण पूर्वी एशिया के वियतनाम और कम्बोडिया में ही पाया जाता है.

फ्यूचर टेक 2021

हाल ही में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने "फ्यूचर टेक 2021" सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया. "फ्यूचर टेक 2021" डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी है, जिसका आयोजन **CII** (द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) द्वारा किया जा रहा है. यह सम्मेलन 19 से 27 अक्टूबर 2021 तक चलेगा. इसमें उद्यमियों, उद्योग जगत की हस्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच बातचीत होंगी. बातचीत में इस विषय पर चर्चा होगी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का अर्थव्यवस्था में किस तरह से बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है. इस कार्यक्रम की थीम है -"भविष्य के निर्माण के लिए प्रमुख वाहक तकनीक, हम सब भरोसा कर सकते हैं "- इस थीम के तहत पांच मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया गया है - रणनीति, विकास, लचीलापन, समावेशिता, और विश्वास.

आर्थिक व्यवस्था का ऐसा फॉर्मेट जिसमें पैसे और धन का ज्यादातर लेन-देन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट और अन्य डिजिटल माध्यमों से किया जाए, डिजिटल अर्थव्यवस्था कहलाती है. 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था के लिये डिजिटल सेवाएँ काफी अहम हो गई हैं. जब नोटबंदी अथवा कोरोना के चलते लॉकडाउन चल रहा था तो वाणिज्यिक लेन-देन के पारंपरिक तरीके काफी बाधित हुए थे. उस वक्त डिजिटल सेवाओं की अहमियत हम सब ने महसूस की.

सरकार द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत स्तर पर कई कदम उठाए गए हैं, मसलन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंसटेक सिटी की स्थापना, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना, डिजिटल जनगणना और ई-न्याय जैसे तमाम कदम शामिल हैं. हालांकि अभी भी देश में इस दिशा में कई स्तरों पर कोशिश की जरूरत बनी हुई है. रेडसीर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2020में भारत में डिजिटल बाजार से जुड़े ऑनलाइन खरीदारों की संख्या महज 18.5 करोड़ अनुमानित की गई है. इसका मतलब यह हुआ कि इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले बहुत-से लोग अभी भी डिजिटल अर्थव्यवस्था से दूर हैं. विशेषज्ञ इसकी मुख्य वजह देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा कमजोर होना मानते हैं. डिजिटल अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरत-कंप्यूटर और इंटरनेट-अधिकांश लोगों की पहुंच से दूर हैं. वित्तीय लेन-देन के लिए डिजिटल भुगतान तकनीकों के प्रति बड़ी संख्या में लोगों में जागरूकता का अभाव है. दूरदराज के इलाकों में अथवा छोटे गांवों में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है. साथ ही, मोबाइल ब्रॉडबैंड की स्पीड के मामले में भी देश अभी भी बहुत पीछे है. ऑनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोगों का ऑनलाइन लेन-देन पर विश्वास नहीं बन पा रहा है. यह तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर अभी भी काम करने की जरूरत है.

NOTES

ध्येयIAS

फेसबुक मेटावर्स

हाल में आई एक खबर के मुताबिक आगामी 28 अक्टूबर को फेसबुक एक ऐनुअल कनेक्ट कॉन्फ्रेंस में अपना नाम बदलने की घोषणा कर सकता है. बताया जा रहा है कि फेसबुक अपना फोकस मेटावर्स टेक्नोलॉजी पर करना चाह रहा है और इसीलिए अपना नाम बदलने की योजना बना रहा है. फेसबुक के **CEO** मार्क जुकरबर्ग इस बात की चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि उनकी कंपनी सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनकर ही नहीं रहेगी, बल्कि यह आने वाले समय में एक 'मेटावर्स' कंपनी बनेगी.

क्या है मेटावर्स?

अमेरिकी लेखक नील स्टीफेंसन ने साल 1992 में 'स्नो क्रैश' नामक एक उपन्यास लिखी थी जो कि साइंस फिक्शन पर आधारित थी. इसी उपन्यास में उन्होंने पहली बार 'मेटावर्स' शब्द का इस्तेमाल किया था. इस उपन्यास में वर्चुअल वर्ल्ड में रियल लोगों के अवतार रहते हैं. उपन्यास में वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल करंसी जैसे कई पैमानों पर बात की गई है.

आसान भाषा में बताएं तो मेटावर्स एक तरह की आभासी दुनिया होगी. इस तकनीक से आप एक वर्चुअल आइडेंटिटी के जरिए डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर पाएंगे. यानी एक ऐसी समानांतर दुनिया जहां आपकी अलग पहचान होगी. इस समानांतर दुनिया में आप घूमने और सामान खरीदने से लेकर, अपने दोस्तों-रिश्तेदारों से भी मिल सकेंगे. यह ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी कई तकनीको के कॉम्बिनेशन पर काम करता है.

उदाहरण से समझिये मेटावर्स को -

मान लीजिए आप वर्चुअल वर्ल्ड में किसी सड़क किनारे टहल रहे हैं. एक दुकान पर आपने एक टीवी देखी और यह आपको पसंद आ गई. आ. पने डिजिटल करेंसी देकर उस टीवी को खरीद लिया. अब यह टीवी आपके बताए गए पते पर डिलीवर हो जाएगी. इस तरह आपको अनुभव तो वर्चुअल शॉपिंग का मिलेगा, लेकिन आपकी ये खरीददारी वास्तव में होगी. आप इंटरनेट पर जब किसी से बात कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप एक-दूसरे के सामने ही बैठे हैं. भले ही फिजिकली आप सैकड़ों मील दूर हों.

अब सवाल यह उठता है कि आखिर फेसबुक अपना नाम क्यों बदल रही है? देखिए, गूगल को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इसके पैरंट कंपनी का क्या नाम है? इसके पैरंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट और इसी के तहत इसकी दूसरी कंपनियां चल रही हैं. ठीक इसी तर्ज पर फेसबुक भी काम करना चाह रही है. आने वाले समय में एक पेरेंट कंपनी के अंदर फेसबुक, वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम और कंपनी के दूसरे प्लेटफॉर्म आएंगे. ये बदलाव मेटावर्स पर फोकस करने के लिए किया जा रहा है. फेसबुक के अलावा गूगल, एपल, स्नैपचौट और एपिक गेम्स ये तमाम दूसरी बड़ी कंपनियां हैं जो मेटावर्स पर कई सालों से काम कर रही हैं. ऐसा अनुमान है कि साल 2035 तक मेटावर्स 74.8 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन जाएगी.

हालांकि मेटावर्स के आने से पहले ही इसको लेकर अलग-अलग तरह की बहस चलने लगी है. इसमें सबसे बड़ा मुद्दा डिजिटल प्राइवेसी का है.

विशेषज्ञों का कहना है कि जिन प्लेटफॉर्म पर मेटावर्स को बनाया जा रहा है, अगर उन पर प्रॉपराइटरी कंपनियों का ज्यादा नियंत्रण होगा तो वे हमारे जीवन, निजी डेटा और हमारी निजी बातचीत पर बहुत ज्यादा नियंत्रण करने लगेंगी. बहरहाल इसका असल फायदा-नुकसान तो इसके शुरू होने के बाद ही पता चल पाएगा.

NOTES

डीआरडीओ ने विकसित की 'एडवांस चौफ टेक्नोलॉजी'

चर्चा में क्यों?

डीआरडीओ द्वारा भारतीय वायु सेना/ नौसैनिक पोतों के लिये उन्नत चौफ प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है.

क्या है चौफ प्रौद्योगिकी:

- नौसैनिक पोतों- वायुयानो को रेडियो आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) आधारित दुश्मनों के रडार से बचाने के लिये चौफ प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है.
- नौसैनिक पोतों पर रेडियो फ्रिक्वेंसिंग आधारित रडार से अटैक किया जाता है. चौफ टेक्नोलॉजी रेडियो फ्रीक्वेंसी में बाधा उत्पन्न कर नौसैनिक पोत की रक्षा करती है.
- एल्युमीनियम/प्लास्टिक या मेटलाइज्ड ग्लास फाइबर से चौफ को बनाया जाता है.

महत्त्वपूर्ण बिंदु:

1. डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर और पुणे स्थित उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एचईएमआरएल) ने मिलकर इस प्रौद्योगिकी का विकास किया है.
2. काउण्टर मेजर डिसपेंसिंग सिस्टम (CMDS) का उपयोग कर नौसैनिक पोतों की सुरक्षा को सु. निश्चित किया जाता है.

यह तकनीक इंफ्रारेड और रडार खतरों के खिलाफ पैसिव जैमिंग प्रदान करती है.

क्यों महत्वपूर्ण है चौफ प्रौद्योगिकी:

आज के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में आधुनिक रडार की प्रगति के कारण लड़ाकू विमानों की सुरक्षा प्रमुख चिंता है. विमान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम (सीएम डीएस) का उपयोग किया जाता है जो इंफ्रा-रेड और रडार खतरों के खिलाफ निष्क्रिय जैमिंग प्रदान करता है. चौफ एक महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक है जिसका उपयोग लड़ाकू विमानों को शत्रुतापूर्ण रडार खतरों से बचाने के लिए किया जाता है. इस तकनीक का महत्व इस तथ्य में निहित है कि हवा में तैनात बहुत कम मात्रा में चौफ सामग्री लड़ाकू विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुश्मन की मिसाइलों को अपने मार्ग से भटकाने का काम करता है.

अग्नि 5 का सफल परीक्षण

भारत ने 27 अक्टूबर, 2021 को रक्षा क्षेत्र में उस समय एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जब सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया.

परीक्षण कि मुख्य बातें

इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया. बताते चले कि अग्नि 5 मिसाइल में ठोस-ईंधन के तीन चरणों वाले इंजन का उपयोग किया गया है. स्वदेश निर्मित अग्नि 5 मिसाइल उच्च सटीकता के साथ 5000 किमी तक के लक्ष्यों को मार सकती है. अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण भारत की "न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता" की नीति के अनुरूप है. यह नीति 'पहले उपयोग नहीं' (No First Use) की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.

कब कब हुए है परीक्षण

इससे पहले अग्नि-5 मिसाइल का पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में किया गया था. अंतिम परीक्षण तीन साल पहले 2018 में किया गया था.

अग्नि 5 कि मुख्य विशेषता:

अग्नि-5 एक भारतीय परमाणु सक्षम अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है. इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है. इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 5000 से 8000 किमी है.

अग्नि 5 का उपयोग चीन के खिलाफ भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है. इससे पहले, भारत में सबसे लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि-3 थी, जिसकी मारक क्षमता 3000-3500 किमी थी. अग्नि 3 चीन के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए पर्याप्त नहीं थी. बताते चले कि DRDO 2007 से अग्नि-5 मिसाइल के उन्नत संस्करण पर काम कर रहा था.

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें

24 अक्टूबर को मनाया गया संयुक्त राष्ट्र दिवस

संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है.ध्यातव्य है कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया था. संयुक्त राष्ट्र दिवस पहली बार 24 अक्टूबर 1948 को मनाया गया था. बताते चले कि संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक कार्य है, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है.

मजबूत होगी भारत और यूके की हरित साझेदारी

भारत और यूके अपनी हरित साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं. इसके लिए दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन,आपदा लचीला बुनियादी ढांचे गठबंधन, और अनुकूलन और लचीलेपन पर कार्रवाई का आह्वान और मिशन नवाचार सहित वैश्विक जलवायु पहल को मजबूत करने पर भी सहम. ति व्यक्त की. बताते चले कि दोनों देशों के मध्य येमजबूती उस समय देख्ने को मिल रही है जब 31 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26(**COP26**) की मेजबानी यूके अनपे शहर ग्लासगो में करेगा.

सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड

गोवा में होने वाले 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हंगरी के फिल्म निर्देशक स्जाबो इस्तवान और अमेरिका के मार्टिन स्कॉर्सेस को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. बताते चले कि इस 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 नवम्बर से 28 नवम्बर तक किया जायेगा.

मोल डे 2021-23 अक्टूबर को मनाया जा रहा है

अवोगाद्रो की संख्या को सम्मान देने के लिए मनाया जाने वाला मोल डे 23 अक्टूबर को मनाया गया. दुनिया भर के रसायन विज्ञान से जुड़े लोग इस दिवस को मानते है.किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या को परिभाषित करने के लिए अवोगाद्रो संख्या को 6.02×10^{23} के रूप में व्यक्त किया जाता है.ध्यान देने वाली बात है कि मोल परमाणुओं और अणुओं के लिए एक बुनियादी माप इकाई है, जिसकी खोज 18वीं सदी के इतालवी वैज्ञानिक एमेडियो अवोगाद्रो ने की थी.

एलेक्सी नवलनी ने सखारोव पुरस्कार जीता

यूरोपीय संसद द्वारा दिया जाने वाला सखारोव पुरस्कार इस वर्ष रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी को दिया जायेगा. सखारोव पुरस्कार,भ्रष्टाचार को उजागर करने और मानवाधिकारों के लिए लड़ने के लिए दिया जाता है. नवलनी को यह पुरस्कार दिसंबर में स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संसद के पूर्ण सत्र के दौरान दिया जाएगा.

सखारोव पुरस्कार: इस पुरस्कार नाम सोवियत भौतिक विज्ञानी आंद्रेई सखारोव के सम्मान में रखा गया है.यह उन व्यक्तियों या समूहों को दिया जाता है जिन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा और विचार की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है.

बारबाडोस ने पहला राष्ट्रपति चुना

आज भी कुछ देश ऐसे हैं जहां आजादी के बाद भी उनकी राज्य प्रमुख ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ है. बारबाडोस भी उन्हीं में से एक देश है. लेकिन अब बारबाडोस एक गणतंत्र बनने कि दिशा में अग्रसर हो गया है. बारबाडोस ने डेम सैंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है. 72 वर्षीय डेम सैंड्रा मेसन 30 नवंबर को शपथ लेंगी.

'अभ्यास' का सफल परीक्षण

हाल में ही डीआरडीओ ने एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर), चांदीपुर से अभ्यास नामक हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (एचइएटी) का सफल उड़ान परीक्षण किया है. अभ्यास का प्रयोग विभिन्न मिसाइल के मूल्यांकन के लिए एक हवाई लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. अभ्यास को डीआरडीओ के एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (एडीई), बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है.

'भास्करबडा' होगा असम का आधिकारिक कैलेंडर

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक लूनी-सौर कैलेंडर 'भास्करबडा' को प्रदेश का अधिकारिक कैलेंडर घोषित किया.वर्तमान में, शक और ग्रेगोरियन कैलेंडर असम सरकार के आधिकारिक कैलेंडर हैं. याद रखने वाली बात है कि भास्करबडा और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच 593 साल का अंतर है. इस कैलेंडर की गणना कामरूप के 7वीं शताब्दी के शासक भास्करवर्मन के अधिरोहण की तिथि से की जाती है.

ध्यान दें: ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कैलेंडर है. इसकी घोषणा 1582 में पोप ग्रेगरी XIII ने की थी. यह एक सौर-आधारित कैलेंडर है. इसमें सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं जो अनियमित लंबाई के 12 महीनों में विभाजित हैं.

अमेरिका ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण

चीन और रूस के बाद अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का परीक्षण किया. बताते चलें कि संयुक्त राज्य अमेरिका 2025 तक अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करेगा.

नोट: इससे पहले चीन ने परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था. वहीँ रूस ने हाल ही में एक पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल 'जिरकोन' का परीक्षण किया था.

क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल:

- यह ध्वनि की गति से पांच गुना तेज यात्रा कर सकती है.
- इस तरह की मिसाइल हाई-स्पीड जेट इंजन की मदद से अपने लक्ष्य तक पहुंचती है.
- हाइपरसोनिक मिसाइलें दो प्रकारों में आती हैं; हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिकग्लाइड.

जेन-नेक्स्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क"

भारत ने "जेन-नेक्स्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क " नामक नई पहल शुरू कि है.इस पहल में 35 वर्ष से कम आयु के अलग अलग देशों के युवा नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा. इस पहल के तहत दूसरे देश अगले पीढ़ी के नेताओं से संबंध बनाना है. साथ ही इस आयोजन के माध्यम से भारत में समृद्ध लोकतांत्रिक संस्कृति को व्यापक विचार मिलेगा. इस कार्यक्रम का मूल आधार है लोकतंत्र कि भू-राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाना.

जेन-नेक्स्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क एक नजर में

- ऐसा पहला कार्यक्रम नवंबर, 2021 में आयोजित किया जाएगा.
- इस कार्यक्रम की रूपरेखा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (**ICCR**) द्वारा बनाई गई है.
- **ICCR** विदेश मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था है. यह संस्था भारत के बाहरी देशों से सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित है.
- इसके कार्यक्रम के जरिए लगभग 75 विभिन्न लोकतंत्रों से युवा नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा.
- इन युवा नेताओं में सत्तारूढ़ दल, विपक्षी दल और अन्य प्रमुख दलों से आमंत्रित किया जाएगा.

उद्घाटन बैच

इस कार्यक्रम के पहले समारोह में बांग्लादेश, चिली, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान और जाम्बिया जैसे देशों के युवा नेता शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों और महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करने वाले देश शामिल हैं. इस कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे. बताते चले कि यह आयोजन 25 नवंबर से शुरू होगा.

बैठक का उद्देश्य

इस आयोजन के माध्यम से, भारत 75 लोकतंत्रों के अगली पीढ़ी के नेताओं के साथ संबंध बनाने की कोशिश करेगा.साथ ही इन युवा नेताओं के माध्यम से भारत के समृद्ध लोकतांत्रिक संस्कृति को व्यापक विचार मिलेगा। इस कार्यक्रम के तहत इन युवा नेताओं को **ICCR** भारत के एक राज्य का दौरा भी कराएगा.

NOTES

ध्येयIAS

भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई बनायेंगे संयुक्त आर्थिक मंच

- क्वाड की तर्ज पर भारत, इजरायल, अमेरिका और यूएई ने आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय फोरम स्थापित करने का निर्णय लिया है. वर्चुअल बैठक के दौरान चारों देश के विदेश मंत्रियों ने परिवहन, प्रौद्योगिकी, सामुद्रिक सुरक्षा, व्यापार पर सहयोग कि बात पर सहमती जताई है. बैठक को कुछ जगह "नए क्वाड" के रूप में वर्णित किया गया है और यह मध्य पूर्व और एशिया में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगा.

अरुणाचल प्रदेश में नेचिफू दर्रे के पास सुरंग का निर्माण

बी.आर.ओ द्वारा अरुणाचल प्रदेश में नेचिफू दर्रे के पास 5600 फीट की ऊंचाई पर एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है. इस सुरंग की लम्बाई 500 मीटर है. इस सुरंग का उद्देश्य चीन सीमा की ओर जाने वाले वाहनों के यात्रा में लगने वाले समय में कटौती करना है. इस सुरंग के निर्माण के बाद सैन्य वाहनों को 6 किलोमीटर दूरी कम तय करनी होगी और 20 मिनट का समय भी बच जाएगा.

शाकिब अल हसन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने

बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए. इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के लसिथ मलिंगा के नाम था. शाकिब ने 89 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 108 विकेट लिए हैं। बताते चले कि T20 प्रारूप में 100 विकेट लेने वाले और 1000 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी शाकिब के नाम है.

हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को MCC की सदस्यता

हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता मिली.एमसीसी वह संस्था है जो क्रिकेट के नए नियम बनाती है. किसी भी नए नियम को क्रिकेट के खेल में आईसीसी, एमसीसी की सिफारिशों के आधार पर ही लागू करती है. हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ उन 18 क्रिकेटरों में शामिल हैं, जिन्हें मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने इस वर्ष मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की.

वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का 71वां स्थान

इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट और कोर्टेवा एग्रीसाइंस द्वारा जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 113 देशों में भारत को 71वें स्थान पर रखा गया है. रिपोर्ट के बताया गया है कि भारत ने 57.2 के समग्र स्कोर के साथ अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश से बेहतर प्रदर्शन किया है.इतना ही नहीं भोजन की उपलब्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा के अलावा खाद्य उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के मामले में भी भारत ने इब देशों से अच्छा प्रदर्शन किया है. वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत के स्कोर में केवल 2.7 अंकों का सुधार हुआ है जबकि चीन के स्कोर में 9.6 अंकों का सुधार हुआ है. वंही इस सूचकांक में आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और अमेरिका 77.8 और 80 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं.

अगले साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चौंपियनशिप की मेजबानी नागालैंड को मिली

2022 का साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चौंपियनशिप का आयोजन नागालैंड के कोहिमा में आयोजित किया जायेगा. यह चौंपियनशिप नागालैंड में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम होगा. इस चौंपियनशिप में नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और भारत भाग लेंगे.बताते चले कि नागालैंड 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चौंपियनशिप की भी मेजबानी करेगा.

चीन ने जीता 2021 का उबर कप

महिला बैडमिंटन की प्रतियोगिता उबर कप में गत चौंपियन जापान को चीन ने 3-1 से हराकर उबर कप ट्रॉफी जीत ली. सेमीफाइनल में जापान ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से और चीन ने थाईलैंड को 3-0 से हराया था. चीन की चेन किंग चेन और जिया यी फान ने युगल मुकाबले में जापान की जोड़ी को हराया जो उबेर कप के इतिहास का सबसे लंबा मुकाबला रहा. ब्रिटिश बैडमिंटन खिलाड़ी बेट्टी उबर के नाम पर इस प्रतियोगिता का नाम उबर कप रखा गया है.

इम्तियाज अली रुसी फिल्म महोत्सव का भारत में राजदूत बनाया गया

हिंदी फिल्म निर्देशक-निर्माता इम्तियाज अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है. 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भारतीय दर्शकों को दस चुनी हुई रूसी फिल्में देखने का अवसर मिलेगा.यह पहला अवसर है जब भारत में रुसी फिल्म महोत्सव का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है. ऐसा पहला महोत्सव 2020 में आयोजित किया गया था.

परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को अर्थ गार्जियन अवार्ड मिला

इस वर्ष नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित अर्थ गार्जियन अवार्ड परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को मिला. बताते चले कि वन विभाग के अधीन गैर-लाभकारी संगठन परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में बाघों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करता है. अर्थ गार्जियन अवार्ड जैव विविधता के संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए व्यक्तियों और संस्थानों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है.

परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व एक नजर में :

यह केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित 285 वर्ग किलोमीटर (110 वर्ग मील) क्षेत्रफल वाला यह टाइगर रिजर्व 1973 में स्थापित किया गया था. यह अन्नामलाई पहाड़ियों और नेल्लियमपथी पहाड़ियों के बीच स्थित है.

नवंबर 2021 में आयोजित होगा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम

इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन 8 से 11 नवंबर 2021 तक होगा. इस वर्ष इस आयोजन की थीम 'एमपॉवर इंडिया थ्रू पॉवर ऑफ इंटरनेट' होगी. इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआईएक्सआई) और मल्टीस्टेकहोल्डर ग्रुप संयुक्त रूप से आईआईजीएफ का आयोजन करेंगे.

फेंसर भवानी देवी ने जीती चार्लेविल प्रतियोगिता

फेंसर भवानी देवी ने व्यक्तिगत महिला सेबर इवेंट में फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है. बताते चले की भवानी देवी भारत की पहली महिला ओलंपिक फेंसर हैं जिसने टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी में भाग लिया. वर्तमान में भवानी देवी दुनिया में 50 वें स्थान पर है और भारत की शीर्ष क्रम की फेंसर है.

दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च

दक्षिण कोरिया ने अंतरिक्ष में अपना पहला स्वदेशी रॉकेट नूरी प्रक्षेपित किया. रॉकेट को गोहेंग के नारो स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया है. इस रॉकेट का उपयोग पृथ्वी के चारों ओर निचली कक्षा (600-800 किमी) में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए किया जायेगा.इससे पहले भी दक्षिण कोरिया ने कई रॉकेट प्रक्षेपित किए हैं लेकिन यह पहली अवसर है जब दक्षिण कोरिया ने पूर्ण स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया है.

बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह

- हाल में ही राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने बिहार विधान सभा भवन के शताब्दी समारोह समारोह में भाग लिया।
- अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने पटना गुरुद्वारा, बुद्ध स्मृति पार्क, महावीर मंदिर का भी दौरा किया।
- राष्ट्रपति ने विधानसभा अध्यक्ष आवास पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। शताब्दी समारोह में राज्य के लगभग 1,500 वर्तमान और पूर्व सांसद और विधायक शामिल हुए।
- शताब्दी समारोह की शुरुआत 7 फरवरी 2021 से भवन के नवनिर्मित सेंट्रल हॉल में हुई थी।

बिहार विधान सभा:

इसे मूल रूप से काउंसिल चैम्बर के नाम से जाना जाता था।

इसी भवन में 7 फरवरी, 1921 को बिहार और उड़ीसा प्रान्तीय परिषद का उद्घाटन सत्र हुआ था।

बिहार विधान सभा भवन ए एम मिलवुड द्वारा "मुक्त पुनर्जागरण शैली" में डिजाइन किया गया था।

ब्रेन बूस्टर

खबरों में क्यों?

- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित 21वें एससीओ शिखर सम्मेलन में अपना 9वां सदस्य मिला।
- बैठक अफगानिस्तान पर जमीनी स्थिति और इसके वैश्विक नतीजों पर केंद्रित थी

समयरेखा:

- 1996: चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान ने शंघाई फाइव ग्रुप का गठन किया।
- 2001: उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। समूह का नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया।
- 2003: 2002 में हस्ताक्षर किए गए चार्टर। 2003 में पूरी तरह से लागू हो गया। चार्टर व्यापार, संपर्क और आतं. कवाद का मुकाबला करने पर केंद्रित था।
- 2017: भारत और पाकिस्तान शामिल हुए।
- 2021: ईरान इसमें शामिल हुआ।

व्यापार

वित्तीय वर्ष 2020 21 में भारत का चीन से आयात 65.21 बिलियन डॉलर तथा निर्यात 21.18 बिलियन बिलियन डॉलर था. रूस से आयात 5.48 बिलीयन डॉलर तथा निर्यात 2.60बिलियन डॉलरथा. अन्य सभी सदस्य राष्ट्रों से कुल आयात 1.1 बिलियन डॉलर तथा निर्यात 2.30 एक मिलियन डॉलर था. इस प्रकार यह समूह हमें सभी सदस्य राष्ट्रों से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने हेतु मंच उपलब्ध कराता है

एससीओ के बारे में:

- एससीओ 2001 में बनाया गया था। यह स्थायी अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
- यह क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करता है।
- यह यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य गठबंधन है।
- इसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है।
- यह एक आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है।
- यह सबसे बड़े अंतर-क्षेत्रीय और अंत. र्राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा है।

एससीओ और भारत के हित

भारत के हित:

- एससीओ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यूरेशियाई क्षेत्र के मामलों में भारत को अधिक दृश्यता प्रदान करता है
- एससीओ भारत को यूरेशियाई सुरक्षा समूह के अभिन्न अंग के रूप में धार्मिक उग्रवाद और आतंकवाद से उत्पन्न ताकतों को बेअसर करने में सक्षम बनाता है।
- 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग
- व्यापार और परिवहन लिंक का निर्माण,
- पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटना
- ऊर्जा
- समान विचारधारा वाले देशों के साथ अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा

आधिकारिक भाषा:

- चीनी
- रूसी

अध्यक्षता:

- सदस्य राज्यों में से एक वर्ष के लिए रोटेशन में।

एससीओ के निकाय:

- बीजिंग में सचिवालय।
- ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) की कार्यकारी समिति

द्वितीय क्वाड

खबरों में क्यों

भारत, अमेरिका, इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों की बैठक इंटरनेट के माध्यम से संपन्न हुई। यह पश्चिम एशियाई भू-राजनीति में परिवर्तन का एक मजबूत शुरुआत है

भारत के लिए सावधानी

भारत को सावधान रहना चाहिए कि वह पश्चिम एशिया के अनेक संघर्षों में न फंस जाए। बढ़ती क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता के बीच ये संघर्ष तेज हो सकते हैं

भारत के लिए सावधानी

भारत को सावधान रहना चाहिए कि वह पश्चिम एशिया के अनेक संघर्षों में न फंस जाए। बढ़ती क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता के बीच ये संघर्ष तेज हो सकते हैं।

उद्देश्य

भारत, अमेरिका, इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात ने भविष्य के आर्थिक सहयोग के लिए एक मंच बनाने का फैसला किया है. उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्रों में संयुक्त बुनियादी ढांचे की संभावनाओं का पता लगाने का भी निर्णय लिया:

- परिवहन
- प्रौद्योगिकी
- समुद्री सुरक्षा
- अर्थशास्त्र
- व्यापार
- जलवायु परिवर्तन से लड़ना

भारत के लिए लाभ

इस दूसरे क्वाड से भारत अपार लाभ अर्जित कर सकता हैं

- यह भारत को अमेरिका के साथ एक और गठबंधन में जोड़ता है, जो चीन के विस्तारवादी रणनीतिका मुकाबला करने के लिए अनिवार्य है।

- भारत के पास पहले से ही मध्य पूर्व में बहुत अधिक सॉफ्ट पावर है और लगभग 8 मिलियन का विशाल भारतीय प्रवासी है। हालाँकि, अब तक यह क्षेत्रीय राजनी. तिक जटिलताओं को देखते हुए आधिकारिक तौर पर गठबंधन में शामिल होने के लिए अनिच्छुक था। लेकिन अमेरिका द्वारा अपना ध्यान हिन्द-प्रशांतक्षेत्रमें और शक्तिशाली अरब राज्यों पर केंद्रित करने के साथ, जो इजरायल को एक नई रोशनी में देख रहे हैं, भारत के लिए कदम बढ़ाने का समय सही है। वास्तव में, मध्य पूर्व पहले से ही भारतीय निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण विदेशी बाजार है, जो इस क्षेत्र की युवा-वर्चस्व वाली जनसांख्यिकी को देखते हुए और बढ़ सकता है।

- इजराइल की उच्च-तकनीकी अर्थव्यवस्था और खाड़ी अरब देशों के तेल से अलग होने की इच्छा के साथ, बिग डेटा, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और भविष्य की अन्य तकनीकों में बहुत कुछ किया जा सकता है

भारत की पश्चिम एशिया नीति

पूर्व में, भारत ने अपनी पश्चिम एशिया नीति को 3 भागों में विभाजित किया था

- खाड़ी के सुन्नी राजतंत्र
- इजराइल
- ईरान

सूत्रधार

अब्राहम समझौते ने इजराइल और अन्य सुन्नी खाड़ी राजशाही के बीच की खाई को कम करने में मदद की है.

भारत का दृष्टिकोण

यह चार देशों की बैठक पश्चिम एशिया के विषय में एक क्षेत्रीय विदेश नीति रणनीति अपनाने की भारत की रणनीतिक इच्छा की ओर इशारा करती है, जो इसके द्विपक्षीयवाद को पार करती है

प्रधानमंत्री गतिशक्ति- राष्ट्रीय मास्टरप्लान

गतिशक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान

पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की।

पीएम गति शक्ति का उद्देश्य

- पीएम गतिशक्ति का उद्देश्य विभागीय साइलो को तोड़ना है।
- यह बहु-मोडल कनेक्टिविटी और अंतिम-मील कनेक्टिविटी के मुद्दों को संबोधित करने की दृष्टि से परियोजनाओं की अधिक समग्र और एकीकृत योजना तथा निष्पादातित करने का प्रयास करता है।

योजनाकार और जनादेश

- कैबिनेट सचिव और 18 मंत्रालयों के सचिवों की अध्यक्षता में सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) का गठन किया जाएगा।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के रसद प्रभाग के प्रमुख समूह के सदस्य संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।
- ईजीओएस को रसद दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने के लिए अनिवार्य किया गया है। इसे एनएमपी में बाद में कोई भी संशोधन करने के लिए रूपरेखा और मानदंड निर्धारित करने का अधिकार है

कुशल नीति निर्माण

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) के गठन, संरचना और संदर्भ की शर्तों को भी मंजूरी दे दी है जिसमें संबंधित बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के नेटवर्क योजना विंग के प्रमुख शामिल हैं और यह ईजीओएस की सहायता करेगा। एनपीजी को लॉजिस्टिक्स डिवीजन में स्थित एक तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी.

योजना के मुख्य स्तंभ हैं

1. **व्यापकता:** इसमें एक केंद्रीकृत पोर्टल में विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों की सभी मौजूदा और नियोजित पहलों का विवरण शामिल होगा।
अब परियोजनाओं के व्यापक नियोजन और निष्पादन के क्रम में महत्वपूर्ण डेटा का आदान - प्रदान करते हुए प्रत्येक विभाग को एक-दूसरे की गतिविधियों से अवगत रहने की सुविधा होगी।

2. प्राथमिकता: इसके माध्यम से विभिन्न विभाग विविध क्षेत्रों से संबंधित पारस्परिक व्यवहार के जरिए अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में सक्षम होंगे।

3. अधिकतम उपयोग: यह राष्ट्रीय मास्टर प्लान महत्वपूर्ण खामियों की पहचान के बाद विभिन्न परियोजनाओं की योजना बनाने में विभिन्न मंत्रालयों की सहायता करेगा।
माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, यह मास्टर प्लान समय और लागत की दृष्टि से अधिकतम उपयोगी मार्ग चुनने में मदद करेगा।

4. सामंजस्यीकरण: अलग-अलग मंत्रालय और विभाग अक्सर एक – दूसरे से अलग – थलग होकर काम करते हैं। परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन को लेकर उनके बीच समन्वय का अभाव होता है जिसके परिणामस्वरूप विलम्ब होता है। पीएम गतिशक्ति प्रत्येक विभाग की गतिविधियों के साथ-साथ शासन-प्रणाली की विभिन्न परतों के बीच काम का समन्वय सुनिश्चित करके उनके बीच समग्र रूप से सामंजस्य स्थापित करने में मदद करेगी।

5. **गतिशीलता:** सभी मंत्रालय और विभाग अब जीआईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विविध क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की परिकल्पना, समीक्षा और निगरानी करने में सक्षम होंगे, क्योंकि उपग्रह इमेजरी समय-समय पर धरातल पर होने वाली प्रगति की जानकारी देगी और उसके अनुरूप परियोजनाओं की प्रगति से संबंधित जाकारी को नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। यह कदम इस मास्टर प्लान को आगे बढ़ाने और उसे अपडेट करने से संबंधित महत्वपूर्ण उपायों की पहचान करने में मदद करेगा।

फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2021

पुरस्कार

नोबेल असेंबली ने संयुक्त राज्य अमेरिका के डेविड जूलियस (कंअपक श्रनसपने) और अर्डेम पटापाउटियन (**Ardem-Pata poutian**) को "तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए" शरीर विज्ञान या चिकित्सा में 2021 का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है।

1990 के अंत में, प्रोफेसर जूलियस ने कैप्साइसिन के लिए एक तंत्रिका रिसेप्टर की पहचान करने के लिए एक परियोजना शुरू की। उन्होंने एक ऐसे जीन की तलाश की जो कोशिकाओं में कैप्साइसिन की प्रतिक्रिया को प्रेरित कर सके जो आमतौर पर इस पर प्रतिक्रिया नहीं करते। उन्हें एक नया आयन चौनल प्रोटीन मिला, जिसे **TRPV1** कहा गया.

टीआरपी (**TRP**) - क्षणिक रिसेप्टर क्षमता(**Transient Receptor Potential**)

VR1& वैनिलॉइड रिसेप्टर 1 **(Vanilloid receptor 1)**

यह पाया गया कि **TRPV1** 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर सक्रिय होता है, जो शरीर की दर्द सीमा के करीब है।

उनके शोध का महत्व

गर्मी, सर्दी और स्पर्श को महसूस करने की हमारी क्षमता अस्तित्व के लिए आवश्यक है और हमारे आसपास की दुनिया के साथ समन्वय स्थापित करती. इन शोधकर्ताओं ने मॉलिक्यूलर मैके. निज्म की खोज की है जिसके द्वारा हमारा शरीर स्पर्श और तापमान को महसूस करता है। इसने बहुत सारे व्यावहारिकता को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रकट कर दिया है, जिसके माध्यम से दर्द या संवे. दना को शांत करने के लिए सिर्फ उन्ही कोशिकाओं और मार्गों को सक्रिय या संशोधित किया जा सकता है.

डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटियन की खोजों से पहले, हमारे तंत्रिका तंत्र की समझ में बड़ी बाधाथी :- तंत्रिका तंत्र में तापमान और यांत्रिक उत्तेजनाओं को विद्युत आवेगों में कैसे परिवर्तित किया जाता है?

अर्देम पटापाउटियन का शोध

पेटापाउटियन इस बात पर शोध कर रहे थे कि दबाव और बल कोशिकाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। पटापाउटियन और जूलियस का दृष्टिकोण समान था।पहचाने गए 72 जीनों में से, च्पम्रव1 यांत्रिक बल के प्रति संवेदनशीलता को ट्रिगर करने में सक्षम था। **Piezo1** के माध्यम से, एक दूसरा जीन, **Piezo2** खोजा गया था।

Piezo1 और **Piezo2** आयन चौनल हैं जो सीधे कोशिका झिल्ली पर दबाव डालने से सक्रिय होते हैं।

Piezo2 ने शरीरक्रिया विज्ञान (फिजियोलॉजी),रक्तचाप, श्वसन और मूत्राशय आदि को नियंत्रित करनेमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

डेविड जूलियस का शोध

कैप्साइसिन(**Capsaicin**) **(8-methyl&N&Vanillyl&6&noneamide)]** मिर्च का सक्रिय घटक है। जब हम मसालेदार खाना खाते हैं तो यह जलन पैदा करता है। जब कैप्साइसिन संवेदी तंत्रिकाओं पर कार्य करता है तो यह एक झिल्ली के साथ आयनिक धाराएँ प्रेरित करता है

इन खोजों की प्रासंगिकता

इन खोजों ने इन दर्द और तापमान सेंसर की संरचना में अंतर्दृष्टि की अनुमति दी है. अब दर्द निवारक दवाओं के लिए चुनौती अन्य क्षेत्रों को परेशान किए बिना इस क्षेत्र को सटीक रूप से लक्षित करना है।

भारतीय संविधान का विकास

भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के विकास की जड़ें ब्रिटिश शासन में हैं।

ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में व्यापार के लिए भारत आई थी. वर्ष 1765 में, कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के "दीवानी" अधिकार प्राप्त करके एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई।

1857 के 'प्रथम स्वतंत्रतासंग्राम' ने ब्रिटिश राजशाही को भारत के शासन के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदारी संभालने का मौका दिया।

पिट्स इंडिया एक्ट 1784

- कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया
- राजनीतिक मामलों को संभालने के लिए छह सदस्यों वाला एक "नियंत्रण बोर्ड" नियुक्त किया गया था
- कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी गई थी।

भारतीय संविधान के विकास को 2 चरणों में बांटा गया है

1. कंपनी शासन (1773-1858)
2. ब्रिटिश राजशाही द्वारा शासन (1858-1947)

1833 का चार्टर अधिनियम

- बंगाल के गवर्नर जनरल बने भारत के गवर्नर जनरल
- भारत के लिए केंद्रीय विधायिका की शुरुआत। अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रांतों की विधायी शक्तियों को छीन लिया
- ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एक प्रशासनिक निकाय बन गई। वाणिज्यिक निकाय के रूप में कंपनियों की गति. विधियां समाप्त

रेगुलेटिंग एक्ट 1773

- भारतीय उपमहाद्वीप में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम
- बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर-जनरल के रूप में नामित किया गया था।
- गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद (चार सदस्य) का गठन किया गया था।
- बंगाल की प्रेसीडेंसी, बॉम्बे और मद्रास से प्रधान हो गई।
- कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश शामिल थे।

1853 का चार्टर अधिनियम

- गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया
- भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद में 6 सदस्य। 4 प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए थे

1813 का चार्टर अधिनियम

- ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।
- ईसाई मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति दी गई

भारतीय अंतरिक्ष संघ (ISpA)

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को भारतीय अंतरिक्ष संघ, अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों के प्रमुख औद्योगिक संघ का शुभारंभ किया.

- स्पेसएक्स के स्टारलिंक, सुनील भारती मित्तल के वनवेब, अमेजॅन के प्रोजेक्ट कुइपर, यूएस उपग्रह निर्माता ह्यूजेस कम्युनिकेशन आदि की उपस्थिति के साथ उच्च गति और सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष आधारित संचार नेटवर्क शुरू हो गया है।

कुछ सहयोगी संगठन

एनसिल **(NSIL)**:-सरकार ने 2019 के बजट में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड **(NSIL)** की स्थापना की घोषणा की. यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होगी जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की मार्केटिंग शाखा के रूप में काम करेगी।

एनसिलइसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के विपणन के क्षेत्र में काम करेगा। यह इसरो के लिए ऐसे ग्राहक भी लाएगा जिन्हें अंतरिक्ष आधारित सेवाओं की आवश्यकता होगी।

इन-स्पेकस **(IN&Space)**:- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र **(IN&Space)** को 2020 में मंजूरी दी गई थी। यह निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए एक समान अवसर प्रदान करेगा।

आईएसपीए की स्थापना क्यों महत्वपूर्ण है

- निजी क्षेत्र को नवाचार की स्वतंत्रता
- एक प्रवर्तक के रूप में सरकार की भूमिका
- युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना
- आम आदमी की प्रगति के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को एक संसाधन के रूप में देखना

आईएसपीए का उद्देश्य

- आईएसपीए का लक्ष्य भारत के अंतरिक्ष उद्योग के त्वरित विकास में योगदान देना और देश को इस क्षेत्र में अग्रणी खिलाड़ी बनाना है।

- यह निर्माण की दिशा में भी काम करेगा यह भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के लिए वैश्विक संबंध बनाने की दिशा में भी काम करेगा ताकि देश में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और निवेश लाया जा सके और अधिक उच्च कौशल वाली नौकरियां पैदा की जा सकें

संगठन के निर्माण खंड

- आईएसपीए के पास उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमता वाले प्रमुख घरेलू और वैश्विक निगम होंगे। इसके संस्थापक सदस्यों में भारती एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो, नाल्को (टाटा समूह), वनवेब, मैपमायइंडिया, गोदरेज, ह्यूजेस इंडिया, बीईएल, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, मैक्सर इंडिया शामिल हैं।

भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट का महत्व

- भारत में इंटरनेट सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
- हालांकि सरकार ने भारत नेट शुरू किया है लेकिन पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और पूर्वोत्तर भारत के दूर-दराज के आधार पर अभी भी चुनौती है।
- इस पर काबू पाने के लिए, कम आबादी वाले और दूर-दराज के स्थानों में ब्रॉडबैंड समावेशन के लिए सैटेलाइट इंटरनेट आवश्यक होगा।

ओएफबी भंग और सात नए डीपीएसयू

ओएफबी के बारे में

आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी), जिसमें भारतीय आयुध कारखाने शामिल थे, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सर. कार के अधीन एक संगठन था।

ओएफबी में शामिल थे

- 41 आयुध कारखाने
- 9 प्रशिक्षण संस्थान
- 3 क्षेत्रीय विपणन केंद्र
- सुरक्षा के 5 क्षेत्रीय नियंत्रक

परिवर्तन के कारण : ३ प्रमुख मुद्दे

1. उपकरण और गोला-बारूद की खराब गुणवत्ता, जिसके कारण उपयोगकर्ता का विश्वास कम हुआ है और जमीन पर सैनिकों का नैतिक पतन हुआ है.

2. दिए गए आदेशों की उच्च लागत, क्योंकि संगठन बिना किसी प्रतिस्पर्धी बोली के ये आदेश प्राप्त कर रहा था.

3. ओएफबी द्वारा समय-सीमा का सम्मान न करना एक बड़ी चिंता थी, क्योंकि इसका सशस्त्र बलों की युद्ध तत्परता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है.

नूतन कार्यप्रणाली

41 कारखानों को 7 सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में परिवर्तित किया जाएगा।

1- एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड	
मुख्यालय	**कानपुर**
उत्पादन इकाइयाँ	**8**
विशेषज्ञता	राइफल्स, नेवल गन, आर्मर्ड व्हीकल गन सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन, शॉटगन, ग्रेनेड लॉन्चर, कार्बाइन, मोर्टार, स्नाइपर राइफल, एंटी-मटेरियल राइफल और पिस्टल

2. कवच वाहन निगम लिमिटेड	
मुख्यालय	**चेन्नई**
उत्पादन इकाइयाँ	**5**
विशेषज्ञता	रक्षा गतिशीलता और लड़ाकू वाहन जैसे MBT, UCV, TRAWL, MPV और इंजन

3. **म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड**	
मुख्यालय	**पुणे**
उत्पादन इकाइयाँ	**12**
विशेषज्ञता	छोटे और बड़े हथियार गोला बारूद, विस्फोटक, डेटोनेटर, प्रोजेक्टाइल, प्रोपेलेंट, विशेष रसायन, हथगोले, चार्ज और बम

4. **यंत्र इंडिया लिमिटेड**	
मुख्यालय	**नागपुर**
उत्पादन इकाइयाँ	**8**
विशेषज्ञता	मध्यम और बड़े कैलिबर गोला बारूद के लिए घटक, बख्तरबंद वाहनों के लिए घटक, आर्टिलरी गन और मुख्य युद्धक टैंक, ग्लास कंपोजिट, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, आदि।

5. **ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड**	
मुख्यालय	**कानपुर**
उत्पादन इकाइयाँ	**1**
विशेषज्ञता	पैराशूट जैसे: टैक्टिकल असॉल्ट ट्रूप पैराशूट, एयरक्राफ्ट ब्रेक पैराशूट, मैन ले जाने वाले पै. राशूट, सप्लाई-ड्रॉप पैराशूट, पायलट पैराशूट और हाई-एल्टीट्यूड पैराशूट।

6. **ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड**	
मुख्यालय	**कानपुर**
उत्पादन इकाइयाँ	**4**
विशेषज्ञता	वर्दी, तंबू, जैकेट, जूते और बूट क्रैम्पन्स

7. **इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड**	
मुख्यालय	**देहरादून**
उत्पादन इकाइयाँ	**3**
विशेषज्ञता	ऑप्टिकल दृष्टि, ऑप्टिकल डिवाइस, नाइट-विजन डिवाइस के लिए कंपोनेंट्स, लेजर साइटिंग डिवाइस, वायर और केबल, असेंबली और राइफल स्कोप

राजव्यवस्था शब्दावली

सार तत्व का सिद्धांत

संविधान में राज्यों और केंद्र को विधि बनाने की शक्ति को तीन सूचियों (संघ सूची ,राज्य सूची, समवर्ती सूची)में विभाजित किया गया है. परन्तु सूची में वर्णित विषयों का विभाजन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक ढंग से किया जाना सम्भव नहीं था. ऐसे में केंद्र राज्य के मध्य विवाद उत्पन्न होता रहता है कि कोई विषय एक सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या दूसरी सरकार के अधिकार क्षेत्र में.

ऐसे में न्यायालय मामले के सार को देखता है. इसके अंतर्गत तीनों सूचियों की व्याख्या कानून के शीर्षक को देखकर नहीं बल्कि विषयवस्तु के आधार पर सार तत्व के सिद्धांत के आधार पर की जाती है.

सार तत्व के सिद्धांत को संसद द्वारा बनाये गये कानूनों और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाये गए कानूनों (अनुच्छेद 54) में प्रतिकूलता से संबंधित मामलों में भी लागू किया जाता है.

इस सिद्धांत को पहली बार कनाडा के संविधान में स्वीकार किया गया था.जबकि भारत में इस सिद्धांत को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्वतंत्रता पूर्व अवधि में अपनाया गया.

मुम्बई राज्य बनाम बालसारा ए.आई.आर. 1951 मामले में बाम्बे मद्द्य निषेध अधिनियम जिसके द्वारा राज्य में मादक द्रव्यों को खरीदने तथा रखने को निषेध कर दिया गया था. राज्य के इस कानून की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि राज्य संघ सूची में वर्णित विषय मादक पदार्थों के आयात निर्यात पर अतिक्रमण करता है. क्योंकि मादक द्रव्यों के क्रय विक्रय और उपयोग को रोकने से उसके आयात-निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम को 'सार तत्व के सिद्धांत' के आधार पर वैध माना. उसके अनुसार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य सूची के विषय से संबंधित था संघ सूची से नहीं.

लाभ का पद

लाभ के पद से तात्पर्य उस पद से है जिस पर रहते हुए कोई व्यक्ति सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुविधा लेने का अधिकारी होता है. भारतीय संविधान में भाग 5 के अनुच्छेद 102(1) **(a)** के अंतर्गत संसद सदस्यों के लिए तथा अनुच्छेद 191(1)**(a)** के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए ऐसे किसी भी लाभ के पद को धारण करने का निषेध किया गया है जिससे उस पद के धारण करने वालों को किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता हो.

संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम 1959 के अनुसार यदि किसी सांविधिक/ गैर सांविधिक निकाय अथवा कम्पनी में निदेशक/सदस्य के तौर पर कार्यरत व्यक्ति प्रतिपूरक भत्ते के अतिरिक्त किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार नहीं है तो वह संसद सदस्य बनने के अयोग्य नहीं माना जायेगा.

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 (ए) में भी सांसदों व विधायकों को लाभ का पद धारण करने से प्रतिबंधित किया गया है.

संविधान में 'हितों के टकराव' और विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के क्रियान्वयन हेतु प्रावधान किया गया है कि 'लाभ के पद' पर आसीन कोई भी व्यक्ति विधायिका का हिस्सा नहीं हो सकता है. लेकिन लाभ के पदश को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है.

प्रत्यर्पण

एक देश की ओर से किसी अन्य देश को आ. रोपी व्यक्तियों को वापस सौंपने की व्यवस्था को प्रत्यर्पण कहते हैं. जो मूल देश को ऐसे अपराधों जिनमें वे दोषी या आरोपी हैं और उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है, से निपटने में सहायता प्रदान करती है.

अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यर्पण मुख्यता द्विपक्षीय संधियों पर आधारित है. इस पर सार्वभौमिक नियम नहीं बन सका है. प्राचीन काल से ही राज्यों (राष्ट्रों) ने सदैव विदेशियों को शरण देना अपना अधिकार समझा है. अतः प्रत्र्पण दो राज्यों (राष्ट्रों) के परस्पर सम्बन्ध से संचालित होता है. अतः अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रथाओं संबंधी कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है जिसके द्वारा राज्यों पर प्रत्यर्पण का उत्तरदायित्व हो.

भारत में प्रत्यर्पण

प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 की धारा 2 (डी) भगोड़े अपरा धियों के प्रत्यर्पण से संबंधित विदेशी राज्य के साथ भारत द्वारा की गई संधि, समझौते या व्यवस्था के रूप में प्रत्यर्पण संधि को परिभा. षित करती है और इसमें किसी भी संधि, समझौते या व्यवस्था से संबंधित कोई संधि, समझौता या व्यवस्था शामिल है.

सावरकर केस -191

बी.डी. सावरकर एक भारतीय क्रान्तिकारी थे जिन्हें एक जलयान द्वारा भारत लाया जा रहा था. उनके विरुद्ध देशद्रोह तथा अपराध को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में मुकदमा ब्रिटिश भारत की न्यायालय में चलाया जाना था. सावरकर जहाज से भाग निकले परन्तु वह फ्रांस की पुलिस द्वारा पकड़े गये. फ्रांस के जलयान के कप्तान ने उन्हें ब्रिटिश जलयान के कप्तान को सुपुर्द कर दिया. इसके उपरान्त फ्रांस सरकार ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि सावरकर को लौटा दें क्योंकि इस मामले में प्रत्यर्पण-सम्बन्धी नियमों का ठीक से पालन नहीं हुआ. तथा यह मामला हेग न्यायालय गया जहाँ ब्रिटेन के पक्ष में फैसला सुनाया गया. तात्कालिक विधि शास्त्रियों ने इसकी आलोचना कीथी.

भारत के लिए प्रत्यर्पण संबंधी चुनौतियाँ –

मानवाधिकार संबंधी मुद्दे: भारत की जेलों में अव. संरचनात्मक ढांचे की कमी, स्वच्छता का अभाव, तथा अन्य कारक भारतीय कारावासों को पुनर्वास तथा सजा हेतु अनुपयुक्त बनाते हैं. पुलिस सुध ार और कारागार सुधारों की उपेक्षा भी प्रत्यर्पण में बाधा उत्पन्न करती है. ब्रिटेन ने इसी आधार पर भारत में प्रत्यर्पण से इंकार कर दिया था.

भारत द्वारा द्वीपक्षीय प्रत्यर्पण संधियों की उपेक्षा: अन्य देशों की तुलना में भारत की चीन, पाकिस्. तान, म्यांमार तथा अफगानिस्तान जैसे कई पड़ोसी राज्यों के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है. उदाहरणतः भारत द्वारा एंटीगुआ तथा बरबूडा के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं की गई है, जिसके कारण मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण में विलंब हो रहा है.

कुछ अन्य चुनौतियाँ:

- जाँच में विलंब संबंधी समस्या
- प्रभावी निवारक कानूनों की कमी

मार्शल लॉ

- भारतीय संविधान में मार्शल लॉ के लागू होने

पर अनुच्छेद 34 के अंतर्गत मूल अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित किया जाता है.

- संसद द्वारा विशेष परिस्थितियों में पूरे देश में या देश के किसी छोटे से हिस्से में मार्शल लॉ को लगाया जा सकता है. यह ऐसी परिस्थिति का परिचायक है, जहाँ सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के तहत संचालित किया जाता है. इस तरह वहां साधारण कानून निलंबित हो जाता है और सरकारी कार्यों को सैन्य अधिकरणों के अधीन किया जाता है. यह सैन्य कानून से अलग है जो कि शास्त्र बलों पर लागू होता है.

मार्शल लॉ को घोषित करने को लेकर संविधान में कोई विशेष प्राधिकरण की व्यवस्था नहीं है.

- मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियों जैसे– युद्ध, अशांति, दंगे, या कानून का उल्लंघन आदि में लागू किया जा सकता है.
- मार्शल लॉ का न्यायोचित उद्देश्य यही है कि समाज में व्यवस्था बनाई रखी जा सके.

उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रात्यक्षीकरण रिट को निलंबित नहीं कर सकता.

मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में अंतर

भारतीय संविधान में मार्शल लॉ के लिए विशिष्ट प्रावधान नहीं हैं,यानि किन परिस्थितियों में इसे लागू किया जायेगा, इसको लेकर अस्पष्टता है.

भारतीय संविधान का भाग 18, अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल को लेकर विस्तृत एवं स्पष्ट प्रावधान है.

कानून एवं व्यवस्था के भंग होने पर उसे निर्धारित करता है.

44वे संविधान संशोधन के बाद तीन आधारों पर लागू किया जाता है-युद्ध, विदेशी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह

मार्शल लॉ केवल मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है.

राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर), संघीय योजनाओं, शक्ति के विभाजन को व्यापक रूप से प्रभावित करता है.

मार्शल लॉ में सरकार और सामान्य अदालतों को निलंबित कर दिया जाता है.

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अदालतें कार्यरत रहती हैं, निलंबित नहीं होती.

इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है.

इसे पूरे देश या देश के किसी हिस्से में लागू किया जा सकता है.

क्यू वारंटो (अधिकार पृच्छा)

मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 (2) के तहत पांच प्रकार की रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और क्यू वारंटो) जारी करने की शक्ति प्राप्त है.

अधिकारपृच्छा का अर्थ है 'आपका प्राधिकार क्या है?' यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोकपद को अवैध रूप से धारण किये हुए है. यदि व्यक्ति अपने प्राधिकार से सबंधित दावे को प्रमाणित नहीं कर पाता है तो उसे पद से हटा दिया जाता है. इस प्रकार क्यू वारंटो लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोंकता है.

बी.आर.कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के विरुद्ध 'क्यू वारंटो' जारी किया गया था. क्योंकि 'चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद' जयललिता मुख्यमंत्री पद पर थी. उनका तर्क था अनुच्छेद 164 के अनुसार कोई व्यक्ति जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है. लेकिन अनुच्छेद 191 की व्याख्या करते हुए

कोर्ट ने कहा 'चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त नहीं हो सकता है.

इस रिट को सिर्फ संवैधानिक कार्यालयों से संलग्न मामलों में जारी किया जाता है, निजी कार्यालय के विरुद्ध नहीं.

संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने की शक्ति दे सकता है.

धन्यवाद प्रस्ताव:

राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के पश्चात राष्ट्रपति को धन्यवाद ज्ञापित करन के लिए सरकार द्वारा संसद के प्रत्येक सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है. प्रस्ताव के पारित होने पर यह माना जाता है कि सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त है किन्तु यदि लोकसभा प्रस्ताव अस्वीकृत कर दे तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है.

व्यवस्था का प्रश्न:

जब संसद में किसी कार्यवाही के दौरान संसदीय प्रक्रिया के किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तब संसद का कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है. यह सदन का ध्यान आकर्षित करने की एक असाधारण प्रक्रिया है क्योंकि इसके उठाये जाने पर सदन की कार्यवाही निलम्बित हो जाती है. यह प्रश्न सामान्यत: विपक्ष के द्वारा सरकार पर नियंत्रण के लिए उठाया जाता है. कोई प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं इसका निर्धारण पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है.

प्रश्न काल:

सामान्यतया प्रतिदिन संसद के दोनों सदनों में बैठक का प्रथम घंटा (दोपहर 11 से 12 बजे तक) प्रश्न काल होता है. भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम 1890 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा शुरू हुई थी.

वित्त आयोग:

वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत संवैधानिक निकाय है. राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है. इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है

अध्यक्ष: सार्वजनिक मामलों का अनुभव.

सदस्य –

- उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो
- सरकार के वित्त और लेखा का ज्ञान हो
- वित्तीय प्रशासन में अनुभव हो

वित्त आयोग एक सलाहकारी निकाय है इसकी सिफारिशे बाध्यकारी नहीं होती है. इसे दीवानी न्यायालय का दर्जा प्राप्त है.

प्रस्तावना और उद्देश्य प्रस्ताव:

भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था. इस उद्देश्य प्रस्ताव से स्वतंत्रता, संप्रभुता, गणराज्य की संकल्पना ली गई है.

जयंती विशेष : 'ओल्ड लेडी गाँधी' के नाम से चर्चित मातंगिनी हाजरा

19 अक्टूबर को स्वाधीनता सेनानी मातंगिनी हाजरा की देश 151 वीं जयंती मना रहा है. भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ऐसी अनेक महिलाएं सामने आईं जिन्होंने अपने अपने कौशल से स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा थी. कुछ महिलाएं उदारवादी कानूनी मार्ग पर चल कर योगदान कर रही थीं तो कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा. इन्हीं में एक महान वीरांगना थीं मातंगिनी हाजरा.

19 अक्टूबर, 1870 को मातंगिनी हाजरा ने तमलूक शहर से कुछ दूरी पर मौजूद होगला मिदनीपुर जिला में एक साधारण परिवार में जन्म लिया. उन्हें बाल विवाह का दंश झेलना पड़ा और अत्यंत निर्धनता के चलते उनका विवाह मात्र 12 वर्ष की आयु में 62 वर्षीय विधुर त्रिलोचन हाजरा से कर दिया गया.

1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान मातंगिनी का राष्ट्रवादी चरित्र मुखर रूप में सामने आया . बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध की रणनीति के उस दौर में उन्होंने गांधीवादी कार्य पद्धति में पूर्ण आस्था बनाए रखी. सूत कातने और खादी वस्त्रों को धारण करने की दिशा में उस समय की भारतीय महिलाओं के समक्ष उन्होंने एक मिसाल पेश किया. मातंगिनी हाजरा ने गाँधीजी के 'नमक सत्याग्रह' में भी सक्रिय रूप से भाग लिया. 1932 में उनके गाँव में एक जुलूस निकला. उसमें कोई भी महिला नहीं थी. यह देखकर मातंगिनी जुलूस में सम्मिलित हो गईं. इसके साथ ही वे गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की सक्रिय महिला सहभागी भी थीं. 17 जनवरी, 1933 को 'करबन्दी आन्दोलन' को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गर्वनर एण्डरसन तामलुक आये, तो उनके विरोध में प्रदर्शन हुआ. वीरांगना मातंगिनी हाजरा सबसे आगे काला झण्डा लिये डटी थीं और उन्होंने काले झंडे पूर्ण निर्भीकता के साथ दिखाए भी. वह ब्रिटिश शासन के विरोध में नारे लगाते हुई दरबार तक पहुँच गयीं. इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और छह माह का सश्रम कारावास देकर मुर्शिदाबाद जेल में बन्द कर दिया.

भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान भी इनकी भूमिका अप्रतिम रही. 29 सितंबर 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ एक जुलूस निकाला गया था , जिसमें 6000 से अधिक आंदोलनकारी मौजूद थे. इसमें अधिकतर महिलाएं शामिल थीं. वहीं इस जुलूस का नेतृत्व 71 वर्षीय मातंगिनी हाजरा कर रही थीं. प्रदर्शनकारियों ने तामलूक थाने पर धावा बोलने की योजना बनाई थी. उनका मकसद थाने को अपने कब्जे में करना था. जैसे ही जुलूस शहर में पहुंचा ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें लागू भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत रुकने का आदेश दिया. इससे जुलूस में भीड़ तितर बितर हो गई थी. ऐसे में मातंगिनी ने हाथ में तिरंगा लिए आगे की ओर बढीं. वह वंदेमातरम के नारों को बुलंद कर रही थीं. तीन गोलियां खाने के बाद भी उन्होंने तिरंगे को अपने हाथों में थामे रखा था.

राजव्यवस्था से जुड़े 50 बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह जो माता-पिता या संरक्षक हो वह छः से चौदह वर्ष के बीच की आयु के अपने यथास्थिति, बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उपरोक्त कर्तव्य अन्तः स्थापित किया गया है?
   (a) 42वां संशोधन अधिनियम
   (b) 46वां संशोधन अधिनियम
   (c) 86वां संशोधन अधिनियम
   (d) 44वां संशोधन अधिनियम

2. निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51। के अधीन मूल कर्तव्य नहीं है?
   (a) आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना
   (b) निर्वाचन में मतदान करना
   (c) उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास
   (d) वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास

3. संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित नही ह?ै
   1. दोहरी शासन व्यवस्था।
   2. संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका।
   3. एकल नागरिकता।
   4. शक्तियों का विभाजन।

   कूट :
   (a) केवल 1 और 2 **(b)** केवल 2
   (c) केवल 3 **(d)** केवल 4

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित संघ की कार्यपालिका शक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित हैं?
   1. नीति का निर्धारण तथा निष्पादन
   2. विधायन का आरंभ
   3. शासक को मान्यता देना और उसे वापस लेना
   4. व्यापारिक कार्य कलाप चलाना

   नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए-
   (a) 1 और 2
   (b) 2 और 3
   (c) 3 और 4
   (d) 1, 2, 3 और 4

5. भारत के संघ की कार्यपालिका किन से मिलकर बनती है?
   (a) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मंत्रिपरिषद
   (b) राष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री
   (c) केवल राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद
   (d) केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद

6. संविधान के अंतर्गत युद्ध अथवा शांति की घोषणा की शक्ति निहित है?
   (a) प्रधानमंत्री में
   (b) रक्षा मंत्री में
   (c) संसद में
   (d) राष्ट्रपति में

7. लोक सेवा आयोगों के कार्यों में शामिल है :
   1. राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रतिवर्ष यथास्थिति संघ या राज्य के आयोग द्वारा किए गए कार्य का प्रतिवेदन देना।
   2. राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निर्देशित विषयों पर परामर्श देना।
   3. संघ और राज्यों की सरकारों में नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन करना।

   कूट :
   (a) केवल 1 और 2 **(b)** केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3 **(d)** 1, 2 और 3

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के शीर्ष नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् से मिलकर बनी होती है।
   2. राष्ट्रपति उप-राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।
   3. संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) 1 और 3 **(b)** 2 और 3
   (c) 1, 2 और 3 **(d)** 1 और 2

9. भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
   (a) सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति करता है।
   (b) प्रधानमंत्री और संघीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
   (c) सांविधिक निकायों के अध्यक्षों एवं सदस्यों को स्वविवेक से नियुक्त करने और हटाने की परमशक्ति राष्ट्रपति के पास है।
   (d) राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च समावेष्टा होता है।

10. भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं हैं?
    (a) उसे प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमण्डल के सभी निर्णयों की सूचनाओं से अवगत करा दिया जाना चाहिए।
    (b) वह, जब उचित समझे, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
    (c) वह प्रधानमंत्री से यह कह सकता है कि वह अपने किसी भी मंत्री के किसी भी निर्णय को अपने मंत्रिमण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत करें।
    (d) उसे देश के प्रशासन से संबंधित वे सारी सूचनाऐं दी जानी चाहिए जो वह अपने पास मंगवाता है।

11. निम्नांकित में से किसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करते हैं?
1. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक
2. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
3. राज्यपाल
4. भारत का महान्यायवादी
कूट :
(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 1, 2 और 3
(d) उपरोक्त सभी

12. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल निम्नलिखित से मिलकर बनता है?
(a) राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
(b) संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
(c) राज्यसभा, राज्य की विधान परिषद और संघ क्षेत्रों की विधान सभाओं के सदस्य
(d) नगर पालिका, स्थानीय निकाय और पंचायतों के सदस्य, स्नातक जिन्हें तीन वर्ष हो चुके हैं, उच्च शिक्षा संस्थाओं के शिक्षक, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य

13. राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद हैं?
1. अनुच्छेद-54 और 55
2. अनुच्छेद-57 और 58
3. अनुच्छेद-66 और 68
4. अनुच्छेद-62 और 71
कूट :
(a) 1, 2, 3 और 4
(b) 2 और 4
(c) 1, 2 और 4
(d) 1 और 2

14. अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में, ''राज्य'' के अन्तर्गत आते हैं-
1. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र
2. चण्ड़ीगढ़
3. पांडुचेरी
4. दमन और द्वीव
कूट :
(a) 1 और 2
(b) 3 और 4
(c) 1 और 4
(d) 1 और 3

15. भारतीय संसद में विधि-निर्माण की प्रक्रिया के अन्तर्गत द्वितीय वाचन में क्या होता है?
(a) यह विधेयक के सदन में प्रस्तुत किए जाने की अवस्था होती है।
(b) विधेयक पर काफी विस्तार से विचार किया जाता है और उसमें संशोधन भी प्रस्तुत किए जाते हैं।
(c) भाषा संबंधी संशोधनों को छोड़कर कोई मौलिक संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाता है।
(d) इनमें से कोई नहीं

16. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन भाग नहीं लेते हैं?
(a) राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य
(b) लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
(c) विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
(d) विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य

17. निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है?
(a) 24वाँ संशोधन
(b) 32वाँ संशोधन
(c) 42वाँ संशोधन
(d) 44वाँ संशोधन

18. किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है?
(a) इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ।
(b) बालाजी बनाम मैसूर राज्य।
(c) देवासन बनाम भारत संघ।
(d) इमैनुअल बनाम केरल राज्य।

19. संविधान आधार प्रदान करता है -
(a) अपराधियों की सजा का
(b) नागरिकों के संबन्धों का
(c) देश के शासन का
(d) व्यापार संबन्धों का

20. निम्नलिखित में से कौन से पद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गये?
1. समाजवादी 2. धर्म निरपेक्ष
3. न्याय 4. अखण्डता

(a) केवल 1 और 2 **(b)** केवल 1,2और 3
(c) केवल 1, 2 और 4 **(d)** केवल 1, 3 और 4

20. भारत की संविधान सभा में शामिल सदस्य थे -
1. अंग्रेज सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
2. राजनैतिक दलों द्वारा मनोनीत सदस्य
3. प्रान्तीय विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य
4. देसी रियासतों के प्रत्याशी
5. केवल लोगों द्वारा निर्वाचित सदस्य

सही विकल्प का चयन करें -

(a) केवल 1 और 2 **(b)** केवल 3 और 4
(c) केवल 1 और 4 **(d)** केवल 5

22. भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे?
(a) 495 **(b)** 395
(c) 295 **(d)** 695

23. जब राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति दोनों ही उपलब्ध न हो तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है?
(a) प्रधानमंत्री
(b) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(c) मुख्य चुनाव आयुक्त
(d) लोक सभा अध्यक्ष

24. भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है-
(a) तीन वर्ष
(b) चार वर्ष
(c) पाँच वर्ष
(d) छः वर्ष

25. भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है?
(a) राष्ट्रपति
(b) उपराष्ट्रपति
(c) प्रधानमंत्री
(d) नियंत्रक महालेखा परीक्षक

26. राज्य सभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है?
(a) 200
(b) 340
(c) 250
(d) 550

27. लोक सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?
(a) 25 वर्ष
(b) 30 वर्ष
(c) 18 वर्ष
(d) 20 वर्ष

28. निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीशों की नियुक्ति करता है?
(a) राष्ट्रपति
(b) प्रधानमंत्री
(c) कानून मंत्री
(d) भारत के मुख्य न्यायधीश

29. निम्नलिखित में से कौन से उपबंध साधारण बहुमत से परिवर्तित किये जा सकते है?
1. विधान परिषदों का सृजन
2. संघ राज्यक्षेत्रों के लिए मंत्री परिषद का सृजन
3. संसदीय विशेषाधिकारों को परिनिश्चित करना
4. संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण

(a) केवल 1 और 2 **(b)** केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4 **(d)** केवल 3 और 4

30. संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया?
(a) 13 दिसम्बर 1946
(b) 22 जनवरी 1947
(c) 30 जून 1947
(d) 26 नवंबर 1949

31. निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया है?
(a) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
(b) संपत्ति का अधिकार
(c) समानता का अधिकार
(d) संवैधानिक उपचार का अधिकार

32. अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय को
1. निर्देश देने की शक्ति होगी
2. आदेश देने की शक्ति होगी
3. रिट निकालने की शक्ति होगी

कूट :

(a) उपरोक्त सभी **(b)** केवल 3
(c) 2 और 3 **(d)** 1 और 3

33. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. मौलिक अधिकारों के हनन के किसी मामलें में प्रभावित व्यक्ति इसके उचार हेतु उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है।
2. जनहित वाद के मामलें में प्रभावति व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह केवल सर्वोच्च न्यायालय ही जा सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 **(b)** केवल 2
(c) 1 और 2 दोनो **(d)** न तो 1 न ही 2

34. राज्य की नीति के निदेशक तत्व का प्रयोजन क्या है?

(a) ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राज्य नीति का मार्गदर्शन करेंगें।

(b) गांधीजी के विकेन्द्रित राज्य के विचार का कार्यान्वयन

(c) सरकार द्वारा शक्तियों के मनमाने प्रयोग पर नियंत्रण

(d) समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण को संवर्धित करना

35. निम्नांकित में से कौन से विषय ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल हैं?

1. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
2. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।
3. परिवार नियोजन।
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
5. ग्रामीण विद्युतीकरण।

कूट :

(a) केवल 1, 2 और 3 **(b)** केवल 2, 4 और 5

(c) केवल 1, 3, 4 और 5 **(d)** उपरोक्त सभी

36. समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता संबंधित नीति निदेशक तत्व किस संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत अन्त:स्थापित किया गया?

(a) 40वां

(b) 42वां

(c) 43वां

(d) 44वां

37. अनुच्छेद-41 के तहत् राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास के सीमाओं के भीतर लोक सहायता पाने के अधिकार का प्रभावी उपबंध करेगा।

1. काम पाने का अधिकार
2. शिक्षा पाने का अधिकार
3. लोक सहायता पाने का अधिकार

कूट :

(a) 1 और 2 **(b)** 2 और 3

(c) सभी **(d)** 1 और 3

38. कौन सा कथन सत्य है?

(a) भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए एक समान संहिता का नीति-निर्देशक तत्व के रूप में प्रावधान किया गया है।

(b) भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह एक समान संहिता को समर्थन देगा।

(c) भारतीय संविधान के अन्दर एक मौलिक अधिकार का प्रावधान है जो यह आश्वासन देता है कि राज्य एक समान संहिता स्थापित करेगा।

(d) इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है।

39. 'निवारक निरोध' विषय को संविधान की किस सूची में रखा गया है?

(a) संघ सूची

(b) राज्य सूची

(c) समवर्ती सूची

(d) इनमें से कोई नहीं

40. निम्नलिखित मे से कौन से पंचशील के सिद्धांत है?

1. शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व
2. पर्यावरण का परस्पर संरक्षण
3. देशज जनों का परस्पर संरक्षण
4. परस्पर अनाक्रमण

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) 2 और 3 **(b)** 1 और 2

(c) 1, 2 और 4 **(d)** 1 और 4

41. भारतीय संविधान में समानता का अधिकार पांच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं-

(a) अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20

(b) अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19

(c) अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18

(d) अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17

42. कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में किन परिस्थितियों में अपवाद किया गया है?

1. राष्ट्रपति
2. राज्यपाल
3. विदेशी शासक
4. विदेशी कूटनीतिज्ञ

कूट : -

(a) 1, 2 और 3 **(b)** 1, 2 और 4

(c) 1 और 2 **(d)** 1, 2, 3 और 4

43. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में अन्तर्विष्ट विधि के समक्ष समता का अधिकार उपलब्ध है-

(a) केवल नैसर्गिक व्यक्तियों को

(b) केवल विधिक व्यक्तियों को

(c) भारत के नागरिकों को

(d) सभी व्यक्तियों को चाहे नैसर्गिक हो या विधिक

44. निम्नलिखित में से किसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अधीन विशेष उपबंध किए जा सकते हैं?

1. स्त्रियों और बच्चों के लिए
2. अनुसूचित जनजातियों के लिए
3. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए
4. सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) 1, 2 और 4 **(b)** 1 और 3

(c) 2, 3 और 4 **(d)** 1, 2, 3 और 4

45. कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर निम्नलिखित में से किसमें प्रवेश के अधिकार से किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा, -

1. दुकानों
2. सार्वजनिक भोजनालयों
3. होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानो में प्रवेश
4. क्लब

कूट :

(a) 1, 2 और 3 **(b)** 1, 2 और 4
(c) 1 और 2 **(d)** उपरोक्त सभी

46. अनुच्छेद 17 उपबंध करता है-

1. अस्पृश्यता का अंत
2. अस्पृश्यता किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है।
3. अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

कूट :

(a) 1 और 2 **(b)** 1 और 3
(c) 2 और 3 **(d)** 1, 2 और 3

47. भारत रत्न और पद्मश्री जैसी एवार्ड सरकार द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं?

(a) अनुच्छेद-17
(b) अनुच्छेद-18
(c) अनुच्छेद-22
(d) अनुच्छेद-24

48. उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय कि राष्ट्रीय ध्वज प्राइवेट भवनों पर फहराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है संविधान के किस
अनुच्छेद के अन्तर्गत दिया है-

(a) संविधान के अनुच्छेद 14
(b) संविधान के अनुच्छेद 19
(c) संविधान के अनुच्छेद 21
(d) संविधान के अनुच्छेद 25

49. भारत में प्रेस की स्वतंत्रता

(a) संसद की विधि के अधीन लोगों को उपलब्ध है।
(b) संविधान में विशिष्टत: उपबन्धित है।
(c) अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार में अन्तर्निहित है।
(d) अधिशासी आदेश के अधीन भारत के लोगों को उपलब्धहै।

50. भारत में सूचना का अधिकार-

(a) मूल अधिकार है।
(b) विधिक अधिकार है।
(c) मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों हैं।
(d) न तो मूल अधिकार है न ही विधिक अधिकार।

बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

1.	(c)	2.	(b)	3.	(c)
4.	(a)	5.	(c)	6.	(d)
7.	(d)	8.	(d)	9.	(c)
10.	(b)	11.	(d)	12.	(b)
13.	(c)	14.	(d)	15.	(b)
16.	(d)	17.	(a)	18.	(d)
19.	**(c)**	20.	**(c)**	21.	(b)
22.	(b)	23.	(b)	24.	(c)
25.	**(a)**	26.	(c)	27.	(a)
28.	**(a)**	29.	(b)	30.	(b)
31.	(d)	32.	(a)	33.	(b)
34.	(a)	35.	(d)	36.	(b)
37.	(c)	38.	(a)	39.	**(c)**
40.	(c)	41.	(c)	42.	(b)
43.	(d)	44.	(a)	45.	(a)
46.	(d)	47.	(b)	48.	(b)
49.	(c)	50.	(b)		

NOTES

समसामायिक आधारित बहुविकल्पी प्रश्न

Q1 निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन असत्य नहीं हैं-
1. पॉक्सो अधिनियम में 18 वर्ष की उम्र के सभी व्यक्तियों (लड़कियो-लड़को-ट्रांसजेण्डर) को शामिल किया गया हैं।
2. पॉक्सो के तहत भारत में रह रहे विदेशी बच्चों (18 वर्ष से कम आयु) को भी कानूनी संरक्षण प्राप्त है।
कूट:
a) केवल 2
b) कोई नहीं
c) केवल 1
d) दोनों
उत्तर: **d**

Q2. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से कथन सत्य हैं –
1.यूएपीए सिर्फ आतंकवाद से संबंधित विषयों पर केन्द्रित कानून है
2.यूएपीए के अंतर्गत आतंकवादी शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है
कूट –
a) केवल 2 **b)** केवल 1
c) कोई नहीं **d)** 1 और 2 दोनों
उत्तर – **a**

Q3. प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली फ्लॉवर स्कॉर्पियन मछली जो अब हिन्द महा सागर में पाई गयी है, का वैज्ञानिक नाम क्या है?
a) मुलियेद
b) होपलोसेबस्ट्स अरमाटस
b) क्लुपा हरेंगुस
d) अग्ग्रोसोमुस जपोनिकुस
उत्तर : **b**

Q4. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से कथन सत्य हैं –
1.जलवायु मंत्रालय ने गुवाहाटी के दक्षिण-पश्चिमी किनारे पर स्थित दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधि सूचित किया है.
2. दीपोर बील असम की एक रामसर साइट है जो महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है.
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों सत्य हैं.
d) 1 और 2 दोनों असत्य हैं.
उत्तर: **c**

Q5 वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में क्या असत्य है
1.वैश्विक भुखमरी सूचकांक विश्व खाद्य संगठन द्वारा निकला जाता है.
2. सूचकांक रैंकिंग चार मापदंडों वैश्विक भुखमरी पर आधारित है.
a) केवल 1 असत्य है.
b) केवल 2 असत्य है.
c) 1 और 2 दोनों असत्य हैं
d) उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं.
उत्तर**: a**

Q6. हाल में ही चर्चा में रही कारबोंग जनजाति के विषय में क्या सही है
1.यह जनजाति मणिपुर राज्य के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है.
2.माणिक्य शासकों ने कारबोंग लोगों को शिक्षित करने का सफल प्रयास किया.
3.आज कारबोंग जनजाति विलुप्ति के अंतिम चरण में हैं.
a) केवल 1 सत्य है.
b) केवल 3 सत्य है.
c) केवल 1 और 2 सत्य है.
d) तीनों कथन सत्य हैं.
उत्तर : **b**

Q7. भवानी देवी किस खेल से सम्बंधित हैं?
a) तीरंदाजी
b) तलवारबाजी
c) कुश्ती
d) बैडमिंटन
उत्तर : **b**

Q8. गोवा में होने वाले 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जायेगा?
a) स्जाबो इस्तवान
b) मार्टिन स्कॉर्सेस
c) बोरिस खलेबनिकोव
d) ं और इ दोनों को
उत्तर : **d**

Q9. संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है?
a) 22 अक्टूबर **b)** 23 अक्टूबर
c) 24 अक्टूबर **d)** 25 अक्टूबर
उत्तर : **c**

Q10. डीआरडीओ द्वारा विकसित 'एडवांस आफ टेक्नोलॉजी' (चौफ प्रौद्योगिकी) के विषय में क्या सही है
1.नौसैनिक पोतों- वायुयानो को रेडियो आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) आधारित दुश्मनों के रडार से बचाने के लिये चौफ प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है.
2.डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर और पुणे स्थित उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एचईएमआरएल) ने मिलकर इस प्रौद्योगिकी का विकास किया है.
3. यह तकनीक इंफ्रारेड और रडार खतरों के खिलाफ पैसिव जैमिंग प्रदान करती है.
a) केवल 1 सत्य है. **b)** केवल 3 सत्य है.
c) केवल 1 और 2 सत्य है. **d)** तीनों कथन सत्य हैं.
उत्तर: **d**

Paper IV केस स्टडी-1

हाल में आपको एक जिले के जिला विकास अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया. उसके बाद आपने पाया कि आपके जिले के ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को स्कूल भेजने के मुद्दे पर काफी तनाव है.

गाँव के बड़े महसूस करते हैं कि अनेक समस्याएँ पैदा हो गयी है क्योंकि लड़कियों को पढाया जा रहा है और वे घर के सुरक्षित वातावरण के बाहर कदम रख रही हैं. उनका विचार यह है कि लड़कियों कि न्यूनतम शिक्षा के साथ जल्द ही शादी कर दी जानी चाहिए. शिक्षा के बाद लड़कियां नौकरी लड़कियां नौकरी के लिए भी स्पर्धा कर रही है, जो परम्परा से लड़कों का अनन्य क्षेत्र रहा है, और पुरुषों में बेरोजगारी में वृद्धि कर रही है.

युवा पीढ़ी महसूस करती है कि वर्तमान युग में लड़कियों को शिक्षा और रोजगार तथा जीवन निर्वाह के अन्य साधनों के सामान अवसर प्राप्त होने चाहिए. समस्त इलाका वयोवृद्ध और युवाओं के बीच तथा उससे आगे दोनों पीढ़ियों में स्त्री पुरुष के बीच विभाजित है. आपको पता चलता है कि पंचायत या अन्य स्थानीय निकायों में या व्यस्त चौराहों पर भी, इस मुद्दे पर गरमागरम वाद विवाद हो रहा है.

एक दिन आप को सुचना मिलती है कि अप्रिय घटना हुई है. कुछ लड़कियों के साथ छेड़खानी की गयी जब वे स्कूल के रस्ते में थी. इस घटना के फलस्वरूप कई सामाजिक समूह के बीच झगड़े हुए और कानून व्यवस्था कि समस्या पैदा हो गयी. गरमागरम वाद विवाद के बाद बड़े बूढोंने लड़कियों को स्कूल जाने कि अनुमति न देने और जो परिवार उनके हुकुम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे सभी परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का संयुक्त निर्णय लिया है.

(a) लड़कियों कि शिक्षा में व्यवधान डाले बिना, लड़कियों कि सुरक्षा को सुरक्षित करने क लिए आप क्या कदम उठाएंगे?

(b) पीढ़ियों के बीच संबंधों में समरसता सुनिचित करने के लिए आप गाँव के वयोवृद्ध कि पित्रसतात्मक अभिवृति का किस प्रकार प्रबंधन का और ढालने का कार्य करेंगे?

उत्तर **(a)** दिए गए मामला अध्ययन में मैं जिला विकास अधिकारी हूँ. मुझे कानून व्यवस्था बहाल करके लड़कियों के लिए शिक्षा का सामान अवसर सुनिश्चित करना है. इस मामले में लैंगिक समानता, जिम्मेदारी, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, स्वतंत्रता एवं न्याय जैसे मूल्य निहित हैं.

- सर्वप्रथम में स्थानीय पुलिस थाने में छेड़खानी के दोषियों के विरुद्ध प्रथिमिकी दर्ज कराकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करूँगा. सामूहिक झगड़ों में शामिल विभिन्न समूह के लोगों को पुलिस कि सहायता से निरुद्ध करूँगा एवं जिला अधिकारी से अनुरोध कर के क्षेत्र में धरा 144 लगवाने का प्रयास करूँगा. इससे कानून व्यवस्था बहाल हो जाएगी.
- तत्पश्चात क्षेत्र के सभी महिला विद्यालयों से संपर्क कर के उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराएँगे.
- स्कूल के प्रारम्भ और अवकाश के समय सम्बंधित मार्गों में पुलिस कि गस्त बढ़ा देंगे.
- लड़कियों कि सहायता के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी करेंगे और शिकायत मिलने पर तत्काल सहायता सुनिचित करेंगे.
- लड़कियों को मुख्य मार्ग के प्रयोग एवं समूह में आने जाने के लिया प्रेरित करेंगे.
- महिला विद्यालय के प्रबंधन से संपर्क करके, महिला सिपाहियों कि सहायता से लड़कियों को आत्मसुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे. इससे लड़कियों कि सुरक्षा सुनिचित हो जाएगी.

उत्तर **(b)** वयोवृद्ध कि अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए

- विद्यालयों के प्रधानाचार्य से संपर्क करके उन्हें, लड़कियों के द्वारा किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने पर परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ सम्मानित करने के लिए सहमत करेंगे.
- सोशल मीडिया और स्थानीय प्रिंट मीडिया के द्वारा स्थानीय महिलाओं कि उपलब्धियों का प्रचार करेंगे.
- क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं कि सहायता से लैंगिक समानता एवं लड़कियों कि शिक्षा कि जागरूकता अभियान चलाएंगे. नवयुकों, युवतियों और बुजुर्ग महिलाओं के साथ मिलाकर इस आन्दोलन को घर घर पहुँचायेगे. वयोवृद्ध को नैतिक अनुरोध, सामाजिक दबाव, सामाजिक बहिष्कार एवं कानून का डर दिखा कर लड़कियों कि शिक्षा के लिए सहमत कर लेंगे.
- फिर भी यदि कुछ लोग नहीं मानेंगे तो पुलिस से आवश्यक कार्यवाही के लिए कहेंगे.

Paper IV केस स्टडी-2

आप एक सरकारी कार्यालय में अपने विभाग के निदेशक के सहायक के रूप में कार्यरत है नेक युवा, उचाकांची, एवं निष्कपट कर्मचारी हैं. जैसा कि आपने अभी पद ग्रहण किया है, आपको सीखने और प्रगति कि आवश्कयता है. भाग्यवश आपका उच्चस्थ बहुत दयालु एवं आपको अपने कार्य के लिए प्रशिक्षित करने के लिए तैयार है. वह बहुत बुद्धिमान और पूर्ण जानकार व्यक्ति है, जिससे विभिन्न विभागों का ज्ञान है. संक्षेप में आप अपने बॉस का सम्मान करते हैं और उससे बहुत कुछ सीखने को उत्सुक हैं..

जैसा कि आपके साथ बॉस के सम्बन्ध अच्छे है, वह आप पर निर्भर करने लगा है. एक दिन खराब स्वास्थ्य के कारण उसने आपको कुछ आवश्यक कार्य करने के लिए घर बुलाया.

आप उसके घर पहुंचे एवं घंटी बजने से पूर्व आपने जोर जोर से चिल्लाने का शोर सुना. आपने कुछ समय प्रतीक्षा की. घर में प्रवेश करने पर बॉस ने आपका अभिनन्दन किया तथा कार्य के बारे में बतया. किन्तु आप एक औरत के रोने कि आवाज से निरंतर व्याकुल रहे. अंत में आपने अपने बॉस से पूछा परन्तु उसने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया.

अगले दिन आप कार्यालय में इसके बारे में आगे जानकारी करने को उद्वलित हुए एवं मालूम हुआ कि उसका घर में अपनी पत्नी के साथ व्यवहार बहुत खराब है. वह अपनी पत्नी के साथ मार पीट भी करता है. उसकी पत्नी ठीक से शिक्षित नहीं है तथा अपने पति कि तुलना में एक सरल महिला है. आप देखते हैं आपका बॉस कार्यालय में सरल व्यक्ति है, परन्तु घर पर वह घरेलु हिंसा में संलिप्त है.

इस स्थित में, आपके सामने निम्नलिखित विकल्प बचे हैं. प्रत्येक विकल्प का परिणामो के साथ विश्लेषण कीजिये.

(a) इस बारे सोचना छोड़ दीजिये क्यूंकि यह उसका व्यक्तिगत मामला है.

(b) उपयुक्त अधिकारी को मामले को प्रेषित कीजिये.

(c) स्थिति के बारे में आपका स्वयं का नवप्रवर्तनकारी दृष्टीकोण.

उत्तर: दिए गए मामला अध्ययन में मैं एक नव नियुक्त युवा कर्मचारी हूं. मुझे अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कि जा रही घरेलु हिंसा की समस्या हल करनी है. इस प्रकरण में सहानभूति, करुणा, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, जिम्मेदारी, लैंगिक समानता एवं न्याय जैसे मूल्य निहित है.

विकल्पों का परिणाम के साथ विश्लेषण

(a) इस बारे में सचना छोड़ दीजिये क्योंकि यह उसका व्यक्तिगत मामला है:

ऐसा करना अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से समझौता करना होगा.

महिला न ही पर्याप्त शिक्षित है और न ही वित्तीय रूप से आत्मानिर्भर है. अत: निरंतर घरेलु हिंसा से हताश हो कर वो भविष्य में आत्महत्या जैसा कदम उठा सकती है. इसके परिणामस्वरूप वरिष्ठ अधिकारी को भी मुश्किलों का सामना करना पद सकता है, और मैं भी हमेशा अपराध बोध से ग्रस्त रहूँगा.

(b) उपर्युक्त प्राधिकारी को मामले को प्रेषित कीजिये

उपयुक्त अधिकारी इस मामले के संज्ञान में आने पर एक विभागीय समित का गठन कर मामले कि जाँच कराएँगे. इससे वरिष्ठ आधिकारी के घरेलु हिंसा में शामिल होने कि पुष्टि हो जाएगी. फलस्वरूप उन्हें विभाग से निलंबित कर दिया जायेगा, एवं स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करा कर उन्हें सजा दिलाई जाएगी.

ऐसे में वरिष्ठ अधिकारी तो जेल चले जायेंगे पर वास्तव में इसका ज्यादा असर उनके पत्नी पर पड़ेगा. पत्नी पर्याप्त शिक्षित नहीं है और न आत्मनिर्भर है. ऐसे उसके पास वित्तीय सहारा नहीं होगा और सरकारी आवास भी खली करना होगा. विभाग एक कर्तव्यनिष्ठ और कुशल अधिकारी खो देगा. मेरी व्यक्तिगत हानि होगी क्योंकि मैं एक दयालु जानकार एवं सहायता करने वाला अधिकारी खो दूंगा.

(c) स्वयं का नवप्रवर्तनकारी दृष्टीकोण

(मेरे अधिकारी एक दयालु एवं समझदार व्यक्ति हैं अत: उन्हें सुधार का एक मौका मिलना चाहिए)

मैं सर्वप्रथम महिला पुनर्वास एवं सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाले एक गैर सरकारी संगठन से संपर्क करूँगा.जिससे इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव और विशेषज्ञता है. इस संस्था के विशेषज्ञों कि सहायता से अपने वरिष्ठ अधिकारी एवं उनके पत्नी को सलाह एवं परामर्श दिलवाऊंगा.जो वरिष्ठ अधिकारी को नैतिक अनुरोध और कानूनी परिणामों के आधार पर समझायेंगे.

नैतिक अनुरोध : घर पर होने वाली दैनिक कलह होने नकारात्मक प्रभाव उनकी स्वयं कि कार्यक्षमता एवं स्वास्थ्य पर पड़ेगा. पत्नी में निराशा घर कर जाएगी जिसका प्रभाव बच्चों कि परवरिश एवं संस्कारों पर पड़ेगा. महिला के प्रति हिंसा अशोभनीय कृत्या है. परिवार की खुशी में ही उसकी खुशी है.

कानून का डर: सक्षम अधिकारी से शिकायत होने पर जांच में आसानी से उनका अपराध सिद्ध हो जायेगा. फलस्वरूप उनकी नौकरी जा सकती है और कारावास हो सकता है.पेंशन और आनुतोषिक भी जब्त हो सकता है. कारागृह से बहार आने पर भी नौकरी नहीं मिलेगी.

इस अंतर्कलह के कारण महिला पर्याप्त शिक्षित न होना भी हो सकता है. इसलिए गैर सरकारी संस्था की सहायता से पत्नी को व्यक्तिगत विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में दाखिला दिला देंगे और पुन: शिक्षा आरम्भ करने को प्रेरित करेंगे. इससे समस्या हल हो सकती है.

यदि फिर भी अधिकारी के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव नहीं हुआ तो कानून के अनुसार अधिकारी को दंड दिलाएंगे और एन0जी0ओ की सहायता से पत्नी को पुनर्वास एवं आतमनिर्भर बनने में सहायता करेंगे.

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DSC
DHYEYA SCHOOL OF COMPETITION
A unit of Dhyeya IAS

COMPREHENSIVE

UP-PCS MAINS 2021-22

TEST SERIES PROGRAMME

TOTAL TEST	SECTIONAL TEST	FULL GS TEST	GENERAL HINDI	ESSAY
12	04	04	02	02

STARTED ON 31st OCTOBER 2021 & ONGOING

ENROLL NOW
www.dhyeyaias.com

DHYEYA EDGE

- ☑ Time bound (12 Days) evaluation by experts close to real evaluators of UPPSC.
- ☑ Personalised interactive discussion by subject experts on one-on-one basis through online mode.
- ☑ Bilingual Model answer of each question would be provided after the test .
- ☑ To develop the understanding of current UPPSC pattern and coverage of entire syllabus.
- ☑ To develop Answer-Writing Skills among candidates.

Fee Structure

OFFLINE: 9,500/-
ONLINE: 8,500/-
Inclusive of all taxes

DHYEYA ADVANTAGE

- 20% for those who have cleared UPSC/UPPSC Mains, at least once.
- 10% for those who have cleared UPSC/UPPSC Prelims.
- 10% for Dhyeya Students.

AN INTRODUCTION

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DhyeyaIAS, one and half decade old institution, was founded by Mr.Vinay Singh and Mr. Q. H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential aspirants realize their dreams which is evident from the success stories of the previous years.

As the nation progresses, the young generations become more conscious and aware about their career options. There is plethora of jobs and one among them is civil services, the most prestigious service in the country, which needs no introduction. It attracts many young minds hailing from almost all spectra of academic disciplines. The popular belief that the examination for this service is only meant for the brilliant lots has become a taboo as it also attracts the hardworking, sincere and disciplined minds. The saying- "In the end passion and hard work can substitute natural talent" holds true. It gives immense power and opportunity for young folks to bring about the positive changes in the society which would bring harmony and development. It inculcates values, moral, ethos and feeling of national integrity.

Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move may invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. Classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals' capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything, you can only help him find it within himself.

We feel that despite brilliance and diligence, most of the students are lacking proper guidance and aptitude needed to clear Civil Services Examination. This is why, we at Dhyeya IAS amalgamated the traditional as well as modern approach of teaching by incorporating best educators of the industry ably supported by Academic Associates, Class Notes and printed Study Material, routine as well as surprise Tests. Due to its arduous efforts, Dhyeya IAS is able to carve a niche among all the civil services coaching institutes in India. Access to an institution is as important as the quality of Institution. Our faith in this philosophy made us grow. With 12 Face to Face Centers located in different parts in India, Distance Learning Program , Live Streaming Centers and Residential Academy, we have made truly pan India presence. Ever since the foundation the institute has produced a heavy pool of bureaucrats both at central and state level. Dhyeya IAS not only aims at imparting the content of civil services in best way but also nurturing the aspirants as leaders of tomorrow who have a responsibility of fulfilling the dreams of around 1.4 billion Indians. Dhyeya IAS has guided over 50,000 aspirants with more than 4000 selections in civil services. Our journey is a small contribution for the development of the society and nation by nurturing the potential civil services aspirants.

Considering the toughness of Civil Services Exam, where success rate is a meager 0.1 percent, Dhyeya IAS has continuously produced phenomenal results over the years. Year after Year Dhyeya IAS is being recognized for imparting guidance to civil services aspirants using benchmarked quality practices. On the basis of scalability, innovation, achievements, impact potential our efforts and contribution have been acknowledged and rewarded with Education Excellence Awards by ET NOW, Brands Academy, Times of India, etc. This has enhanced motivation, pride and self-esteem of entire Dhyeya family.

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 | **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 | **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 | **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 | **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 | **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow , UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 | **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha - 751024, Ph: 9818244644/7656949029